रजिस्ट्री सं. डी--(डी एन)--128/89 REGISTERED NO. D--(DN)--128/89

2/2/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 9, 1989 (अग्रहायण 18, 1911)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 9, 1989 (AGRAHAYANA 18, 1911)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

(PART III—SECTION 4)

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

बम्बई- 400021, दिनांक 18 नवम्बर, 1989

सूचना

सं० सी० ओ०/बी०ओ०डी०/पीएण्डएल/153--इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य रजिस्टर एवं शाखा रजिस्टर गुरुवार दिनांक 4 जनवरी, 1990 से गुरुवार दिनांक 18 जनवरी, 1990 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, शेयर अंतरण के लिए बन्द रहेंगे ।

विजय अटल,
प्रबन्ध निदेशक

इलाहाबाद बैंक

कलकत्ता- 700 001, दिनांक 30 अक्तूबर 1989

प्रधान कार्यालय

सं० विधि/2/89--बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति से इलाहाबाद बैंक (अधिकारी सेवा) विनियम 1979 में संशोधन करके एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

2. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ (i) यह विनियम इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा ।

3. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी सेवा) विनियम, 1979 के विनियम 23(i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

20-8-1988 को और इस तारीख से, यदि वह नीचे दी गई तालिका के कालम 1 में उल्लिखित स्थान पर कार्यरत है

तो उसे उस स्थान के सामने कालम 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिपूरक भत्ता मिलेगा ।

स्थान	दर
1	2
(क) क्षेत्र 1 के स्थानों और गोवा राज्य में	मूल वेतन का 10 प्रतिशत किन्तु अधिकतम प्रति माह 200/- रु०
(ख) 5 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर और राज्य राजधानियों चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर जो कि उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत नहीं हैं ।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम 120/- रु० प्रति माह।

एम० आर० सर्वाधिकारी
उप महाप्रबन्धक (कार्मिक प्रशासन एवं विधि)

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

मद्रास 600 034, दिनांक 20 नवम्बर, 1989

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-एस० सी० ए० (8)/14/89-90—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाणपत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	20441	श्री एम० डी० सुन्दरराघवन, ए० सी० ए०, पी० ओ० बोक्स नं० 272, मनामा (बहरीन)	25-9-89
2.	26040	श्री बी० नागेश्वरा राव, ए० सी० ए०, एच० नं० 12-10-587/50/17/2 रोड नं० 3, इंदिरानगर कोलोनी, वासवीगुड़ा सिकन्दराबाद-500 361	3-10-89
3.	27569	श्री डी० श्रीधर, ए० सी० ए०, एच० नं० 32, इनकम टैक्स कालोनी, मेहदीपटनम हैदराबाद 500 028 ।	3-7-89
4.	28092	श्री टी० जोनी कुट्टी, ए० सी० ए०, नेल्लीकुन्नाभु हाऊस, चन्नापेट्टा पी० ओ०- 691 311 अंचल (क्यूलोन डिस्ट०)	1-10-89

एस० सी० नरसिम्हन
सचिव

कानपुर-208001 दिनांक 16 नवम्बर, 1989

सं० 3 सी० सी० ए० (4)/(9)/89-90—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	81241	श्री रामयण गर्ग, 72, धूलेश्वर गार्डेन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302 001	23-9-89

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

दी इंस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया

कलकत्ता, दिनांक 2 नवम्बर 1989

सं० 18—सी० डब्ल्यू० आर० (204-206)/89—दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इन्डिया के परिषद् ने कहे हुए रेग्युलेशन्स के विनियम 17 द्वारा दिए गए

अधिकारों का प्रयोग करते हुए (1) श्री एस० एन० मिश्रा, बी० काम ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, असिस्टेन्ट फाइनेन्स मैनेजर, पी० डी० आई० एल०, सिन्दरी, सी० आई० एफ० टी० विल्ड, सिन्दरी 828122 (सदस्यता संख्या 4320), 23 जून, 1989 से प्रभावित, (2) श्री जी० वी० विश्वनाथ आइयर, बी० एस सी०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 84, "अर्पना", 8ए, मेन रोड, गंगनहल्ली एच० एम० टी०, ले आउट, बंगलौर-560032, (सदस्यता संख्या 1128) 19 जुलाई 1989 से प्रभावित (3) श्री सेनेन्द्र नाथ दत्ता, बी० काम०, एल एल० बी०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, डिपुटी फाइनेन्स मैनेजर, प्रोजेक्टस एण्ड डेवेलपमेन्ट इन्डिया लि०, सिन्दरी-828122 (सदस्यता संख्या 2861), 1 सितम्बर 1989 से प्रभावित के नामों को सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया।

प्रवीतबोस,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर, 1989

सं० आर-12/19/9/84-बीमा-1--समसंख्यक अधि-सूचना दिनांक 16-12-87 का अधिक्रमण करते हुए महा-निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संकल्प दिनांक 14 दिसम्बर, 1980 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 75 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 54 तथा 54-क के प्रयोजन के लिए भ्रमणशील चिकित्सा बोर्ड का पुनर्गठन निम्न प्रकार किया है:-

1. डा० जी० पी० साराभाई, अध्यक्ष
निदेशक (चि०)
परिवार कल्याण
दिल्ली

डा० जी० पी० साराभाई की अनुपस्थिति में उनकी एवज
डा० (श्रीमती) हेलन सिंह निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल कम्पलैक्स
बसईदारापुर, नई दिल्ली

2. डा० एन० डी० खुराना, सदस्य
विकलांग विज्ञान विभाग,
बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल,
बसईदारापुर, नई दिल्ली

3. डा० एस० आर० चौहान, सदस्य
चिकित्सा अधीक्षक,
शल्य विशेषज्ञ,
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल,
बसईदारापुर, नई दिल्ली

अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाता है कि वे जांच किए जाने वाले बीमाकृत व्यक्ति की बीमारी के आधार पर आवश्यक होने पर किसी भी कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल से विकलांग तथा शल्य विशेषज्ञ के बदले में या के साथ-साथ किसी अन्य विशेषज्ञ को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकते हैं।

अधिकारिता

बोर्ड की सम्पूर्ण भारत में सभी क्षेत्रों में अधिकारिता होगी और इसमें वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जिनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने या विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन ने विशेष चिकित्सा बोर्डों का गठन किया है।

भगवती प्रसाद,
बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर, 1989

सं० ए-12(11)/13/89-स्थापना-1 (क)--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 17 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा-97 की उप धारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बीमा निरीक्षक/प्रबन्धक ग्रेड-2 आदि के पद के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 का अधिक्रमण करते हुए सिवाय उन मामलों के जहां कोई ऐसा अधिक्रमण करने से पहले किया गया है या करने की वचनबद्धता है, निगम केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसके द्वारा बीमा निरीक्षक/प्रबन्धक ग्रेड-2 आदि के पद पर भर्ती की पद्धति के सम्बन्ध में निम्न-लिखित विनियम बनाता है, अर्थात :--

1. i ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा (बीमा निरीक्षक/प्रबन्धक ग्रेड-2 आदि) भर्ती विनियम, 1989 कहे जायेंगे।

ii ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान :--

पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन-मान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं आदि

उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

4. अयोग्यताएं:--

ऐसा कोई व्यक्ति :--

(क) जिसका ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि निगम के महानिदेशक की यह तसल्ली हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के दूसरे आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के लागू होने से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति :

जहां निगम के महानिदेशक की यह राय है कि ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वह केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद तथा इसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के सम्बन्ध में इन विनियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध में आदेश द्वारा ढील दे सकते है।

6. अपवाद :

इन विनियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दूसरे विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

श्रीमती कुसुम प्रसाद, महानिदेशक

अनुसूची

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बीमा निरीक्षक/प्रबन्धक ग्रेड-II/अधीक्षक के लिए भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या गैर चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ पद पर लागू है	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रबन्धक ग्रेड-II बीमा निरीक्षक/ अधीक्षक आदि	कार्यभार के आधार पर घट बढ़ हो सकेगी	ग्रुप "ग" लिपिक वर्गीय	1640-60-2600-दक्षतारोध 75-2900 रुपए	आंशिक रूप से चयन तथा आंशिक रूप से गैर-चयन	नहीं	21 से 30 वर्ष	अनिवार्य (1) योग्यतायें:— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (2) किसी सरकारी/ अर्ध सरकारी संगठन/ निगमित सरकारी उपक्रम/स्थानीय निकाय या किसी अनुसूचित बैंक आदि में किसी जिम्मेदार पद पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा।

क्या सीधी भर्ती किये परिवीक्षा को जाने वाले व्यक्तियों के अवधि यदि लिए निर्धारित आयु तथा कोई हो। शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नति कर्मचारियों के मामले में भी लागू होंगे।	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति-स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिन में से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किए जायेंगे।	विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उन का गठन	ऐसी परिस्थितियां जिसमें भर्ती/ करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
9	10	11	12	13	14
नहीं	1. (सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष 2. (विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष	66-2/3 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तथा 33-1/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की भर्ती निम्न रीति में की जायेगी:— (क) 50 प्रतिशत वरिष्ठता को देखते हुए योग्यता के आधार पर चयन द्वारा	ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित मुख्य लिपिक/ सहायक ग्रेड में से 3 वर्ष की सेवा वाले वैयक्तिक सहायक भी योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार के पात्र होंगे लेकिन उनकी पदोन्नति सीधी लाइन में नहीं होगी।	1. अध्यक्ष बीमा आयुक्त क०रा०बी०नि० 2 सदस्य निदेशक (प्रशासन) क०रा०बी०नि०	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
		(ख) 50 प्रतिशत अयोग्य व्यक्तियों को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा टिप्पणी (1) ऊपर (क) के संबंध में दोनों फीडर ग्रेड अर्थात् i. मुख्य लिपिक/सहायक ii. वैयक्तिक सहायक के लिए कोटा निम्न प्रकार से होगा :– (i) मुख्य लिपिक/सहायक आदि 94 प्रतिशत (ii) वैयक्तिक सहायक—6 प्रतिशत टिप्पणी : 2 यदि 6 प्रतिशत कोटा को भरने के लिए पात्र वैयक्तिक सहायक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो रिक्त पदों को अग्ररक्षित माना जाएगा तथा अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।	3 सदस्य केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा नामांकित कम से कम 3700–5000/- रुपए के ग्रेड का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक अधिकारी	

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 1989

सं० एन०-15/13/11/2/-88-योजना एवं विकास (2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 14-11-89 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब राज्य के निम्न लिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	हदबस्त सं०
1	2	3
1.	गोंइंधवाल साहिब	338
2.	खाख	341
3.	मयानी	340
4.	हंसावाला	337
5.	अकबरपुर	339
6.	खोंदर महानपुर खान	342
7.	धुन्दान	343
8.	मानक देके	344

एस० घोष
निदेशक (योजना एवं विकास)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 नवम्बर 1989

सं० पी० 11/1/(12)/84/वरिष्ठता—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-घ की उपधारा 7 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की वरिष्ठता नियमत करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ :

i ये विनियम कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ (वरिष्ठता का निर्धारण) विनियम, 1989 कहलाएंगे।

ii ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परन्तु वरिष्ठता से सम्बन्धित किसी कर्मचारी का कोई मामला जिसका अन्तिम निर्णय पहले ही लिया जा चुका है इन विनियमों में किसी उपबन्ध के होते हुए भी फिर से नहीं खोला जाएगा।

2. परिभाषा :

इन विनियमों में जब तक कि दूसरी बात अपेक्षित न हो :

(क) 'आयोग' से तात्पर्य संघ लोक सेवा आयोग है।

(ख) इसमें 'आयुक्त' शब्द के प्रयोग का वही अर्थ होगा जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 में माना जाता है।

(ग) 'कर्मचारी' का अर्थ संगठन के स्टाफ के काडर में नियुक्त अथवा लिया गया एक व्यक्ति है ।

(घ) 'बोर्ड' का अर्थ कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 5—क के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड है ।

(ङ) 'रैंक' का अर्थ परीक्षा में प्राप्त गुण क्रम से है जिसे उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ।

3. प्रयुक्ति :

ये विनियम निम्नलिखित को छोड़कर बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे :—

(1) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त और वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 5—घ (1) और (2) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है ।

(2) रोजगार या आकस्मिकता से अदायगी पर कोई व्यक्ति ।

(3) संगठन में प्रतिनियुक्ति पर किया गया कोई व्यक्ति ।

परन्तु इन विनियमों के लागू होने से पूर्व किसी ग्रेड में नियुक्त अथवा पदोन्नत व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण (बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारण के लिए बनाए गए सामान्य सिद्धांत) द्वारा शासित होंगे जब तक वे उसी ग्रेड में कार्यरत रहते हैं, जिसमें इन विनियमों के लागू होने की तिथि पर जिन्हें केन्द्रीय निधि आयुक्त पत्र सं० 20 (17) /61, दिनांक 1—11—1962 द्वारा परिचालित किया गया था । उच्च ग्रेड में उनकी पदोन्नति होने पर उनकी वरिष्ठता इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार परन्तु उपरोक्त विनियम 1 (2) में दिए गए परन्तुक को ध्यान में रखकर की जाएगी ।

4. विनियम (3) के परन्तुक के अनुसार नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारियों की वरिष्ठता नीचे उल्लिखित तारीख से निर्धारित की जाएगी ।

1. सीधी भर्तियां :

कमीशन या अन्य चयनित प्राधिकारी की सिफारिश पर की गई सभी सीधी भर्तियों की अन्तरवरिष्ठता मैरिट अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिस मैरिट में उनकी नियुक्ति कमीशन अथवा अन्य चयन प्राधिकारी की सिफारिश पर की गई है । पहले चयन होने के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति बाद में चयन होने के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे ।

(2) परीक्षा कोटा में पदोन्नतियां :—

विभागीय परीक्षा के आधार पर विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नत व्यक्तियों की अन्तरवरिष्ठता, जो कि बोर्ड के कर्मचारियों तक सीमित है, उक्त परीक्षा में दिए गए रैंक/मैरिट के अनुसार निर्धारित की जाएगी । पहली परीक्षा में पास हुए व्यक्ति बाद की परीक्षा में पास हुए व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे ।

(क) विभिन्न ग्रेडों में चयन के आधार पर या मैरिट के आधार पर पदोन्नत व्यक्तियों की अन्तरवरिष्ठता का निर्धारण ऐसी पदोन्नति में उनके चयन के क्रम में किया जाएगा ।

(ख) वरिष्ठता के आधार पर विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नत व्यक्तियों की अन्तरवरिष्ठता, निचले ग्रेड जिसमें वे पदोन्नत हुए हैं में उनकी वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित की जाएगी बशर्ते अयोग्य घोषित न किए गए हों ।

(4) जहां पदोन्नति एक से अधिक ग्रेडों में की जानी है पात्र व्यक्तियों को उनके ग्रेडों में उनकी वरिष्ठता उनके सम्बन्धित ग्रेड के क्रम में अलग—अलग सूचियां तैयार की जाएंगी । इसके बाद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्धारित कोटा तक समेकित मेरिट के क्रम में विभिन्न सूचियों से पदोन्नति के लिए व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जिसमें उच्च ग्रेड में पदोन्नति पर व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारित होगी ।

परन्तु जहां पर फीडर काडर में पद विभिन्न वेतनमान या समान या समकक्ष वेतनमान में है, कोटा के अनुसार प्रत्येक ग्रेड से रिक्तियों की संख्या तक व्यक्तियों का चयन किया जाए तथा ग्रेड के अनुसार संयुक्त चयन सूची तैयार की जाए । जिन व्यक्तियों को विभागीय पदोन्नति समिति ने वही ग्रेड दिए हैं उनकी फीडर काडर में नियुक्ति की तारीख को अर्हक सेवा में अपेक्षित वर्षों की संख्यों में जोड़ने के बाद तारीख, अर्थात् जिस तारीख से वे फीडर ग्रेड में निर्धारित अर्हक सेवा के बाद पदोन्नति के लिए पात्र हुए हैं वहां सभी अन्तर—वरिष्ठता सूची को बनाए रखते हुए उनको संयुक्त रूप में क्रम से रखा जाए । बशर्ते फीडर काडर में व्यक्तियों को वही ग्रेड दिया है । जो व्यक्ति फीडर काडर में उच्च ग्रेड में होंगे वे फीडर काडर में कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे ।

(5) सीधी भर्ती, परीक्षा कोटा के विरुद्ध पदोन्नत तथा वरिष्ठता कोटा के विरुद्ध पदोन्नत कर्मचारियों की अनुपातिक वरिष्ठता ,—

सीधी भर्ती, परीक्षा कोटा के विरुद्ध पदोन्नत तथा वरिष्ठता कोटा के विरुद्ध पदोन्नत कर्मचारियों की अनुपातिक वरिष्ठता का निर्धारण उनके बीच रिक्त स्थानों के क्रमावर्तन

के आधार पर किया जाएगा, जो कि भर्ती नियमों में प्रत्येक के लिए रिक्त स्थानों के आरक्षित कोटा के आधार पर होगा।

बशर्ते कि यदि सीधी भर्ती परीक्षा कोटा के विरुद्ध पदोन्नत या वरिष्ठ कोटा के विरुद्ध किसी विशिष्ट वर्ष में उपयुक्त संस्था में पद उपलब्ध नहीं होने तो कोटों का क्रमावर्तन केवल सीधी भर्ती, परीक्षा कोटा के विरुद्ध पदोन्नत तथा वरिष्ठता कोटा के विरुद्ध पदोन्नत के उपलब्ध होने की सीमा तक ही हो सकता है। उस सीमा तक जहाँ कोटों का क्रमावर्तन संभव नहीं है, सीधी भर्ती परीक्षा कोटा के विरुद्ध पदोन्नत, वरिष्ठता कोटा के विरुद्ध पदोन्नत, जैसा भी मामला हो, को इकट्ठा करके वरिष्ठता सूची अर्थात् कोटा के क्रमावर्तन के अनुसार अन्तिम स्थिति जहाँ तक वरिष्ठता का निर्धारण करना संभव हो के नीचे रखा जाएगा। किसी भी वर्ग में न भरे गए पदों को आगे ले जाया जाएगा और उसे अगले वर्ष (और जहां आवश्यक हो तदनुसार वर्षों में) के अनुकूल कोटा के रिक्त पदों में जोड़ दिया जाएगा। अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध अतिरिक्त नियुक्तियों जिन्हें पिछले वर्षों से लाया गया है, को सामूहिक रूप से सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के नीचे अथवा वरिष्ठता कोटे के विरुद्ध पदोन्नत अथवा परीक्षा कोटों के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो जिस वर्ष यह चयन किया जा रहा है उस वर्ष रिक्तियों का क्रमावर्तन के आधार पर अन्तिम भर्ती हुए व्यक्ति के नीचे रखा जाएगा।

उदाहरण

जहां पर 50 प्रतिशत रिक्तियां वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए आरक्षित हैं, 25 प्रतिशत विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति के लिए तथा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती के लिए आरक्षित हैं, तो वहां सीधी भर्ती द्वारा भर्ती हुए कर्मचारी को वरिष्ठता में 2 पदोन्नत कर्मचारियों के नीचे रखा जाएगा 2 वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नत और 1 विभागीय परीक्षा पर आधारित पदोन्नत। जहां 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा का कोटा है, वहां प्रत्येक सीधी भर्ती वाले को एक पदोन्नति वाले के नीचे रखा जाएगा।

(यह विनियम 5 के उपबन्ध की शर्त के अन्तर्गत होगा)।

यदि सीधी भर्ती या वरिष्ठता अथवा विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नत व्यक्ति जैसा भी मामला हो, किसी भी कारण से ग्रेडों में नियुक्ति को स्वीकार नहीं करता, तो उपरोक्त संदर्भित रिक्तियों के अनुपातों/क्रमावर्तन को सुनिश्चित करने मात्र के लिए वरिष्ठता सूची को पुनः व्यवस्थित नहीं किया जाएगा।

6. उपलब्ध पदों पर पदोन्नत/नियुक्त व्यक्तियों की कोटा परिवर्तन द्वारा वरिष्ठता का निर्धारण करना :

भर्ती नियमों के एक उपबन्ध के अनुसार वरिष्ठता कोटा या परीक्षा कोटा में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने का प्रावधान है और इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति को वरिष्ठता कोटा वर्ग में रखा जाएगा। विनियम 5 के प्रयोजन से, पदोन्नत या परीक्षा कोटा पदोन्नत, जैसा भी मामला हो, विनियम-5 के उपबन्ध की शर्त पर, उसकी वरिष्ठता एक ही समय पर चयन किए गए सभी परीक्षा कोटा पदोन्नत या वरिष्ठता कोटा पदोन्नत, जैसा भी मामला हो, के नीचे निर्धारित की जाएगी। इसी प्रकार भर्ती नियमों के उपबन्ध के अनुसार सीधी भर्ती के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में या सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक कोटा के पद को दूसरे कोटा के पद में परिवर्तित करके पदोन्नति पद नियुक्त किए गए व्यक्ति को उसी संगत कोटा के पदोन्नत व्यक्तियों के वर्ग में रखा जाएगा जिस वर्ग में वह पद मूलरूप से सम्बन्धित है। लेकिन उसकी वरिष्ठता उस वर्ष उस वर्ग में नियुक्त अन्य सभी कर्मचारियों के नीचे निर्धारित की जाएगी।

7. अन्तर्क्षेत्रीय स्थानान्तरणों के मामलों में वरिष्ठता का निर्धारण :

ऐसे कर्मचारी जो कि ऐसे काडर में हैं जिसको वरिष्ठता क्षेत्रवार के आधार पर नियन्त्रित किया जाता है, और उसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रशासकीय आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है तो उसकी प्रारंभिक वरिष्ठता उसकी नियुक्ति की तिथि/पदोन्नति या विभागीय परीक्षा में प्राप्त क्रम, जैसा भी मामला हो, के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

परन्तु कर्मचारी के अपने अनुरोध पर किए गए स्थानान्तरण के मामले में उसकी वरिष्ठता उस क्षेत्र के उस काडर में जिसमें उसका स्थानान्तरण किया है में नियमित आधार पर पद ग्रहण करने वाले सभी व्यक्तियों के नीचे निर्धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण—केन्द्रीय कार्यालय अर्थात् संगठन के मुख्यालय को निर्धारित के प्रयोजन से क्षेत्र की भाँति एक इकाई के रूप में माना जाएगा।

8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता :

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता विनियम-5 के उपबन्धों के अनुसार उसकी नियुक्ति से पूर्व भर्ती हुए सभी व्यक्तियों से नीचे की जाएगी।

9. शंकाओं का निराकरण :

यदि इन विनियमों के किसी उपबन्धों में व्यवधान पैदा होता है तो इस मामले को अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड के पास भेजा जाएगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

10. अपवाद स्वरूप मामलों में छोड़ :

जहां अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड उस बात से संतुष्ट है कि किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों के किसी विशिष्ट मामले में किसी विनियम या उपबन्ध को लागू करने से अनावश्यक कठिनाई होती है तो वह आदेश द्वारा उस विनियम या उपबन्ध की अपेक्षाओं को उस सीमा तक समाप्त कर सकता है या ढील दे सकता है और ऐसी शर्तें लगा सकता है जो कि मामले को न्यायसंगत रूप में निपटाने के लिए आवश्यक समझी जाए।

11. अपवाद

इन विनियमों की कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों के सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

टिप्पणी :

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नियोजित व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारण के सामान्य सिद्धान्तों का उल्लेख कार्यालय पत्र सं० प्रशा० 20 (17)/61 दिनांक 1 नवंबर 1962 के साथ संलग्न अनुलग्नक में किया गया था। उपरोक्त परिशोधित वरिष्ठता विनियम आज की तिथि से प्रभावी होंगे। पत्र सं० प्रशा० 20 (17/61) दिनांक 1 नवंबर, 1962 द्वारा परिचालित किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारण के सामान्य सिद्धांत अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

सं० पी० 11/1/(5)89—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 5-ध की उपधारा 7(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ (स्टाफ और सेवा शर्तें) विनियम, 1962 में संशोधन करके निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

(I) ये विनियम कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा शर्तें) संशोधन विनियम, 1989 कहलाएंगे।

(II) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा शर्तें) विनियम 1962, अनुसूची-III में पैरा 6 के अधीन उप पैरा के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

6. (II) "सरकारी कार्यालयों अथवा सांविधिक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को भी तबादले पर लिया जाएगा, परन्तु जब किसी व्यक्ति का "विभागेतर सेवा" शर्तों पर न प्रतिनियुक्ति पर तबादला किया जाएगा तो नियुक्ति से पहले उस की प्रतिनियुक्ति की शर्तों की मंजूरी केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से लेनी होगी"।

परन्तु अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में तबादले (स्थानान्तरण पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, नई मानी जाएगी और उन के मूल विभागों की पिछली सेवा को संगठन में वरिष्ठता या पदोन्नति के अभिप्राय के लिए नहीं गिना जाएगा।

बी० एन० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
तथा
सचिव केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि

पाद टिप्पणी

भारत के राजपत्र भाग-II धारा 3 (1) दिनांक 18 मई, 1962 में प्रकाशित मूल विनियम देखें सा० का० नि० सं० 691।

देखें संशोधित विनियम

1. जी० एस० आर० सं० 1483, दिनांक 5 सितम्बर, 1963, 14-9-63 को प्रकाशित।
2. जी० एस० आर० सं० 592 दिनांक 31-3-1964, 11-4-1964 को प्रकाशित।
3. जी० एस० आर० सं० 896 दिनांक 2 जून, 1966
4. जी० एस० आर० सं० 1824, 22 नवंबर, 1966
5. जी० एस० आर० सं० 127 दिनांक 19 जनवरी, 1967
6. जी० एस० आर० सं० 127 दिनांक 28 जनवरी 1967
7. जी० एस० आर० सं० 787 दिनांक 16 मई 1970
8. जी० एस० आर० सं० 1155 दिनांक 7 अगस्त 1971
9. जी० एस० आर० सं० 1602 दिनांक 30 अक्तूबर 1971
10. जी० एस० आर० सं० 149 दिनांक 7 जनवरी 1972
11. जी० एस० आर० सं० 88 दिनांक 8-1-1972
12. जी० एस० आर० सं० 533 दिनांक 26-5-1973
13. जी० एस० आर० सं० 547 दिनांक 26-5-1973
14. जी० एस० आर० सं० 591 दिनांक 2-6-1973
15. जी० एस० आर० सं० 645 दिनांक 16-6-1973
16. सरकारी अधिसूचना सं० 19 (30)/69, पी० एफ० आई० दिनांक 17-6-1975
17. अधिसूचना सं० ए-12018 /74 पी० एफ० आई० दिनांक 25-8-76
18. जी० एस० आर० सं० 645 दिनांक 16-6-1977
19. जी० एस० आर० शून्य दिनांक 28-10-1978
20. अधिसूचना सं एडी०एम० (आर-1) (14) (7) 80/35813 दिनांक 23-12-1980।
21. जी० एस० आर० सं० शून्य दिनांक 7 नवंबर 1981 भारत के राजपत्र भाग-III खंड-4 में प्रकाशित।
22. अधिसूचना सं० मी० III/एडी० एम० आर०-II/14(1) 5/79/69 दिनांक 12-1-1984, दिनांक 1-12-84 को भारत के राजपत्र भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित।
23. अधिसूचना सं० पी०-III/एडी० एम० आर०/11/16 (63) 79/ए० पी० दिनांक 14-12-1984 दिनांक 29-12-1984 को भारतीय राजपत्र के भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित।
24. अधिसूचना सं० पी०—4/2(9)83/सहायक/मुख्य लिपिक/ 15898, दिनांक 1-8-1986 दिनांक 16-8-1986 को भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हैं।

25. अधिसूचना सं० पी०-4/(13)/84/ए/20653, दिनांक 22-8-1986 दिनांक 6-9-1986।

26. अधिसूचना सं० पी-4/2/(4)/84/आर० आर० दिनांक 31-10-1986 दि० 15-11-1986 को भारत के राजपत्र भाग III खंड-4 में प्रकाशित ।

27. अधिसूचना सं० पी०-4/1/(4)/85, दिनांक 7-5-87 दिनांक 23-5-87 को भारत के राजपत्र में भाग III खंड-4 प्रकाशित ।

28. अधिसूचना सं० पी०-4/1/(4)/84ए० दिनांक 18-5-87 दिनांक 30-5-87 को भारत के राजपत्र भाग III खंड-4 में प्रकाशित।

29. अधिसूचना सं० पी०-4/14(1)/81/भाग, दिनांक 12-7-88 दिनांक 23-7-88 को भारत के राजपत्र भाग III खंड-4 में प्रकाशित ।

30. अधिसूचना सं० पी०-4/3(62)/85 दिनांक 26-10-1988 दिनांक 12-11-1988 को भारत के राजपत्र भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित ।

दिनांक 20 नवम्बर, 1989

सं० पी० IV/14(1)/81-वाल०-II—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-घ की उपधारा 7 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि एतद् द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा शर्तें) विनियम, 1962 में संशोधन कर के निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) ये विनियम कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा शर्तें) (दूसरा संशोधन), विनियम, 1989 कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. (क) कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा शर्तें) विनियम, 1962 की अनुसरणी-III के पैरा 3 में कालम सं० 3 के अन्तर्गत अपरश्रेणी लिपिक (मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय,), से संबंधित क्र०सं० 7 के लिए विभागीय परीक्षा पास करने पर पदोन्नति के माध्यम से 25 प्रतिशत कोटा आरक्षित करने के स्थान पर 50 प्रतिशत प्रतिस्थापित किया जाएगा ,

(ख) कालम 4 के अन्तर्गत परन्तुक को हटा दिया जायगा,

(ग) कालम सं० 3, और 4 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा की प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा,

(घ) अपर श्रेणी लिपिकों के पद के सम्बन्ध में तीसरी अनुसूची के परिशिष्ट में क्रम सं० 5 के सामने वर्तमान प्रविष्टियां (I) और (II) के स्थान स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"मट्रिक/एस० एस० एल० सी० अथवा इसकी समकक्ष योग्यता" ।

पाद टिप्पणी :

भारत के राजपत्र भाग-II, धारा 3(I) दिनांक 18 मई, 1962 में प्रकाशित मूल विनियम देखें, भा० भा० नि० सं० 691 ।

देखे संशोधित विनियम :

1. जी० एस० आर० सं० 1483, दिनांक 5 सितम्बर, 1963, 14-9-1963 को प्राकाशित ।
2. जी० एस० आर० सं० 592, दिनांक 31-3-1964, 11-4-1964 को प्रकाशित ।
3. जी० एस० आर० नं० 896, दिनांक 2 जून, 1966
4. जी० एस० आर० नं० 1824, 22 नवम्बर, 1966
5. जी० एस० आर० नं० 127, दिनांक 17 जनवरी, 1967
6. जी० एस० आर० नं० 127, दिनांक 28 जनवरी, 1967
7. जी० एस० आर० नं० 787, दिनांक 16 मई, 1970
8. जी० एस० आर०, नं० 1155, दिनांक अगस्त, 1971
9. जी० एस० आर० नं० 4602, दिनांक 30 अक्तूबर, 1971
10. जी० एस० आर० नं० 149, दिनांक 7 जनवरी 1972
11. जी० एस० आर० नं० 88, दिनांक 8-1-1972
12. जी० एस० आर० नं० 533, दिनांक 26-5-1973
13. जी० एस० आर० नं० 547, दिनांक 26-5-1973
14. जी० एस० आर० नं० 591, दिनांक 2-6-1973
15. जी० एस० आर० नं० 645, दिनांक 16-6-1973
16. सरकारी अधिसूचना सं० 19(30)/69, पी० एफ० आई० दिनांक 17-6-1975 ।
17. अधिसूचना सं० ए-12018/74-पी० एफ० आई०, दिनांक 25-8-1976
18. जी० एस० आर० नं० 645, दिनांक 16-6-1977
19. जी० एस० आर० नं० शून्य दिनांक 28-10-1987
20. अधिसूचना सं० एडी० एम० (आर-1(14)7/80/35813 दिनांक 23-2-1980 ।
21. जी० एस० आर० नं० शून्य दिनांक 7 नवम्बर, 1981 भारत के राजपत्र भाग-III खण्ड-4 में प्रकाशित।
22. अधिसूचना सं० नं० III/एडी एम आर-11/14(1)/81/79/69, दिनांक 12-1-1984, दिनांक 1-12-84 को भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित

23. अधिसूचना सं० पी-III/ए डी एम आर-11/16 (63)/79/ए० पी० दिनांक 14-12-84 दिनांक 29-12-84 को भारतीय राजपत्र के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित ।

24. अधिसूचना सं० पी-4/2(9)83/सहायक/मुख्य लिपिक/15898, दिनांक 1-8-86 दिनांक 16-8-86 को भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित हैं ।

25. अधिसूचना सं० पी/41(13)/84/ए/20653, दिनांक 22-8-1986 दिनांक 6-9-86 ।

26. अधिसूचना सं० पी०4/2(4)83/आर० आर० दिनांक 31-10-86 दिनांक 15-11-8 को भारत के राजपत्र, भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित ।

27. अधिसूचना सं० पी० 4/1(4)/85, दिनांक 7-5-87, दिनांक 23-5-87 को भारत के राजपत्र में भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित ।

28. अधिसूचना सं० पी-4/1(4)/85ए, दिनांक 18-5-87, दिनांक 30-5-87, को भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित ।

29. अधिसूचना सं० पी०-4/14(1)/81-/भाग, दिनांक 12-7-88 दिनांक 23-7-88 को भारत के राजपत्र, भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित ।

30. अधिसूचना सं० पी-4/3(62)/85, दिनांक 26-10-88, दिनांक 12-11-88 को भारत के राजपत्र, भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित ।

दिनांक 24 नवम्बर, 1989

सं० के० भ० नि० आ० /1(4) तमिलनाडु(70)89/24065—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नयोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें ।

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3
1.	मै० एलन इन्डस्ट्रीयल्स बी० के० रोड, पीलामेडु, कोयम्बटूर-641004	1-7-86
2.	मै० थियागी सुब्रामनिया शिवा हैन्डलूम वीवर्स को-आपरेटिव प्रोडक्शन एण्ड सेल्स सोसायटी, लिमिटेड, पौपारापट्टी-636809, धरमापुरी, डिस्ट्रिक्ट ।	1-7-88
3.	मै० जे० पी० मैटल प्रिटर्न्स, 1/24-ए, इडायारपालायाम रोड, सुन्दारा पुरम, कोयम्बटूर-641024 तथा इसका कार्यालय :- नं० 30, गिरिनगर, एर्नाकुलम-682020, केरल ।	1-12-88
4.	मै० ड्राइव वल प्रोडक्ट्स, एम० एफ० 407, मैसीनेट्टी पालायाम रोड, जोथी पुरम पोस्ट, कोयम्बटूर-641047	1-10-88
5.	मै० ट्रान्समिशन प्रोडक्ट्स, मद्रास आक्सीजन लिमिटेड के सामने, थेक्कुपालायाम पोस्ट, मेट्टुपालायाम रोड, कोयम्बटूर-641020	1-9-88
6.	मै० पौली कोट, 112-ए, गौन्डामपालायाम, थीरूवाल्लुवर ट्रान्सपोर्ट वर्कशाप के पीछे, कोयम्बटूर-641030	1-1-89
7.	मै० संध्या इन्डस्ट्रीज, 1058, मेट्टुपालायाम रोड, कोयम्बटूर-641002	1-9-87
8.	मै० निध्या इन्डस्ट्रीयल्स, 1058, मेट्टुपालायाम रोड, कोयम्बटूर-641002	1-9-87
9.	मै० बालाजी पेपर प्रोडक्ट्स, सिडको इन्डस्ट्रीयल ऐस्टेट, कोयम्बटूर-641021	1-9 87
10.	मै० कान्जी प्रसीजन-वर्कर्स (प्रा० लिमिटेड, 8/195, एस० पी० आर० भवनम्, कुनियामुथुर, कोयम्बटूर-641008 तथा इसका रजिस्टर्ड कार्यालय :- नं० 170, चन्द्रानगर, पालघाट-678007	1-7-87
11.	मै० धनलक्ष्मी मशीन टूल्स, एस० एफ० 542, गौन्डम पालायाम, मेट्टुपालायाम रोड, कोयम्बटूर-641030	1-11-88
12.	मै० प्रफैक्ट मेन्टेनैन्स सर्विस, 4, थीरूवाल्लुवर नगर, प्रेस कालोनी, कोयम्बटूर-641019	1-5-88
13.	मै० सेलवाम, ब्रीयलर्स (प्रा०) लिमिटेड, नं० 10, को-आपरेटिव कालोनी, गांधी नगर, नामक्कल-637002	1-11-88

1	2	3
14.	मै० रनेनामबिगाई मैट्रीकुलेशन स्कूल, पेरूर कोयम्बटूर-641010	1-12-88
15.	मै० वी० ए० टी० ट्रस्ट मैट्रीकुलेशन स्कूल, शिवासुब्रामनियम, चेट्टियार रोड तिरूप्पुर-638604	1-11-88
16.	मै० वेन्कटेसा इन्डस्ट्रीयल वर्क्स, 11/8-सी, टी० वी० एस० कालोनी, थडगम रोड, कोयम्बटूर-641025	1-8-88
17.	मै० तमिलनाडू इन्डस्ट्रीज, 25-ए-4, गुल्दानपेट, वेलूर (सालेम)-638182	1-10-88
18.	मै० वल्वेयर सिस्टम्स लिमिटेड, 58/1, तथा 59, पेड्डातालापल्ली, रोयाकोटा, रोड, कृष्णागिरि पोस्ट, धरमापुरी डिस्ट्रिक्ट तथा इसका कार्यालय: 1-ए, पीनिया इन्डस्ट्रियल एरिया, 11 फेज, बैंगलौर-560058	1-11-88
19.	मै० फूड पैकेजिंग कम्पनी, सरवना नगर, गौन्डामपालायाम, कोयम्बटूर-641030 तथा इसका आफिस: 247, मुल्लीवल स्ट्रीट, कोयम्बटूर-641001	1-5-88

अतः, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त, स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम, को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

सचिवालय

देहरादून, दिनांक 6 अक्तूबर 1989

सं० 17(11)/87-रेग—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 (1959 का 43) की धारा 32 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम 1975 का और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात :—

1. (1) ये विनियम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम 1988 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय गजट में उनके प्रकाशन की दिनांक से लागू होंगे।

2. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम 1975 में वरिष्ठता सिद्धान्त सम्बंधी उपाबंध II में :—

(क) पैरा "ए" के उप पैरा (4) के लिए निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

(4) सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में कार्य कर रहे ऐसे अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों को जिनका खुले विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए चयन किया गया है अथवा उन कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं आयोग द्वारा प्रतिनियुक्ति शर्तों पर बिना किसी खुले विज्ञापन के अभिप्राप्त की गई है और जिनकी नियुक्ति फोरेन सेवा शर्तों पर की गई है आयोग में उनकी वरिष्ठता निर्धारण करने के प्रयोजन से सीधा रिक्रूट समझा जाएगा।

ऐसे व्यक्तियों की एक बार निर्धारित की गई वरिष्ठता उनके मूल विभागों अथवा कार्यालयों से सेवा निवृत होने अथवा पद त्यागने से प्रभावित नहीं होगी, यदि सेवा निवृति अथवा पद त्याग के बाद वे आयोग के नियोजन में अंतिमतः खप जाते हैं। ऐसे मामलों में वरिष्ठता उनकी भर्ती के समय चयन समिति अथवा उस प्राधिकारी द्वारा निर्धारण किए गए के अनुसार होगी जिसने उनकी नियुक्ति, उनके मूल विभागों अथवा कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर उनकी सेवाएं अभिप्राप्त करते समय अनुमोदित की है तथापि उनको उस समय विद्यमान कर्मचारियों और उन व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची में नीचे रखा जाएगा जिन्हें उन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पहले ही जारी कर दिए गए हैं, जिन पर उनकी नियुक्ति की जा रही है।

(ख) "प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों" से सम्बन्धित पैरा "एफ" हटा दिया जाएगा।

एम० एल० कोरा,
सचिव, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

पाद टिप्पणी

मूल विनियमावली तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अधिसूचना सं०: 17(II)/69-रेग दिनांक शून्य के अधीन भारत सरकार के गजट भाग III सैक्शन 4 पृष्ठ 2142 से 2150 में दिनांक 13-12-75 को प्रकाशित हुआ था।

(1) अधिसूचना सं० 17(II)78-रेग दिनांक 6-2-1979, भारत सरकार के गजट-भाग-III सैक्शन 4 में दिनांक 17-2-1979 को प्रकाशित हुआ था।

(2) अधिसूचना सं० 17(II)/79-रेग दिनांक 13-9-1979 भारत सरकार के गजट भाग-III सैक्शन 4 में दिनांक 22-9-1979 को प्रकाशित हुआ था।

(3) अधिसूचना सं० 17(II)/79-रेग दिनांक 13-2-1981 भारत सरकार के गजट भाग-III सैक्शन 4 में दिनांक 21-2-1981 को प्रकाशित हुआ था।

पंजाब यूनिवर्सिटी

चंडीगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 1989

सं० 8-88/जी० आर०—केन्द्रीय सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने अपने पत्रांक एफ 15-2/89-डैस्क (यू), दिनांकित 5-9-1989 के अनुसार निम्नलिखित विनियमों को मंजूरी दे दी है :

1. कैलेंडर, भाग 1, 1986 के पृष्ठ 41 पर अध्याय II(ए)

(i) "द सीनेट" का विनियम 23.1 निम्नानुसार होगा :—

23.1 सिंडिकेट नीचे दिए अनुसार प्रतिवर्ष 6 सदस्यों की विनियम समिति (रेग्यूलेशन कमेटी) नियुक्त करेगी :

1. सिंडिकेट द्वारा नियुक्त चार सदस्य, जिनमें से एक इस समिति का चेयरमैन मनोनीत किया जाएगा।
2. परीक्षा-कंट्रोलर
3. रजिस्ट्रार (सदस्य-सचिव)

समिति की एकत्रता के लिए कोरम चार सदस्यों का होगा। विनियम बनाने अथवा इनका संशोधन करने के प्रस्ताव इस समिति द्वारा सिंडिकेट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे।

2, कैलेंडर भाग 1, 1985 के पृष्ठ 2.5 पर अध्याय VII (ई) "गैर-सरकारी" सम्बद्ध कालेजों में अध्यापकों की सेवा और आचरण की शर्तें" का विनियम 5 निम्नानुसार होगा :—

5. प्रिंसिपल/अध्यापक का सेवा-रिकार्ड और उसके काम और आचरण की वार्षिक गुप्त रिपोर्ट को नियमित रूप से रखा जाएगा। यदि रिपोर्ट ठीक न हो तो सम्बन्धित व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। वित्त वर्ष की पहली जुलाई में प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सेवा-पुस्तिका देखने का अधिकार होगा और सेवा-पुस्तिका देखने के प्रमाण के रूप में उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे।

नियत की गई नकलफीस की अदायगी करने के पश्चात, यदि कोई कर्मचारी सेवा-पुस्तिका की मांग करे, तो उसकी प्रमाणित कापी उसे प्रदान की जाएगी।

3. पंजाब यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कालेजों और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की अन्य यूनिवर्सिटियों से सम्बद्ध कालेजों में नियोजित फैकलटी सदस्यों के लिए, जिनका कारैस्पोंडेंस कोर्सिज निदेशालय में केवल एक साल के लिए पंजीयन हुआ है, आर्टस और भाषाओं की फैकलटियों में मास्टर आफ फिलासफी के लिए विनियम।

1. आर्टस और भाषाओं की फैकलटियों में मास्टर आफ फिलासफी की डिग्री के लिए परीक्षार्थी को पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और अन्य यूनिवर्सिटियों से सम्बद्ध कालेजों के नियोजित फैकलटी सदस्य होना और उसका कारैस्पोंडेंस कोर्सिज निदेशालय में पंजीयन होना आवश्यक है।

2.1 इस कोर्स की अवधि निम्नलिखित अनुसार तीन सिमैस्टर की होगी :—

(i) पहला सिमैस्टर : 1 अप्रैल से ग्रीष्म-अवकाश के अंत तक। यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम में नियत किए गए अनुसार इस सिमैस्टर में पहले सिमैस्टर के कोर्स को कक्षा-अध्यापन करवाया जाएगा।

(ii) दूसरा सिमैस्टर : 1 अप्रैल से अगले वर्ष के ग्रीष्म अवकाश तक। इस सिमैस्टर में पाठ्यक्रम के शेष भाग का कक्षा-अध्यापन करवाया जाएगा इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को उनके शोध-निबन्ध के काम में गहन निजी निरीक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

(iii) तीसरा सिमैस्टर : 1 मार्च से तीसरे वर्ष के ग्रीष्म अनुवर्ती अवकाश तक। यह सिमैस्टर केवल शोध-निबन्ध को निरीक्षक के निरीक्षण के अधीन, अंतिम रूप देने के लिए प्रदान किया जाएगा।

2.2 एम० फिल० के लिए प्रार्थक परीक्षार्थी अपना अध्ययन और शोध कार्य कारैस्पोंडेंस कोर्सिज निदेशालय में करेगा। उसको बोर्ड आफ कंट्रोल द्वारा अपना शोध कार्य चंडीगढ़ से बाहर किसी स्वीकृत शोध केन्द्र पर करने की अनुमति मिल सकती है, पर यह अवधि तीन महीने से अधिक की नहीं हो सकती।

2.3. परीक्षा-विधि निम्नानुसार होगी :—

		प्रत्येक कोर्स नीचे दिए विवरण के अनुसार 100 अंक का होगा।
(i) पहला सिमैस्टर एक अनिवार्य कोर्स दो वैकल्पिक कोर्स	गृह कार्यभार, टर्म पेपर आदि	20 अंक

5.(ii) दूसरा सिमैस्टर एक वैकल्पिक कोर्स	सिमैस्टर (बाहरी) परीक्षा	80 अंक
(iii) शोध-निबन्ध		200 अंक

प्रश्नपत्र निदेशालय के बोर्ड आफ कंट्रोल द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा अलग अलग तैयार किए जाएंगे और मूल्यांकन परीक्षकों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें एक बाहरी परीक्षक, सम्बन्धित निरीक्षक, निदेशालय में इस विषय का सब से सीनियर फैकलटी सदस्य और कारैस्पांडेंस कोर्सिज के निदेशक सम्मिलित होंगे ।

3.1 नियोजित (इन-सर्विस) फैकलटी सदस्य, जो एम० फिल० प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए परीक्षार्थी के तौर पंजीयन करवाना चाहता है, वह अधिसूचित तिथि तक और निश्चित फार्म पर कारैस्पांडेंस कोर्सिज निदेशालय में सम्बन्धित विभाग को प्रार्थनापत्र देगा ।

3.2 व्यक्ति सारे कोर्स के लिए 1000/– रूपये की फीस अदा करेगा ।

4. निदेशालय के बोर्ड आफ कंट्रोल द्वारा अनुमोदित शोध-निबन्ध का शीर्षक और निरीक्षक की नियुक्ति जाइंट रिसर्च बोर्ड को सूचित की जाएगी ।

5. परीक्षार्थी अनुमोदित तिथि के दो महीने की अवधि में अपने शोध-निबन्ध के शीर्ष के संशोधन के लिए मंजूरी के लिए प्रार्थनापत्र अपने निरीक्षक द्वारा बोर्ड आफ कंट्रोल को दे सकता है ।

6. जो परीक्षार्थी अपना शोध-निबन्ध तीन सिमैस्टरों में पूरा नहीं कर पाता वह समय विस्तार के लिए अपना प्रार्थनापत्र सम्बन्धित निरीक्षक के द्वारा दे सकता है । इस समय-विस्तार की अनुमति निदेशालय के बोर्ड आफ कंट्रोल द्वारा अधिकतम एक वर्ष तक दी जाएगी परन्तु यह एक बार में छः महीने से अधिक नहीं होगी । परीक्षार्थी के लिए समय-विस्तार की अवधि निदेशालय के सम्बन्धित विभाग में बितानी आवश्यक नहीं होगी ।

बशर्ते कि समय-विस्तार के लिए प्रत्येक प्रार्थनापत्र के साथ 25/– रूपये की फीस जमा करवानी पड़ेगी ।

7.1 शोध-निबन्ध की समाप्ति उपरांत परीक्षार्थी इसकी तीन मुद्रित/टाईप की हुई कापियां और शोध-निबन्ध का सारांश और 60/– रूपये की फीस जमा करवाएगा ।

7.2 परीक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा की दाखिला फीस 70/– रूपये प्रति सिमैस्टर होगी ।

8. परीक्षार्थी को एम० फिल० डिग्री के लिए अपने शोध निबन्ध को प्रस्तुत करने की आज्ञा तभी दी जाएगी यदि उसका निरीक्षक यह प्रमाणित करे कि प्रस्तुत किया गया शोध, निबन्ध एम०फिल० डिग्री प्रदान करने के लिए विचारने योग्य है । यदि कोई परीक्षार्थी नियत कोर्स/कोर्सों में पास नहीं हो पाता और शोध-निबन्ध में पास अंक प्राप्त कर लेता है, तो यदि परीक्षार्थी ऐसा चाहे तो शोध-प्रबन्ध के नए मूल्यांकन के बगैर, शोधनिबन्ध में प्राप्त किए अंकों को आगे लिखा जा सकता है ।

9. परीक्षार्थी अपने शोध-निबन्ध में किसी पुस्तक का कारतत्व सम्मिलित कर सकता है जो इस विषय पर उसने प्रकाशित की हो और इसकी सूचना वह निरीक्षक को देगा परन्तु यह अपना शोध-प्रबन्ध किसी ऐसी पुस्तक पर प्रस्तुत नहीं कर सकेगा जिसके लिए इस या किसी अन्य यूनिवर्सिटी ने उसको या किसी अन्य व्यक्ति को पहले ही डिग्री प्रदान की हो ।

10. एम० फिल० डिग्री के लिए परीक्षार्थी परिणाम की घोषणा के पश्चात अपना काम प्रकाशित कर सकता है ।

11. शोध-निबन्ध का मूल्यांकन दो परीक्षकों द्वारा किया जाएगा ।

(i) बाहरी परीक्षक जिस निदेशालय के बोर्ड आफ कंट्रोल की सिफारिश पर कुलपति नियुक्त करेगा और (ii) सम्बन्धित निरीक्षक बाहरी परीक्षक अपनी रिपोर्ट में यह दिखाएगा कि :—

(क) क्या शोध-निबन्ध को (i) स्वीकार किया जाए
(ii) संशोधन उपरांत पुनर्प्रस्तुत किया जाए
(iii) अस्वीकार किया जाए ।

(ख) यदि शोध-निबन्ध के स्वीकार करने में दो परीक्षकों में मतभेद हो, तो कुलपति यह शोध-निबन्ध किसी तीसरे परीक्षक को भेजेगा जिसकी नियुक्ति वह आप करेगा । इस परीक्षक का निर्णय अंतिम होगा ।

12. यदि शोध-निबन्ध दो परीक्षकों बाहरी और निरीक्षक ने स्वीकार कर दिया हो, तो परीक्षार्थी परीक्षक-बोर्ड के सामने इसका समर्थन करेगा जिसमें (i) (बाहरी परीक्षक) जिसने उसके शोध-निबन्ध का मूल्यांकन किया है, (ii) कारैस्पांडेंस कोर्सिज का निदेशक (iii) विभाग का कोआर्डिनेटर (सम्बन्धित निरीक्षक सम्मिलित होंगे । बाहरी परीक्षक के मौखिक परीक्षा लेने के अयोग्य होने की हालत में, उसके स्थानापन्न की नियुक्ति कारैस्पांडेंस कोर्सिज के निदेशक की सिफारिश पर कुलपति करेगा । परीक्षक-बोर्ड शोध-निबन्ध के मूल्यांकन को संख्यात्मक अंकों तबदील करके अंतिम रूप देगा । यह शोध-निबन्ध पर सामान्य रिपोर्ट भी पेश करेगा ।

यदि परीक्षार्थी को शोध-निबन्ध का संशोधन करने की जरूरत पड़े, उसको इसे उस तिथि के छः महीने के अंदर पेश करना पड़ेगा जिस तिथि को उसे यह निर्णय सूचित किया गया हो ।

13. परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक निम्नानुसार होंगे :—

(क) प्रति पेपर में 45 प्रतिशत

(ख) कुल जोड़ में 50 प्रतिशत

14. सफल परीक्षार्थियों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाएगा :–

(क) जो कुल अंकों के 70 प्रतिशत या ...... फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन सहित
अधिक अंक प्राप्त करते हैं

(ख) जो कुल अंकों के 60 प्रतिशत या.....फर्स्ट डिवीजन
अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं।

(ग) जो कुल अंकों के 60 प्रतिशत से......सैकन्ड डिवीजन
कम अंक प्राप्त करते हैं।

15. जो परीक्षार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है अथवा कोर्सिज पूरे करके परीक्षा में बैठ नहीं सकता उसे एम० फिल० कोर्स के शुरू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर दो लगातार अवसरों में, लैक्चरों के लिए कोर्स में उपस्थित होने के बगैर निर्धारित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

16. इन नियमों और अधिनियमों की व्यवस्था के अधीन परीक्षा-कंट्रोलर परीक्षक-बोर्ड के निर्णय की प्राप्ति उपरांत परिणाम घोषित करेगा।

17. निदेशालय के परीक्षार्थी, जिनको एम०फिल० की डिग्री प्रदान कर दी गई हो अथवा एम०फिल० का परीक्षार्थी जिसको निदेशालय के कंट्रोल-बोर्ड ने पी० ऐच० डी० डिग्री के पंजीयन के लिए योग्य मान लिया है, द्वारा गुजारा वास्तविक समय जोइंट रिसर्च बोर्ड द्वारा पी०एच०डी० रिसर्च के न्यूनतम काल में शामिल किये जाने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे परीक्षार्थी पी०एच०डी० विनियमों के अनुसार कम से कम 30/36 सप्ताह की रिहाइश के सम्बन्ध में आनुपातिक समय माफी से छूट के योग्य होंगे।

4. कैलेंडर, भाग II के शिक्षा की 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी०ए०/बी०एस० सी० (जनर्ल और आनर्ज) और बी० काम० (जनर्ल और आनर्ज) परीक्षाओं के लिए विनियम (1988 के दाखिलों से लागू) निम्नानुसार होंगे :—

1. शिक्षा की 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत बी०ए० बी०एस० सी० (जनर्ल और आनर्ज) 1988 के दाखिलों से 3 वर्षीय संघटित डिग्री कोर्स होगा।

बी०ए० (जनर्ल)

2.1 (क) बी०ए० (जनर्ल) अध्ययन प्रोग्राम में 24 क्रैडिट होंगे और प्रत्येक क्रैडिट 100 अंक के बराबर होगा। पूर्ण शैक्षिक वर्ष में पढ़ा विषय 2 क्रैडिट का होगा। सभी थिअरी पेपर और प्रैक्टिकल, चाहे इनका क्रैडिट मूल्य कुछ भी हो, पूरे शैक्षिक वर्ष के दौरान पढ़े जायेंगे।

(ख) 24 क्रैडिटों में से, प्रत्येक विद्यार्थी "भाषा—संप्रेषण कौशल के रूप में" से सम्बन्धित 6 क्रैडिट के कोर्स करेगा जो प्रत्येक वर्ष में 2 क्रैडिट के हिसाब निम्नानुसार होंगे :—

पहला वर्ष

(i) अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल के रूप में	एक क्रैडिट
(ii) संप्रेषण कौशल के रूप में हिन्दी/पंजाबी और/कोई यूरोपीय (अंग्रेजी से भिन्न) अथवा भारतीय भाषा	एक क्रैडिट

दूसरा वर्ष

(i) संप्रेषण कौशल के रूप में अंग्रेजी भाषा	एक क्रैडिट
(ii) संप्रेषण कौशल के रूप में हिन्दी/पंजाबी/कोई यूरोपीय (अंग्रेजी से भिन्न) अथवा भारतीय भाषा	एक क्रैडिट

तीसरा वर्ष

(i) संप्रेषण कौशल के रूप में अंग्रेजी भाषा	एक क्रैडिट
(ii) संप्रेषण कौशल के रूप में हिन्दी/पंजाबी/कोई यूरोपीय (अंग्रेजी से भिन्न) अथवा भारतीय भाषा	एक क्रैडिट

दो संप्रेषण कौशल पेपर मिलाकर प्रत्येक वर्ष में एक विषय बनेगा। परीक्षार्थी को विनियमों में प्रस्तावित किए गए अनुसार प्रत्येक पेपर में अलग अलग तौर पर पास-अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं।

(ग) शेष 18 क्रैडिटों में से, 16 क्रैडिट इलैक्टिव विषयों के अध्ययन के लिए निम्नानुसार प्रयोग किए जायेंगे :—

पहला वर्ष :— प्रत्येक दो क्रैडिटों के तीन इलैक्टिव विषय।

दूसरा वर्ष :—प्रत्येक 2 क्रैडिटों के तीन इलैक्टिव विषय (वही विषय जो पहले वर्ष में थे)।

तीसरा वर्ष :—प्रत्येक 2 क्रैडिटों के ऊपर दिए गए तीन इलैक्टिव विषयों में से दो विषय।

इलैक्टिव विषयों के चयन में विद्यार्थियों को उचित स्वतंत्रता खुले प्राप्त होगी।

बी० ए० परीक्षा के लिए विद्यार्थी को आर्टस फैकल्टी से तीन इलैक्टिव विषय अथवा दो इलैक्टिव विषय आर्टस फैकल्टी से और एक इलैक्टिव विषय साईंस फैकल्टी से लेने पड़ेंगे।

बशर्ते कि ऐसा विद्यार्थी कोई भी साइंस विषय, समेत गणित-शास्त्र के, तभी ले सकेगा यदि उसने यह विषय योग्य- प्रदायी परीक्षा में पास किया हो अथवा इस विषय को दाखिला वर्ष की अनुपूरक परीक्षा में सम्बन्धित बोर्ड/यूनिवर्सिटी/काउंसिल से न्यून/अतिरिक्त विषय के रूप में पास किया हो।

आगे बशर्ते कि विद्यार्थी लेगा :—

(क) सांख्यकी केवल तब यदि वह गणित विज्ञान और एक आर्टस विषय लेता है।

(ख) व्यवहारिक सांख्यकी केवल तब यदि गणित विज्ञान को छोड़कर दो आर्टस विषय लेता है।

(ध) शेष दो क्रैडिटों के लिए, प्रत्येक विद्यार्थी तीसरे वर्ष में जर्नल साइंस और वैज्ञानिक विधि में एक एक क्रैडिट के दो कोर्स पढ़ेगा।

(च) ऊपर (ग) में दिए गए अनुसार, एक शैक्षिक वर्ष पेपढ़ें में जाने वाले इलैक्टिव विषय के लिए निर्धारित दो क्रैडिट, प्रत्येक एक एक क्रैडिट के दो पेपरों में पूरे किये जायेंगे। परन्तु उन विषयों में जिन में प्रैक्टिकल होते ह जैसे कि भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, संगीत आदि, विषय की आवश्यकता के अनुसार एक/दो थिअरी पेपर और एक या अधिक प्रैक्टिकल होंगे। थिअरी पेपर और प्रैक्टिकल मिलाकर 2 क्रैडिट के मूल्य के होंगे। जैसे कि विनियमों में व्यवस्था की गई है, परीक्षार्थी को थिअरी पेपरों और प्रैक्टिकलों में अलग अलग तौर पर पास-अंक प्राप्त करने पड़ेंगे।

बी०एस सी० जर्नल

2.2(क) बी० एस सी० अध्ययन प्रोग्राम 24 क्रैडिटों का होगा और प्रत्येक क्रैडिट 100 अकों के बराबर होगा। पूर्ण शैक्षिक वर्ष के दौरान पढ़े जाने वाले विषय के 2 क्रैडिट होगें। सभी थिअरी पेपर और प्रैक्टिकल सारे शैक्षिक वर्ष में पढ़े जाएंगे, चाहे उनका क्रैडिट मूल्य कुछ भी हो।

(ख) प्रत्येक विद्यार्थी 24 क्रैडिटों में से 4 क्रैडिट का "सप्रेषण कौशल के रूप में भाषा से सम्बन्धित कोर्स, 2 क्रैडिट का पहले वर्ष में और 2 क्रैडिट का दूसरे वर्ष में निम्नानुसार करेगा :—

पहला वर्ष

(i) संप्रेषण कौशल के रूप में—अंग्रेजी भाषा एक क्रैडिट

(ii) संप्रेषण कौशल के रूप में—हिन्दी/ पंजाबी/कोई यूरोपीय (अंग्रेजी से भिन्न) अथवा भारतीय भाषा एक क्रैडिट

दूसरा साल

(i) संप्रेषण कौशल के रूप में—अंग्रेजी भाषा एक क्रैडिट

(ii) संप्रेषण कौशल के रूप में— हिन्दी/पंजाबी/ कोई यूरोपीय (अंग्रेजी से भिन्न) अथवा भारतीय भाषा एक क्रैडिट

दो संप्रेषण कौशल पेपर मिलाकर प्रत्येक वर्ष में एक विषय बनेगा। परीक्षार्थी को विनियमों में प्रस्तावित किए गए अनुसार प्रत्येक पेपर में अलग-अलग तौर पर पास-अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं।

(ग) शेष 20 क्रैडिटों में से 18 क्रैडिटों का प्रयोग तीन इलैक्टिव विषयों की पढ़ाई के लिए किया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 6 क्रैडिट कोर्सिज़ निम्नानुसार लिए जाएंगे :—

पहला वर्ष :— 2 क्रैडिट प्रति विषय के (हिसाब तीन इलैक्टिव विषय।

दूसरा वर्ष :— 2 क्रैडिट प्रति विषय के हिसाब तीन इलैक्टिव विषय (वही विषय जो पहले वर्ष में थे)

तीसरा वर्ष :— 2 क्रैडिट प्रति विषय के हिसाब तीन इलैक्टिव विषय (वही विषय जो पहले और दूसरे वर्षों में थे)

इलैक्टिव विषयों के चयन में विद्यार्थियों को उचित स्वतन्त्रता और खुली होगी।

बी० एससी० के विद्यार्थी को उन द्वारा लिए तीन इलैक्टिव विषयों में से (भूविज्ञान, भूगोल विज्ञान और मानव-विज्ञान को छोड़कर) योग्यता प्रदायी परीक्षा में कम से कम विज्ञान के दो विषयों में पास होना चाहिए।

बशर्ते कि विद्यार्थी

(i) जिसने जीव विज्ञान लिया है, वह शरीर विज्ञान ले सकता है।

(ii) जिसने कृषि विज्ञान लिया है, वह जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या दोनों ही ले सकता है।

(iii) जिसने जीव विज्ञान लिया है, वह जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या शरीर विज्ञान या रासायनिकी ले सकता है।

(iv) जिसने शरीर विज्ञान लिया है, वह मानव शरीर रचना-विज्ञान ले सकता है।

(v) वह सूक्ष्म जैविकी केवल तभी ले सकता है यदि वह नीचे दिए विषय लेता है :—

(क) रासायनिकी या जीव रासायनिकी

(ख) वनस्पति विज्ञान या जंतुविज्ञान या शरीर विज्ञान या मानव शरीर रचना विज्ञान।

(vi) (i) सांख्यकी केवल तभी लेगा यदि वह गणित-विज्ञान के साथ एक विज्ञान का विषय लेता है।

(ii) व्यावहारिक सांख्यकी तभी लेगा यदि वह गणित विज्ञान को छोड़कर दो विज्ञान के विषय ले।

आगे बशर्ते कि ऐसा विद्यार्थी गणित विज्ञान तभी ले सकेगा यदि उसने यह विषय योग्यता प्रदायी परीक्षा में पास किया हो अथवा इस विषय को दाखिला वर्ष की अनुपूरक

परीक्षा में सम्बन्धित बोर्ड/यूनिवर्सिटी/काउंसिल से न्यून/अतिरिक्त विषय के रूप में पास किया हो।

(घ) शेष दो क्रैडिटों के लिए प्रत्येक विद्यार्थी तीसरे वर्ष में समाज विज्ञानों और मानविकियों में एक-एक क्रैडिट के दो कोर्स पढ़ेगा।

(च) ऊपर (ग) में दिए गए अनुसार, एक शैक्षिक वर्ष में पढ़े जाने वाले इलैक्टिव विषय के लिए निर्धारित दो क्रैडिट, प्रत्येक एक-एक क्रैडिट के दो पेपरों में पूरे किए जायेंगे, परन्तु उन विषयों में, जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं, जैसा कि भूगोल विज्ञान, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान संगीत आदि, विषय की आवश्यकता के अनुसार एक/दो थिअरी पेपर और प्रैक्टिकल मिलाकर 2 क्रैडिट के मूल्य के होंगे। जैसा कि विनियमों में व्यवस्था की गई है, परीक्षार्थी को थिअरी पेपरों और प्रैक्टिकलों में अलग-अलग तौर पर पास-अंक प्राप्त करने पड़ेंगे।

बी० ए० (आनर्ज)

3.1. (क) बी० ए० (आनर्ज) अध्ययन-प्रोग्राम में 28 क्रैडिट होंगे और प्रत्येक क्रैडिट 100 अंकों के बराबर होगा। सारे शैक्षिक वर्ष के लिए विषय के लिए 2 क्रैडिट होंगे। सभी थिअरी पेपर और प्रैक्टिकल, चाहे उनका क्रैडिट मूल्य कोई भी हो, पूरे शैक्षिक वर्ष में पढ़ा जायेगा।

कोई भी विद्यार्थी उस द्वारा लिए तीन इलैक्टिव विषयों में से किसी एक में आनर्ज ले सकता है परन्तु शर्त यह है कि उसने बी०ए० (जर्नल) कोर्स की पहले वर्ष की परीक्षा में सम्बन्धित विषय में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।

(ख) 28 क्रैडिटों में से, प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष में निम्नानुसार कोर्स करेगा :—

पहला वर्ष :—बी०ए० (जर्नल) के पहले वर्ष की तरह
(8 क्रैडिट)

दूसरा वर्ष :—बी०ए० (जर्नल) के दूसरे वर्ष की तरह ही। (इसके अतिरिक्त, जिस विषय में वह आनर्ज डिग्री करना चाहता है, उसमें एक-एक क्रैडिट के दो उच्च पेपर होंगे।
(10 क्रैडिट)

तीसरा वर्ष :—बी०ए० (जर्नल) के तीसरे वर्ष की तरह ही, परन्तु अन्तर इतना ही होगा कि दो इलैक्टिव विषयों में से एक विषय वह होगा, जिसमें विद्यार्थी आनर्ज कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आनर्ज के विषय में एक एक क्रैडिट के दो उच्च पेपर होंगे।

तीसरे वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी जर्नल और वैज्ञानिक विधि में एक-एक क्रैडिट के दो कोर्स पढ़ेगा।

(ग) ऊपर (i) में दिए गए अनुसार, एक शैक्षिक वर्ष में पढ़े जाने वाले इलैक्टिव विषय के लिए निर्धारित दो क्रैडिट एक एक क्रैडिट के दो पेपरों में पूरे किए जायेंगे। परन्तु उन विषयों में जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं जैसा कि भूगोल विज्ञान, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, संगीत आदि, विषय की आवश्यकता के अनुसार एक दो थिअरी पेपर और एक या अधिक प्रैक्टिकल होंगे। थिअरी पेपर और प्रैक्टिकल मिलाकर 2 क्रैडिट के मूल्य के होंगे। जैसा कि विनियमों में व्यवस्था की गई है, परीक्षार्थी को थिअरी पेपरों और प्रैक्टिकलों में अलग-अलग तौर पर पास अंक प्राप्त करने पड़ेंगे।

(घ) बी०ए० परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने वाला योग्य परीक्षार्थी बी०ए० (जर्नल) में लिए विषयों में से किसी में भी आनर्ज के पेपर दे सकता है बशर्ते कि वह ऊपर (क), (ख) और (ग) में निर्धारित शर्तें पूरा करता हो।

बी० एस सी० (आनर्ज)

3.2. (क) बी०एससी० (आनर्ज) अध्ययन-प्रोग्राम 26 क्रैडिट का होगा और एक क्रैडिट 100 अंक के बराबर होगा। सारे शैक्षिक वर्ष के दौरान में पढ़ा गया विषय में क्रैडिट का होगा। सभी थिअरी पेपर और प्रैक्टिकल, चाहे उनका क्रैडिट मूल्य कुछ भी हो, सारे शैक्षिक वर्ष में पढ़े जायेंगे।

कोई विद्यार्थी उस द्वारा लिए गए तीन इलैक्टिव विषयों में से किसी एक विषय में आनर्ज ले सकता है, बशर्ते कि उसने बी० एस सी० (जर्नल) कोर्स की पहले वर्ष की परीक्षा में सम्बन्धित विषय में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।

(ख) 26 क्रैडिटों में से, प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष निम्नानुसार कोर्स करेगा :—

पहला वर्ष :—बी० एस सी० के पहले वर्ष की तरह ही।
(8 क्रैडिट)

दूसरा वर्ष :—बी० एस सी० के दूसरे वर्ष की तरह ही। इसके अतिरिक्त, जिस विषय में वह आनर्ज डिग्री करना चाहता है, उसमें एक उच्च पेपर एक क्रैडिट का होगा।
(9 क्रैडिट)

तीसरा वर्ष :—दो इलैक्टिव विषय जिनमें से एक विषय वह होगा जिसमें विद्यार्थी आनर्ज कर रहा है। इसके अलावा आनर्ज के विषय में एक-एक क्रैडिट के तीन उच्च पेपर होंगे।

तीसरे वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी समाज विज्ञानों और मानविकियों में एक-एक क्रैडिट के दो कोर्स पढ़ेगा।
(9 क्रैडिट)

(ग) ऊपर (ख) में दिए गए अनुसार, एक शैक्षिक वर्ष में पढ़े जाने वाले इलैक्टिव विषय के लिए निर्धारित दो क्रैडिट एक-एक क्रैडिट के दो पेपरों में पूरे किए जायेंगे। परन्तु उन विषयों में जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं जैसा कि भूगोल विज्ञान, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, संगीत आदि, विषय की आवश्यकता के अनुसार एक/दो थिअरी पेपर और एक या अधिक प्रैक्टिकल होंगे। थिअरी पेपर और प्रैक्टिकल मिलाकर 2 क्रैडिट के मूल्य के होंगे। जैसी कि विनियमों में व्यवस्था की गई है, परीक्षार्थी को थिअरी पेपरों और प्रैक्टिकलों में अलग-अलग तौर पर पास-अंक प्राप्त करने पड़ेंगे।

4.1 जिस व्यक्ति ने नीचे दी गई परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की है, वह इस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किसी कालेज में बी० ए० अथवा बी० एससी० (जनर्ल और आनर्ज) के पहले वर्ष में दाखिल हो सकता है :—

(i) पंजाब यूनिवर्सिटी की बी० ए०/बी० एससी०/बी० काम भाग I (पुरानी स्कीम)/प्री मैडिकल/प्री इंजीनियरिंग/इंटरमीडिएट आर्टस (साइंस/कृषि, परीक्षा,

(ii) मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ बोर्ड/ काउंसिल की शिक्षा की 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत +2 परीक्षा

(iii) कोई अन्य परीक्षा जिसको यूनिवर्सिटी ने ऊपर दिए हुए (i) और (ii) के बराबर मान लिया हो।

बशर्ते कि :—

(i) बी० एस सी० कोर्स में दाखिल होने वाले व्यक्ति ने योग्यता प्रदायी परीक्षा में कुल अंकों के कम से कम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

(ii) बी० एस सी० कोर्स में दाखिल होने वाले व्यक्ति को, भूविज्ञान भूगोल विज्ञान और मानव-विज्ञान के विषयों को छोड़कर, उस द्वारा लिए जाने वाले इलैक्टिव विषयों में से योग्यताप्रदायी परीक्षा में कम से कम दो साइंस विषयों में पास होना जरूरी है। विनियम 2.2(ग) में निर्धारित शर्तों के अधीन वह तीसरा इलैक्टिव विषय फैकलटी आफ साइंस अथवा साइंस आफ आर्टस से ले सकता है।

4.2. जिस व्यक्ति ने नीचे दी हुई परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की है, वह बी० ए०/बी० एससी० (जनर्ल और आनर्ज) कोर्स, की दूसरे/तीसरे वर्ष की कक्षा जैसी भी स्थिति हो में दाखिला ले सकता है—

(क) पंजाब यूनिवर्सिटी की बी०ए०/बी० एससी० पहला/दूसरा वर्ष (जर्नल/आनर्ज) परीक्षा।

(ख) कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (कुरुक्षेत्र) या पंजाबी यूनिवर्सिटी (पटियाला) की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (अमृतसर) या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (शिमला) या महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (रोहतक) की शिक्षा की 10+2+3 पद्धति के अधीन बी० ए०/बी०एससी० पहले वर्ष या दूसरे वर्ष की परीक्षा बशर्ते कि वह बी०ए०/बी० एससी० पहले वर्ष या दूसरे वर्ष की परीक्षा के लिए विषय ही ले और ये विषय पंजाब यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हों। बी०ए०/बी० एससी० की पहले वर्ष या दूसरे वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंक, जैसी भी स्थिति हो, उसकी डिवीजन के लिए गिने जायेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित परीक्षा में प्राप्त अंक, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित अधिकतम अंकों के अनुसार, अधिकतम अंकों को बढ़ाकर या घटाकर ठीक किए जायेंगे।

आगे बशर्ते कि बी० एससी० कोर्स में दाखिल होने वाले व्यक्ति को ऊपर (ख) में दी गई परीक्षा के कुल अंकों में 40 प्रतिशत से कम अंक नहीं प्राप्त करने चाहिएं।

4.3 बी० ए० (जर्नल) परीक्षा उस व्यक्ति के लिए खुली होगी जिसको कैलेंडर, भाग दो के अध्याय। "प्राइवेट परीक्षार्थी" में सम्मिलित प्राइवेट परीक्षार्थियों से सम्बन्धित विनियमों के अधीन अनुमति दी गई हो, बशर्ते कि वह विनियम 4 की शर्तें पूरी करता हो।

5. सैनिक कर्मचारी/कोई अन्य सरकारी कर्मचारी और उनके पुत्र/पुत्रियां जिन्होंने किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बी० ए०/बी० एससी० के पहले दूसरे वर्ष की परीक्षा पास की है और जिसकी बी० ए०/बी० एससी० (फाइनल) परीक्षा को इस यूनिवर्सिटी की बी० ए०/बी० एससी० समान मान्यता प्राप्त है, जिनकी इस यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र में पढ़ रहे किसी स्थान पर बदली हो जाती है, उनको अपनी बदली पर या सैनिक कर्मचारी के पति/पत्नी की बदली पर किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की बदली पर या पुत्र/पुत्रियां की हालत में अपने मां बाप या संरक्षकों की बदली होने पर बी० ए०/ बी० एससी० के दूसरे वर्ष/तीसरे वर्ष में दाखिल होने की अनुमति दी जा सकती है, यदि लिए गए विषय/कोर्स वही हों जो यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यदि विषयों/कोर्सों में कोई कमी है, तो उसे न्यून विषयों/कोर्सों, यदि कोई हों, को आगामी दो लगातार परीक्षाओं में पास करना पड़ेगा। यदि वह न्यून/विषयों/कोर्सों में फेल हो जाता है, तो उसका बी०ए०/बी०एससी० दूसरा वर्ष/तीसरा वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, का परिणाम रद्द समझा जायेगा।

तीसरे वर्ष की परीक्षा पास करने पर, अन्य यूनिवर्सिटी में पहले वर्ष/दूसरे वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंक उसकी डिवीज़न में शामिल किए जायेंगे और सम्बन्धित परीक्षा में प्राप्त अंकों को, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित अधिकतम अंकों के अनुसार अधिकतम अंकों को बढ़ा कर या घटा कर ठीक कर लिया जायेगा।

6. महिला परीक्षार्थी, जो अन्य यूनिवर्सिटी से बी० ए० पहले वर्ष/दूसरे वर्ष की परीक्षा पास करके इस यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र में पढ़ रहे किसी स्थान पर स्थानांतरण कर लेती है, और उस यूनिवर्सिटी की बी०ए०/बी० एससी० (फाइनल) परीक्षा को इस यूनिवर्सिटी की बी० ए०/बी० एससी० परीक्षा के समानांतर मान्यता प्राप्त है, को प्राइवेट रूप में बी० ए० दूसरा वर्ष/तीसरा वर्ष की परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। वह विनियम 5 द्वारा विनियमित हो

7. पहले/दूसरे /तीसरे वर्ष की परीक्षा उस विद्यार्थी के लिए खुली होगी जिसने

(क) कम से कम एक शैक्षिक वर्ष पहले, विनियम 4 में निर्धारित योग्यता प्रवायी परीक्षा पास कर ली है।

(ख) जिसने जिस कालेज में वह हाल ही में पढ़ता था, उसके प्रिंसीपल द्वारा अपना नाम परीक्षा-कंट्रोलर को भेज दिया है और वह कालेज के प्रिंसीपल द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।

(i) परीक्षा के पूर्व के शैक्षिक वर्ष के लिए सम्बद्ध कालेज में हाजिर रहने का,

(ii) लिए गए विषयों में प्रत्येक में उसकी क्लास को दिए लैक्चरों के पूरे कोर्स के कम से कम 66 प्रतिशत लैक्चर (कोर्स की गणना अन्तिम तिथि तक होगी जब क्लासों को तैयारी छुट्टियां होती हैं) और (ग) प्रत्येक साइंस विषय या मनोविज्ञान प्रैक्टिकल काम के लिए नियत पीरियडों के 66 प्रतिशत पीरियड, या भूगोल की हालत में नक्शे का काम और प्रैक्टिकल और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा सुरक्षा अध्ययन के विषय में कम से कम 80 प्रतिशत पीरियडों में हाजिर रहने का,

(iii) सितम्बर और दिसम्बर में हुई दोनों हाऊस परीक्षाओं के परिणामों को मिलाकर, सभी विषयों के कुल अंकों के कम से कम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का।

व्याख्या :--हाऊस परीक्षा में प्रत्येक विषय के 100 अंक होंगे। बशर्ते कि कालेज का प्रिंसीपल अपने निर्णय से उन परीक्षार्थियों के लिए जो ऊपर (iii) में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करते, फरवरी के तीसरे सप्ताह में विशेष टैस्ट रख सकता है विद्यार्थी को परीक्षा के लिए दाखिला भेजने के योग्य होने के लिए, तीनों इलैक्टिव विषयों के कुल अंकों में से कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिएं।

8. कालेज के प्रिंसीपल को प्रत्येक विषय में दिए कुल लैक्चरों और हुए पीरियडों का अलग अलग तौर पर 10 प्रतिशत की कमी को माफ करने का अधिकार है।

9. वायु सेना की नियमित शस्त्रबद्ध सेना के सदस्यों को, किसी सम्बद्ध कालेज में निश्चित परेडों में उपस्थिति रहने के बगैर ही प्राइवेट परीक्षार्थियों के रूप में डिफेंस-स्टडीज के विषय को लेने की अनुमति दी जाती है।

10. यूनिवर्सिटी द्वारा पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की परीक्षायें साधारणतया सिंडीकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर निम्नानुसार होंगी :--

पहला और दूसरा वर्ष	साल में एक बार अप्रैल में
तीसरा वर्ष	साल में दो बार--अप्रैल और सितम्बर में।

कम्पार्टमैंट वाले परीक्षार्थियों के लिए, अनुपूरक परीक्षा उसी वर्ष के साधारणतया सितम्बर के महीने में सिंडीकेट द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी।

11. सिंडीकेट द्वारा निश्चित, परीक्षा फार्म और फीस लेट फीस के बगैर और सहित लेने की अन्तिम तिथि को परीक्षा-कंट्रोलर द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

12. परीक्षार्थी परीक्षा के लिए अपने दाखिले का प्रार्थनापत्र नियत फार्म पर निम्नलिखित अधिकारियों से प्रतिहस्ताक्षरित आवश्यक प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत करेगा :--

(i) कालेज का प्रिंसीपल : सम्बद्ध कालेज के विद्यार्थी की हालत में

(ii) उस कालेज का प्रिंसीपल : लेट कालेज विद्यार्थी की हालत में जिसमें वह पहले पढ़ा हो।

परीक्षा कंट्रोलर 600 से अधिक विद्यार्थियों वाले कालेज के प्रिंसीपल को अधिकृत कर सकता है कि वह परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्मों को प्रमाणित करने का अधिकार अध्यापन स्टाफ के सीनियर सदस्य के सुपुर्द कर दें।

(iii) अन्यथा प्राप्त महिला : सम्बन्धित कालेज के प्रिंसीपल द्वारा कालेज के विद्यार्थी जिसके अपने विद्यार्थियों को प्राइवेट परीक्षार्थियों के रूप में भेजने की अनुमति प्राप्त हो।

(iv) अन्य प्राइवेट परीक्षार्थियों की हालत में निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा :--

(क) मान्यता प्राप्त हायर सैकेन्ड्री स्कूल का मुख्याध्यापक

या

(ख) सम्बद्ध कालेज का प्रिंसीपल

या

(ग) यूनिवर्सिटी अध्यापन विभाग का चेयरमैन

या

(घ) जिला अथवा सर्कल शिक्षा अधिकारी

या

(च) दिल्ली के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा कंट्रोलर द्वारा अधिकृत व्यक्ति ।

या

(छ) सैनिक कर्मचारी की हालत में उसके यूनिट का कमांडिंग आफीसर

या

(ज) पूर्णकाली लाइब्रेरियनों और लाइब्रेरी क्लर्कों की हालत में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी का अध्यक्ष

या

(झ) पंजाब यूनिवर्सिटी का फैलो

या

(ट) कुलपति की सिफारिश पर सिंडिकेट द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ।

13. परीक्षार्थी द्वारा अदा की जाने वाली दाखिला फीस की राशि होगी :—

	कालेज परीक्षार्थी	प्राईवेट परीक्षार्थी
	रु०	रु०
(i) बी०ए० पहला वर्ष/दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष) (जर्नल)	75	100
(ii) बी०एससी० पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष (जर्नल)	100	125
(iii) बी०ए० अतिरिक्त विषय		50 एक विषय के लिए 100 एक से अधिक विषयों के लिए
(iv) बी०ए० दूसरा वर्ष/ तीसरा वर्ष (जर्नल और आनर्ज)	125	150
(v) बी०एससी० दूसरा वर्ष/तीसरा वर्ष (जर्नल और आनर्ज)	150	175

14. बी०ए०/बी० एस सी० (जर्नल और आनर्ज) डिग्री के कोर्स के पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए परीक्षा नियत पाठ्यक्रम के अनुसार होगी ।

परीक्षा का माध्यम निम्नानुसार होगा :—

(क) प्रश्न पत्र निम्नानुसार पाये जायेंगे :—

(i) अंग्रेजी की हालत में अंग्रेजी में,

(ii) आधुनिक भारतीय भाषा की हालत में सम्बन्धित भाषा में,

(iii) सजातीय आधुनिक भारतीय भाषा में (संस्कृत की हालत में हिन्दी और पंजाबी, अरबी और फारसी की हालत में उर्दू) अथवा क्लासिकल भाषा की हालत में अंग्रेजी या स्वयं क्लासिकल भाषा,

(iv) निम्नलिखित विषयों की हालत में अंग्रेजी, हिन्दी और पंजाबी में :—

अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, संगीत (भारतीय, तबला, भारतीय क्लासिकल नृत्य, कला, कला का इतिहास, क्ले माडलिंग, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान डिफैन्स स्टडीज और शिक्षा ।

(v) अन्य विषयों और प्रैक्टिकल पेपरों की हालत में अंग्रेजी में ।

(ख) परीक्षार्थी अपने उत्तर लिखेंगे :—

(क) बी० ए०/बी० एस सी० (जर्नल कोर्स)

(i) अंग्रेजी की हालत में अंग्रेजी,

(ii) आधुनिक भारतीय भाषा की हालत में सम्बन्धित भाषा,

(iii) सजातीय आधुनिक भारतीय भाषा (संस्कृत की हालत में) हिन्दी अथवा पंजाबी, अरबी और फारसी की हालत में उर्दू) अथवा क्लासिकल भाषा की हालत में अंग्रेजी या स्वयं क्लासिकल भाषा,

(iv) नीचे दिए विषयों की हालतों में अंग्रेजी या हिन्दी या पंजाबी या उर्दू :—

अर्थशास्त्र, समाजविज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, संगीत (भारतीय कला, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान डिफैंस स्टडीज और शिक्षा) ।

जहां जरूरत पड़े परीक्षार्थी तकनीकी शब्दावली का प्रयोग अंग्रेजी में भी कर सकता है ।

(v) विज्ञान के विषयों की हालत में अंग्रेजी ।
मानविकियों विषयों की हालत में अंग्रेजी या हिन्दी या पंजाबी ।

(vi) परीक्षार्थी फ्रैंच और जर्मन की हालत में अनुवाद के लिए अंग्रेजी या हिन्दी या पंजाबी का या उर्दू का प्रयोग कर सकते हैं ।

(ख) बी० ए०/बी० एस० सी० (आनर्ज कोर्स) के लिए :—

(i) आधुनिक भारतीय भाषा की हालत में सम्बन्धित भाषा,

(ii) क्लासिकल भाषा की हालत में सजातीय भारतीय भाषा या अंग्रेजी या स्वयं क्लासिकल भाषा,

(iii) अंग्रेजी की हालत में अंग्रेजी,

(iv) विज्ञान के विषयों की हालत में अंग्रेजी,

(v) मानविकी विषयों की हालत में अंग्रेजी या हिन्दी या पंजाबी ।

16. जिस विद्यार्थी के सम्बद्ध कालेज में पहले वर्ष/दूसरे वर्ष/तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए शिक्षा का नियत कोर्स पूर्ण कर लिया है और वह परीक्षा नहीं देता, अथवा परीक्षा में फेल हो जाता है, उसको निम्नानुसार सम्बन्धित कालेज के प्रिंसीपल की सिफारिश पर शिक्षा का नया कोर्स किए बिना लेट कालेज विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने की आज्ञा दी जा सकती है :—

(क) पहला वर्ष — आगामी दो लगातार वर्षों में

(ख) दूसरा वर्ष — आगामी दो लगातार वर्षों में

(ग) तीसरा वर्ष — आगामी तीन लगातार वर्षों में

17. जो विद्यार्थी एक या अधिक विषयों में लैक्चरों की कमी के कारण परीक्षा नहीं दे सकता, उसे अगले वर्ष में लेट कालेज विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह नए सिरे से किसी सम्बद्ध कालेज में दाखिल हो जाए और लैक्चरों की कमी को पूरा कर ले ।

18. जिस विद्यार्थी ने लैक्चरों की निश्चित संख्या पूरी कर ली है, उसको अगले वर्ष में लेट कालेज विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, चाहे वह हाऊस परीक्षा से सम्बन्धित विनियम (7) की शर्तें न भी पूरी करता हो ।

19. आंतरिक मूल्यांकन के अंक सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में की गई व्यवस्था के अनुसार होंगे ।

कालेज लिए गए हाऊस टैस्टों के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन अंक देगा और इन्हें यूनिवर्सिटी रोल नम्बरों के प्राप्त करने के बाद और परीक्षा शुरू होने से पहले नियत प्रोफार्मे के ऊपर तुरंत भेजेगा । लेट कालेज विद्यार्थी की हैसियत में, प्राइवेट तौर पर परीक्षा देने वाले फेल हुए विद्यार्थी को अगली परीक्षा तक अपने आंतरिक मूल्यांकन अंक ले जाने की अनुमति होगी । बशर्ते कि प्राइवेट परीक्षार्थियों की हालत में, सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं होगी और प्रैक्टिकल परीक्षा के बाहरी मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को आनुपातिक तौर पर बढ़ाया जायेगा ।

20. बी० ए०/बी० एस० सी० (जनर्ल) पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की परीक्षाओं में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक 35 प्रतिशत होंगे, परन्तु संप्रेषण कौशल की हालत में, परीक्षार्थियों को प्रत्येक पेपर और भाग में अलग-अलग तौर पर पास अंक प्राप्त करने होंगे बशर्ते कि यह प्रतिशतता अलग-अलग तौर पर लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल के बाहरी मूल्यांकन, जिसमें भूगोल का नक्शे का काम भी सम्मिलित है, में आवश्यक होगी ।

21. बी० ए०/बी० एस० सी० (आनर्ज) के लिए जनर्ल पेपरों और सम्बन्धित विषय के आनर्ज पेपरों में, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की परीक्षा के संयुक्त परिणामों के आधार पर न्यूनतम पास अंक 45 प्रतिशत होंगे, बशर्ते कि इस प्रतिशतता की आवश्यकता अलग-अलग तौर पर लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल/प्रैक्टिकलों के बाहरी मूल्यांकन, जिसमें भूगोल का नक्शे का काम भी सम्मिलित है, में होगी । परीक्षार्थी द्वारा दूसरे वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंक सम्बन्धित कालेज के प्रिंसीपल को भेज दिए जायेंगे ।

22. भूगोल में बी० ए० आनर्ज परीक्षा के लिए कौरेस्पांडेंस कोर्सिज निदेशालय के परीक्षार्थी को इस विषय के अध्यापन के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध संस्था अथवा इस मतलब के लिए भूगोल के बोर्ड आफ स्टडीज/अकादमिक कांउसिल द्वारा अनुमोदित संस्था के अध्यापक इंचार्ज से लिया और उस संस्था के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने इस विषय में प्रैक्टिकल के काम के लिए नियत कोर्स पूरा कर लिया है ।

23. जिस परीक्षार्थी ने बी० ए०/बी० एस० सी० परीक्षा के लिए किसी विषय में आनर्ज ली है और जिसने बी०ए० (जनर्ल) दूसरा वर्ष/तीसरा वर्ष परीक्षा में कम्पार्टमेंट विनियम के अधीन विषय या विषयों में रि-अपीयर होना है, उसे आनर्ज के पेपर देने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु उसकी आनर्ज परीक्षा का परिणाम तभी घोषित किया जायेगा जब वह कम्पार्टमेंट विनियम में निश्चित की अवधि में यह परीक्षा पास कर लेता है ।

24. बी० ए० परीक्षा में आनर्ज लेने वाला परीक्षार्थी, नियत फीस और जिस सम्बद्ध कालेज में वह पढ़ा है, उसके प्रिंसीपल द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ अपना प्रार्थना-पत्र परीक्षा कंट्रोलर को भेजेगा :—

(i) उसके उस संस्था में जिसे आनर्ज विषय के लिए संबंधन प्रदान किया गया है, अकादमिक कांउसिल द्वारा अनुमोदित विषय में कार्य के प्रोग्राम के अनुसार आनर्ज कलास को दिए गए लैक्चरों के पूर्ण कोर्स का 66 प्रतिशत में उपस्थित होने का प्रमाण-पत्र ।

(ii) प्रैक्टिकल काम (भूगोल की हालत में नक्शे के काम सहित) के लिए पीरियडों के 66 प्रतिशत में उपस्थित रहने का प्रमाण-पत्र ।

25. किसी सम्बद्ध कालेज का विनियमित परीक्षार्थी आनर्ज समेत किसी ऐसे विषय को ले सकता है जिस विषय के लिए उसके कालेज को संबंधन न मिला हो । ऐसा वह इस विषय के लिए अन्य किसी कालेज में नियत शिक्षा कोर्स में उपस्थित होकर कर सकता है । दूसरे कालेज का प्रिंसीपल यह प्रमाणित करेगा कि उस परीक्षार्थी ने लैक्चरों आदि की नियत संख्या पूरी कर ली है, जिस कालेज में विद्यार्थी दाखिल हुआ है, उसका प्रिंसीपल, उसका नाम पुष्टि के लिए यूनिवर्सिटी के परीक्षा कंट्रोलर को भेजेगा ।

26. जिस परीक्षार्थी ने --

(ii) इस यूनिवर्सिटी से बी० ए० अथवा बी० एस० सी० पास की है,
अथवा

(2) मास्टर आफ आर्टस या मास्टर आफ साईंस या कोई अन्य परीक्षा जिसको सिंडीकेट ने इसके समान मान्यता प्रदान की हो, पास की है, वह उन विषयों को छोड़कर जो उसने पहले पास कर लिए हैं, परीक्षा के लिए निश्चित किसी एक या अधिक विषयों में बी० ए० या बी० एससी० की किसी आगामी परीक्षा में बैठ सकता है ।

जो परीक्षार्थी ऊपर (2) के आधार पर आज्ञा चाहता है, उसको यह अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या संघ प्रदेश चंडीगढ़ का निवासी हो ।

27.1 जो परीक्षार्थी कुल अंकों में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और एक विषय में फेल हो जाता है जिसमें वह 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, उसे आगामी दो परीक्षाओं में उस विषय में पेपर देने की अनुमति दी जायेगी, और यदि वह इन दोनों परीक्षाओं में से किसी एक में पास कर लेता है, तो उसे इस परीक्षा में पास हुआ समझा जायेगा ।

27.2 जिस परीक्षार्थी की कम्पार्टमेंट आई हो, वह अस्थायी रूप में अगली उच्च क्लास में दाखिल होने के योग्य है । यदि वह कम्पार्टमेंट के विषय को आगामी दो लगातार अवसरों में पास नहीं कर पाता, तो उच्च परीक्षा के लिए उसका परिणाम रद्द समझा जायेगा । कम्पार्टमेंट विषय के लिए, वह विनियमित विद्यार्थी या लेट कालेज विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दे सकता है ।

27.3 सिंडिकेट विनियमित सशस्त्र सेनाओं के सदस्य की हालत में इस अवधि को बढ़ा सकती है, जो इस अवधि में सुरक्षा आपात के कारण इस अवसर का फायदा न उठा सका हो ।

27.4. जो परीक्षार्थी इस विनियम के अधीन अनुपूरक परीक्षा में कम्पार्टमेंट विषय में बैठता है,

1. उसे पूर्ण परीक्षा जितनी परीक्षा फीस अदा करनी पड़ेगी, और

2. वह कोई वजीफा, इनाम या तमगा प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा ।

28. सफल परीक्षार्थियों का वर्गीकरण पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की परीक्षाओं में से प्राप्त अंकों को मिलाकर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा :--

(क) जो कुल अंकों का 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करते हैं .....फर्स्ट डिवीजन

(ख) जो कुल अंकों का 50 प्रतिशत या अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं .....सैकन्ड डिवीजन

(ग) जो कुल अंकों का 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं .....थर्ड डिवीजन

29. परीक्षा समाप्त होने के छः सप्ताह पश्चात या जितनी जल्दी संभव हो, परीक्षा कंट्रोलर, परीक्षार्थियों के परिणाम की सूची प्रकाशित करेगा । पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षा के परिणाम अथवा-स्योरेबार अंक कार्ड प्रत्येक परीक्षार्थी को जारी किये जायेंगे । तीसरे वर्ष (फाइनल) की परीक्षा के प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को बी० ए०/बी० एस० सी० (जनर्ल) अथवा बी० ए०/बी० एस० सी० (आनर्ज) जैसी भी स्थिति हो की डिग्री प्रदान की जायेगी, जिसमें परीक्षा में प्राप्त की डिवीजन का उल्लेख किया जायेगा।

30. जो विद्यार्थी बी० एस० सी० (जनर्ल) कोर्स की पहले वर्ष की परीक्षा में फेल हो जाता है और आर्टस विषय लेने चाहता है, वह लेट कालेज विद्यार्थी के रूप में बी० ए० (जनर्ल कोर्स) की पहले वर्ष की परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होगा ।

31. जो व्यक्ति पंजाब यूनिवर्सिटी से बी० ए०/बी० एस० सी० (जनर्ल) या बी० ए०/बी० एस० सी०/(आनर्ज) की डिग्री प्रदान करने के योग्य है, उसे अपने पहले अंकों में सुधार करने के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में पहले पास किये विषय/विषयों में रिअपीयर होने की अनुमति दी जा सकती है । वह पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाओं में एक साथ या अलग-अलग तौर पर रि-अपीयर हो सकता है ।

इस मतलब के लिए, वह तीसरे वर्ष की परीक्षा पास करने के तुरंत अगले शिक्षा वर्ष में सितम्बर और/अथवा अप्रैल में परीक्षा दे सकता है ।

32.1. जिस व्यक्ति ने इस यूनिवर्सिटी से बी० ए०/बी० एस० सी० (जनर्ल) अथवा बी० ए०/बी० एस० सी० (आनर्ज) परीक्षा पास की है, वह प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में आगामी बी० ए०/बी० एस० सी० (जनर्ल) या बी० ए०/बी० एस० सी० (आनर्ज) परीक्षा में परीक्षा के लिए नियत

उन एक या अधिक विषयों में परीक्षा दे सकता है जो उसने पहली परीक्षा में पास न किए हों ।

बशर्ते कि साईंस विषय/विषयों की हालत में, परीक्षार्थी सम्बद्ध कालेज में पढ़ेगा और कालेज के प्रिंसीपल से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने नियत कोर्स पूरा कर लिया है ।

इस मतलब के लिए, उसे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाएं एक साथ या अलग-अलग तौर पर देनी होंगी ।

32.2. ऐसे परीक्षार्थी को सिंडिकेट द्वारा समय समय पर निश्चित की गई परीक्षा फीस देनी होगी ।

32.3. विनियम 20 में निर्धारित किए गए अनुसार, प्रत्येक विषय में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 35 प्रतिशत होंगे ।

33. जिस व्यक्ति ने बी० ए० (जनर्ल और आनर्ज) और बी० एस० सी० (आनर्ज) परीक्षा पास कर ली है, वह उस तीसरे इलैक्टिव विषय में अतिरिक्त कार्य के दो क्रेडिट और करने के योग्य होगा जो उसने तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार पहले/दूसरे वर्ष के लिए पहले ही लिए थे, ताकि वह उस विषय में भी मास्टर के कोर्स में दाखिला लेने के योग्य हो सकें ।

34. जिस व्यक्ति ने इस यूनिवर्सिटी से बी० ए० (जनर्ल) या बी० ए० (आनर्ज) पास की है, वह किसी सम्बद्ध कालेज के विनियमित विद्यार्थी के रूप में इस यूनिवर्सिटी की बी० एस० सी० (जनर्ल) या बी० एस० सी० (आनर्ज) परीक्षा दे सकता है । और उसकी उत्तर स्थिति भी वही है, बशर्ते कि वह वैसे यह परीक्षा देने के योग्य हो ।

35. यदि कोई परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका की पुनर्जांच करवानी चाहता है, वह सिंडिकेट द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार नियम फार्म पर परीक्षा कंट्रोलर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को प्रार्थना-पत्र दे सकता है ।

निरसन

कैलेंडर, भाग , 1984 के पृष्ठ 61–80 पर दिए विनियमों के अनुसार बी० ए० (पास और आनर्ज) और बी० एस० सी० (पास और आनर्ज) डिग्री कोर्स के भाग I और II के लिए दाखिला जुलाई, 1988 से आरम्भ होने वाले शिक्षा-वर्ष जिसमें 1988 का शिक्षा वर्ष भी सम्मिलित होगा, से बन्द किया जायेगा ।

अस्थाई विनियम

1. पुरानी स्कीम के परीक्षार्थियों, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से बी० ए०/बी० एस० सी० भाग I/भाग II परीक्षा पास की है और जो पाईप-लाइन में है, उनको/समोचित विनियमों के अन्तर्गत नियत अवसरों के अनुसार 1993 तक पुरानी स्कीम के अधीन प्राइवेट परीक्षार्थियों के रूप में क्रमानुसार बी० ए०/बी० एस० सी० भाग II और III परीक्षाएं देने की अनुमति दी जायेगी । जो परीक्षार्थी 1993 तक यह परीक्षा पास नहीं कर सकेंगे, वे नई स्कीम के अधीन कोर्स में दाखिल होंगे ।

1.2 जिन परीक्षार्थियों ने पुरानी स्कीम के अधीन इस यूनिवर्सिटी से बी० ए०/बी एस० सी० भाग I परीक्षा पास की है, उसे नई स्कीम के अधीन कोर्स में दाखिला लेने की छूट होगी ।

1.3 ऐसे परीक्षार्थी जो पुरानी स्कीम को पसन्द करते है और विनियम 1 में निर्धारित किए अनुसार प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बी० ए०/बी० एस० सी० भाग II और III (पास और आनर्ज) परीक्षाएं देते हैं, वे इस मतलब के लिए मान्यता प्राप्त कालेज/संस्था के प्रिंसीपल से यह प्रमाण-पत्र लेकर भेजेंगे कि परीक्षार्थी ने सम्बन्धित विषय में प्रैक्टिकल काम के लिए नियत कोर्स पूरा कर लिया है । प्रैक्टिकल पूरा करने के लिए नैमित्तिक विद्यार्थियों के रूप में इस यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कालेज में दाखिल हो सकते हैं ।

पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़

बैचलर आफ कामर्स (जनर्ल और आनर्ज)
परीक्षाओं के लिए विनियम

1. बैचलर आफ कामर्स (जनर्ल और आनर्ज) शिक्षा की 10+2+3 पद्धति के अधीन 1988 के दाखिलों से 3 वर्षीय सघटित डिग्री कोर्स होगा ।

2. बी० काम (जनर्ल) अध्ययन प्रोग्राम में 28 क्रेडिट होंगे । एक क्रेडिट के 100 हाक होंगे ।

3. बी० काम (जनर्ल) डिग्री कोर्स के पहले वर्ष की क्लास में दाखिला वे व्यक्ति ले सकेंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/कांउसिल/यूनिवर्सिटी से नीचे दी गई परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की हो :—

(क) शिक्षा की 10+2+3 पद्धति के अधीन नीचे दिए गए विषयों और ग्रुप सहित +2 परीक्षा पास की हो ।

(i) +2 कामर्स ग्रुप जिसमें कुल अंकों में से कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों :

(ख) (कामर्स से अन्य) +2 कोई ग्रुप जिसमें नीचे दिए गए विषयों में से कोई एक या अधिक विषय लिया हो—

कामर्स
लेखाकारी
अर्थशास्त्र
गणित
व्यापार संगठन और प्रबन्ध
लेखा विद्या और हिसाब किताब

योग्यता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :—

(i) जिन्होंने उपर्युक्त 3 विषयों में ..... कुल अंकों में से 45 ०/० पास की है।

(ii) जिन्होंने उपर्युक्त 2 विषयों में ..... कुल अंकों में से 50 ०/० पास की है।

(iii) जिन्होंने उपर्युक्त 3 विषयों ..... कुल अंकों में से 55 ०/० से पास की है।

(ग) (कामर्स ग्रुप को छोड़कर) 10+2+3 की शिक्षा पद्धति के अधीन +2 का कोई ग्रुप जिसमें मानविक ग्रुप सम्मिलित होगा और ऊपर (ख) में दिए गए विषयों में से कोई विषय नहीं होगा और यह परीक्षा कुल अंकों में से कम से कम 60 प्रतिशत अंक लेकर पास की होनी चाहिए।

(ख) (क) कुल अंकों में से कम से कम 40 ०/० अंकों सहित पंजाब यूनिवर्सिटी से बी० काम भाग I/इन्टर (कामर्स) पुरानी स्कीम),

(ख) कुल अंकों में से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और गणित सहित बी० ए० भाग I/इन्टर (आर्टस) (पुरानी स्कीम),

(ग) कुल अंकों में से कम से कम 55 ०/० अंकों सहित गणित या अर्थशास्त्र सहित पंजाब यूनिवर्सिटी के बी० ए०/बी० एस० भाग I/प्री० इंजीनियरिंग पुरानी स्कीम),

(घ) कुल अंकों में से कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित और अर्थशास्त्र/गणित के विषय के बिना पंजाब यूनिवर्सिटी से बी० ए०/बी० एस० सी० भाग I। भाग II/इन्टरमीडियेट/प्री० इंजीनियरिंग प्री मैडिकल।

(ग) पंजाब यूनिवर्सिटी की बी० ए०/बी० एस०सी० भाग III।

(च) यूनिवर्सिटी द्वारा आवश्यक ग्रुप/विषय/विषयों और अंकों की प्रतिशतता सहित ऊपर (क) या (ख) या (ग) के समान मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा।

3.2. जिस व्यक्ति ने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की है, वह बैचुलर आफ कामर्स (जनर्ल और आनर्ज) कोर्स की दूसरे/तीसरे वर्ष की कलास, जैसी भी स्थिति हो, में दाखिल हो सकता है:

(क) यूनिवर्सिटी के बैचुलर आफ कामर्स (जनर्ल और आनर्ज) की पहले/दूसरे वर्ष की परीक्षा।

(ख) यदि विषय/कोर्स वही है जो यूनिवर्सिटी द्वारा नियत किए गए हैं, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (कुरुक्षेत्र) या पंजाबी यूनिवर्सिटी (पटियाला) या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (अमृतसर) या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (शिमला) या महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (रोहतक) की 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अधीन बैचुलर आफ कामर्स की पहले वर्ष या दूसरे वर्ष की परीक्षा विषयों (कोर्सों) एक अंक में से कुछ न्यूनता होने की हालत में, उसे आगामी लगातार दो परीक्षाओं में न्यून विषयों/कोर्सों यदि कोई हों, को पास करना पड़ेगा। यदि वह न्यून विषयों/कोर्सों में फेल हो जाता तो उसका बी० आकाम दूसरा वर्ष या बी० काम तीसरा वर्ष, जैसी भी हालत हो, का परिणाम रद्द समझा जायेगा।

बशर्ते कि विद्यार्थी द्वारा बी० काम, पहला वर्ष और बी० काम दूसरा वर्ष परीक्षा में प्राप्त अंक जैसी भी स्थिति हो, उसकी डिवीजन में शामिल किए जायेंगे और सम्बन्धित परीक्षा में प्राप्त अंकों को, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा निश्चित अधिकतम अंकों के अनुसार, अधिकतम अंकों को घटाया बढ़ा कर प्रसामान्य किया जायेगा।

4.1 पहले/दूसरे/तीसरे वर्ष की परीक्षा उस विद्यार्थी के लिए खुली होगी जिसने :—

(क) विनियम 3 में निर्धारित किए अनुसार एक शिक्षा वर्ष पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा पास की हो,

(ख) उस कालेज के प्रिंसीपल द्वारा, जिसमें वह हाल ही में पढ़ा हो, अपना नाम परीक्षा कंट्रोलर को भेजा हो, और उस कालेज के प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित नीचे दिए गए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें :—

(i) परीक्षाओं से पूर्व के शिक्षा वर्ष में सम्बद्ध कालेज में उपस्थित रहने का।

(ii) लिए प्रत्येक विषय में अपनी कलास में लिए कुल लिए लैकचरों और हुए ट्यूटोरियलों में अलग अलग तौर पर कम से कम 66 प्रतिशत में हाजिर रहने का।

(कोर्स को उस अंतिम दिन तक गिना जायेगा जब कलासें तैयारी छुट्टियों के लिए बंद होती हैं)

(iii) पहली सितम्बर में और दूसरी नवम्बर में हुई दो हाऊस परीक्षाओं के परिणामों को मिलाकर गिने सब पेपरों के कुल अंकों में कम से कम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का।

व्याख्या:— हाउस परीक्षा में प्रत्येक पेपर के लिए 100 अंक होंगे।

बशर्ते कि कालेज का प्रिंसीपल अपनी इच्छानुसार फरवरी के सप्ताह, ऊपर (ii) की शर्तों को पूरा न करने वाले विद्यार्थियों का एक विशेष टैस्ट ले सकता है। परीक्षा देने के योग्य होने के लिए विद्यार्थी को सभी पेपरों के अंकों को मिलाकर कुल अंकों के कम से कम 30 प्रतिशत अंक

प्राप्त करने होंगे। जो विद्यार्थी विशेष टैस्ट में शर्तों को पूरा करते हों, उनके परीक्षा फार्म नियत देरी फीस के साथ 1 मार्च तक यूनिवर्सिटी कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए।

आगे बशर्ते कि परीक्षाओं को दूसरे/तीसरे वर्ष की परीक्षा पहले/दूसरे वर्ष की परीक्षा के पास करने के क्रमानुसार तीन वर्ष के भीतर दे देनी चाहिए।

4.2. कालेज के प्रिंसीपल को प्रत्येक विषय में अलग अलग तौर पर दिए कुल लैक्चरों और हुए कुल ट्यूटोरियलों के 10 % तक की न्यूनता को माफ करने का अधिकार होगा।

5. पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाएं साधारणतया यूनिवर्सिटी द्वारा सिंडीकेट द्वारा निर्धारित की गई तिथियों पर निम्नानुसार होंगी :—

पहला और दूसरा वर्ष	वर्ष में एक बार अप्रैल में
तीसरा वर्ष	वर्ष में दो बार अप्रैल और सितम्बर में

जिन परीक्षार्थियों की कम्पार्टमैंट आई हो, उनके लिए उसी वर्ष के साधारणतया सितम्बर के महीने में सिंडीकेट द्वारा निश्चित की गई तिथि पर अनुपूरक परीक्षा होगी।

6. परीक्षार्थी परीक्षा के लिए अपना प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ नियत फार्म पर भेजेगा जो निम्नानुसार हस्ताक्षरित होगा :—

(i) कालेज का प्रिंसीपल :	सम्बद्ध कालेज को विद्यार्थी की हालत में
(ii) उस कालेज का प्रिंसीपल : जिसमें वह हाल ही में पढ़ा हो।	लेट कालेज की विद्यार्थी की हालत में

7. देरी फीस के बिना और साथ परीक्षा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जैसी की सिंडीकेट ने निश्चित की हो, परीक्षा कंट्रोलर द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

8. परीक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली दाखिला फीस की राशि निम्नानुसार होगी :—

(i) बी० काम० पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष (जर्नल)	75	100
(ii) बी० काम० दूसरा वर्ष/ तीसरा वर्ष (जर्नल और आनर्ज)	125	150

9. बी० काम (जर्नल) और (आनर्ज) डिग्री कोर्स के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाएं नियत पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी।

10. संप्रेषण कौशल के तौर पर भाषा के लिए माध्यम को छोड़कर, जिसके लिए संबंधित भाषा माध्यम होगी, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिन्दी या पंजाबी या उर्दू होगा।

11.1 प्रत्येक परीक्षा को पास करने के लिए प्रत्येक पेपर में न्यूनतम अंक 35 प्रतिशत होंगे।

11.2 जो परीक्षार्थी सारे विषयों के कुल अंकों के 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और केवल एक विषय में फेल हो जाता है जिस में वह कम से कम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, उसे केवल उसी विषय में आगामी दो लगातार परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जायेगी और यदि वह इनमें से किसी परीक्षा में इस विषय को पास कर लेता है, तो उसे इस परीक्षा को पास किया समझा जाएगा।

जिस परीक्षार्थी को यह छूट दी जाती है, उसे अस्थायी रूप में उच्च क्लास में दाखिल होने के योग्य समझा जायेगा, परन्तु यदि वह अनुपूरक में कम्पार्टमैंट के विषय पास नहीं कर पाता, तो उसे आगामी वर्ष की वार्षिक परीक्षा के साथ उस विषय में फिर से बैठने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु यदि वह दूसरी बार, भी कम्पार्टमैंट विषय में पास नहीं हो पाता, उसका दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष का परिणाम, जैसी भी हालत हो, रद्द कर दिया जायेगा। आगामी वार्षिक परीक्षा के कम्पार्टमैंट विषय के लिए, वह नियमित विद्यार्थी या लेट कालेज विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दे सकता है।

11.3 जो परीक्षार्थी इस विनियम के अधीन अनुपूरक या वार्षिक परीक्षा में कम्पार्टमैंट विषय की परीक्षा देता है :—

(क) उसकी पूरी परीक्षा के लिए परीक्षा फीस देनी होगी, और

(ख) वह वजीफे, इनाम या तमगे प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा।

12. वह विद्यार्थी जिसने परीक्षा के लिए शिक्षा का नियत कोर्स पूरा कर लिया है और वह परीक्षा न दे सका हो या यदि परीक्षा दी है तो फेल हो गया हो, तो उसे प्रिंसीपल द्वारा शिक्षा का नया कोर्स किए बिना, लेट कालेज विद्यार्थी की हैसियत में आगामी वार्षिक परीक्षा में ऐसी परीक्षा देने की सिफारिश की जा सकती है। परीक्षा में उसके दूसरी बार फेल हो जाने या परीक्षा न देने की हालत में, वह उसे सम्बद्ध कालेज में शिक्षा का नया कोर्स पढ़ने के बिना, परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होगा। यदि वह तीसरी बार भी फेल हो जाता है, तो उसे आगामी वार्षिक परीक्षा में कालेज के विद्यार्थी या लेट कालेज विद्यार्थी के तौर पर बैठने की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु यदि वह पहले वर्ष की परीक्षा में चौथी बार भी फेल हो जाता है, तो उसे इसके पश्चात उस परीक्षा में कालेज विद्यार्थी या लेट कालेज विद्यार्थी के रूप में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह बात, विद्यार्थी को कम्पार्टमैंट विनियम के अधीन एक विषय में रि-अपीयर होने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। जो विद्यार्थी दूसरे वर्ष/ तीसरे वर्ष की परीक्षा में चौथी बार फेल हो जाता है, वह ऊपर दी गई प्रक्रिया को दुहरायेगा।

13. सफल परीक्षार्थियों का, उन के पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकरण किया जायेगा :—

(क) जो कुल अंकों के 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करते हैं।

(ख) जो 50 प्रतिशत से अधिक या 60 प्रतिशत ..... सैकन्ड डिवीजन से कम अंक प्राप्त करते हैं ।

(ग) जो कुल अंकों के 50 प्रतिशत से कम अंक ..... थर्ड डिवीजन प्राप्त करते हैं ।

14. परीक्षा कंट्रोलर परीक्षा समाप्त होने के चार सप्ताह पश्चात या उसके बाद जब भी तैयार हो, परिणाम घोषित करेगा ।

15. किसी कर्मचारी का पुत्र/पुत्री, जिसने बी० काम० पहले वर्ष/दूसरे वर्ष की परीक्षा किसी अन्य यूनिवर्सिटी से की हो और जिसकी बी० काम० फाईनल परीक्षा को इस यूनिवर्सिटी की बी० काम० फाइनल परीक्षा के बराबर माना गया हो, को उसके संरक्षक की इस यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र में बदली हो जाने पर बी० काम० कोर्स की दूसरे वर्ष/तीसरे वर्ष की क्लास में दाखिल होने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह न्यून विषयों को, यदि कोई हों, आगामी दो लगातार परीक्षाओं में पास कर ले । यदि वह न्यून विषयों/कोर्सों को पास करने में असफल रहता है, तो उसका बी० काम० दूसरे वर्ष/तीसरे वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, का परिणाम रद्द हो जायेगा ।

16. परिणाम अथवा ब्यौरेवार अंक कार्ड पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षा के प्रत्येक परीक्षार्थी को जारी किया जाएगा । तीसरे वर्ष (फाइनल) की परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थी को बैचुलर आफ कामर्स (जर्नल) या बैचुलर आफ कामर्स (आनर्स) जैसी भी स्थिति हो की डिग्री प्रदान की जायेगी जिसमें उसके द्वारा प्राप्त की गई डिवीजन को भी दर्ज कर दिया जायेगा ।

17. जिस व्यक्ति ने इस यूनिवर्सिटी से बी० काम० (जर्नल) या बी० काम० (आनर्स) की डिग्री के लिए योग्यता प्राप्त कर ली है, उसे प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उन विषयों में जो उसने पहले पढ़े थे, पहले प्राप्त अंकों को बढ़ाने की दृष्टि से रि-अपीयर देने की अनुमति दी जा सकती है । वह पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाओं या किसी एक परीक्षा में एक साथ या अलग-अलग तौर पर रि-अपीयर हो सकता है ।

इस मतलब के लिए, वह अपनी बी० काम०, तीसरे वर्ष की परीक्षा पास करने के तुरंत पश्चात शिक्षा वर्ष के सितंबर और/अथवा अप्रैल में परीक्षा दे सकता है ।

बैचुलर आफ कामर्स (आनर्स)

18. जिस परीक्षार्थी ने बी० काम० (जर्नल) के कुल अंकों में से कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए हैं, वह बी० काम० कोर्स में आनर्स करने के योग्य होगा ।

19. बी० काम० दूसरा वर्ष और बी० काम० तीसरा वर्ष की परीक्षाओं के अतिरिक्त, परीक्षार्थी नीचे दिए गए चार विषयों में से किसी एक में आनर्स ले सकता है :—

1. बिजिनस इकनामिक्स
   (i) इन्डस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट इकनामिक्स
   (ii) इन्टरनेशनल ट्रेड एण्ड फोरेन एक्सचेंज
2. बिजनिस ला
   (i) इकनामिक्स एंड लेबर लैजिस्लेशन
   (ii) बैंकिंग एंड इंश्युरेन्स लैजिस्लेशन
3. बिजनिस फाईनांस एंड अकाऊंटिंग
   (i) बिजनिस फाइनांस एंड फाईनांशल मैनेजमेंट
   (ii) अकाऊंटिंग थिउरी
4. बिजनिस मैनेजमेंट
   (i) मैनेजमेंट तकनीकें
   (ii) औरगेनाईजेशनल बिहेवियर

20. आनर्स परीक्षा में दो पेपर होंगे जिनमें से पेपर (i) दूसरे वर्ष की परीक्षा के साथ और पेपर (ii) बी० काम० तीसरे वर्ष की परीक्षा के साथ दिया जाएगा । प्रत्येक पेपर दो क्रैडिट का होगा ।

21. किसी भी विषय में आनर्स कर रहा परीक्षार्थी अपना परीक्षा फार्म नियम फीस के साथ परीक्षा कंट्रोलर को भेजेगा और इसके साथ संबद्ध कालेज के प्रिंसीपल द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भेजे जायेंगे :—

(i) सदाचरण का,

(ii) उस संस्था में जिसको आनर्स के विषय के लिए सबंधन मिला हो, उस अकादमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित किए अनुसार उस विषय में कार्य के प्रोग्राम के अनुसार आनर्स क्लास में दिए लैक्चरों के पूर्ण कोर्स में से कम से कम 60 प्रतिशत लैक्चरों में उपस्थित रहने का ।

22. परीक्षार्थी को बी० काम० दूसरा वर्ष और बी० काम० तीसरा वर्ष की परीक्षाओं के आनर्स पेपर देने के लिए सिंडीकेट द्वारा निर्धारित अतिरिक्त फीस देनी होगी ।

23. बी० काम० कोर्स में आनर्स के योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक निम्नानुसार होंगे :—

(क) बी० काम० पहले दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षाओं में कुल अंकों के 50 प्रतिशत अंक ।

(ख) आनर्स के विषय में युनिवर्सिटी परीक्षा में प्रत्येक पेपर में अलग-अलग 50 प्रतिशत अंक ।

24. (क) जिस परीक्षार्थी ने बी० काम० परीक्षा के लिए किसी विषय में आनर्स लिया है और जिसने कम्पार्टमेंट विनियम के अधीन (उस विषय को छोड़कर जिसमें उसने आनर्स लिया हुआ है) बी० काम० के जनर्ल कोर्स की दूसरे वर्ष की परीक्षा या तीसरे वर्ष की परीक्षा में किसी विषय या विषयों में रि-अपीयर होना है उसे आनर्स पेपर देने की अनुमति दी जाएगी परन्तु उसकी आनर्स परीक्षा का परिणाम केवल तभी घोषित किया जाएगा जब कम्पार्टमेंट विनियम

में की गई व्यवस्था के अनुसार निश्चित अवधि में वह परीक्षा पास कर लेता है ।

(ख) जिस परीक्षार्थी ने बी० काम० कनर्ल और आनर्स के दूसरे या तीसरे वर्ष के लिए शिक्षा का नियत कोर्स पूरा कर लिया है, और जो परीक्षा नहीं दे पाया या पूरी परीक्षा नहीं दे पाया, तो उसे आगामी वर्ष की वार्षिक परीक्षा में लेट कालिज विद्यार्थी के तौर पर बी० काम० दूसरे वर्ष या बी० काम तीसरे वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, की जनर्ल कोर्स की परीक्षा के साथ आनर्स परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है ।

25. जो परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्जांच करवाना चाहता है, वह समय-समय पर यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार नियत फार्म पर परीक्षा कंट्रोलर को अपना प्रार्थना पत्र भेज सकता है ।

निरसन

कैलेंडर भाग II 1984 के पृष्ठ 289 से 297 के अनुसार बी० काम० थ्रिी कोर्स के भाग I और भाग II के लिए दाखिले के लिए जुलाई 1988, जिसमें जुलाई 1988 के आरंभ होने वाला शिक्षा-वर्ष भी शामिल से होगा, बन्द किए जायेंगे । बी० काम० भाग III (तीन) कोर्स के लिए दाखिला जुलाई 1989 के शिक्षा-वर्ष से बन्द किया जाएगा ।

अस्थाई विनियम

1.1. पुरानी स्कीम के परीक्षार्थीयों, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से बी० काम I/II परीक्षा पास की है और जो पाईप-लाईन में हैं, उनको समोचित विनियमों के अंतर्गत नियम अवसरों के अनुसार 1993 तक पुरानी स्कीम के अधीन प्राईवेट परीक्षार्थीयों के रुप में क्रमानुसार बी० काम भाग II, और भाग III परीक्षाएं देने की अनुमति दी जाएगी । जो परीक्षार्थी 1993 तक यह परीक्षा पास नहीं कर सकेंगे, वे नई स्कीम के अधीन कोर्स में दाखिल होंगें ?।

1.2. जिन परीक्षार्थीयों ने पुरानी स्कीम के अधीन इस यूनिवर्सिटी से बी० काम० भाग 1 परीक्षा पास की है उसे नई स्कीम के अधीन कोर्स में दाखिला लेने की छूट होगी ।

5. कैलेंडर, भाग II, 1984 के पृष्ठ 81 पर गृह विज्ञान (पास) परीक्षा (संशोधित) में बैचलर आफ साइंस के लिए विनियम 2.1 निम्नानुसार होगा :—

2.1 जिस परीक्षार्थी ने बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन पंजाब हरियाणा/हिमाचल प्रदेश से शिक्षा की 10+2 पद्धति के अधीन + 2 परीक्षा अथवा इस यूनिवर्सिटी द्वारा मान्य उसके समान किसी बोर्ड/यूनिवर्सिटी से कोई अन्य परीक्षा पास की है, और जिसने इसमें अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी और दूसरे तीन विषय, जिनमें से कम से कम दो विषय नीचे दी गई सूची में से होंगे, लिए हों, वह बी०एस०सी० गृह विज्ञान (पास कोर्स) के पहले वर्ष (भाग I) की क्लास में दाखिल होने के योग्य होगा :—

(क) भौतिकी
(ख) रासायनिकी
(ग) जैविकी
(घ) गणित विज्ञान
(च) अर्थशास्त्र
(छ) समाज विज्ञान
(ज) मनोविज्ञान
(झ) गृह विज्ञान

6. कैलेंडर, भाग II, 1988 के पृष्ठ 54 पर बैचलर आफ आर्किटेक्चर (नई स्कीम) के लिए विनियम 2 निम्नानुसार होगा :—

2. जिस व्यक्ति ने भौतिकी, रासायनिकी, गणित विज्ञान और अंग्रेजी (सारे ही अनिवार्य विषयों के रूप में लिए हुए) के कुल अंकों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों से नीचे दी हुई परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की है, वह इस कोर्स में दाखिल होने के योग्य होगा :—

(क) पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10+2 पद्धति के अधीन ली जाने वाली +2 परीक्षा ।

(ख) सेंट्रल बोर्ड आफ सैकण्डरी एजूकेशन या इस यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य बोर्ड/ यूनिवर्सिटी द्वारा ली जाने वाली 10+2 की पद्धति की + 2 परीक्षा ।

(ग) इस यूनिवर्सिटी की या इस यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी अन्य यूनिवर्सिटी/बोर्ड की बी० एस० सी० भाग I (नान मैडिकल)/प्री इंजीनियरिंग परीक्षा ।

(घ) सिंडीकेट द्वारा (क), (ख) और (ग), के समान मान्य कोई अन्य परीक्षा ।

बशर्ते कि कोई परीक्षार्थी बी० आर्किटेक्चर कोर्सों में दाखिल होने योग्य तभी होगा, यदि, प्रार्थनापत्र में प्रस्तुत करने से पहले, उसने अंग्रेजी, भौतिकी, रासायनिकी और गणित विज्ञान के चार विषयों को पास किया हो और इनमें कुल अंकों में से 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, यद्यपि समोचित परीक्षा पास करने के बाद ही उसने इन में से कोई विषय अतिरिक्त विषय के रूप में पास किया हो ।

आगे बशर्ते कि संबंधित विषय, जिसको परीक्षार्थी ने अतिरिक्त विषय के रूप में पास किया है, बिलकुल उसी स्तर का हो जिस स्तर के चार विषय, जैसे भौतिकी, रासायनिकी, गणित विज्ञान और अंग्रेजी जिसे उसको बी० आर्किटेक्चर के दाखिले

के लिए (क), (ख) और (ग) में निर्धारित किए अनुसार योग्यता प्रदायी परीक्षा में पास करने की आवश्यकता है ।

7. कैलेंडर, भाग II, के जर्मन में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए विनियम :

1.1 जर्मन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की अवधि एक शिक्षा-वर्ष होगी ।

1.2 परीक्षा सिंडीकेट द्वारा निश्चित की गई तिथियों पर साधारणतया वर्ष में एक बार मई के महीने के महीने में होगी ।

1.3 परीक्षा के आरम्भ होने और 5/– रुपये की देरी की फीस के बिना और सहित परीक्षा दाखिला फार्म प्राप्त करने की तिथियां, जिन्हें सिंडीकेट निर्धारित करेगी, परीक्षा-कंट्रोलर द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।

2. जिस व्यक्ति ने नीचे दी हुई परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा पास की है, वह इस कोर्स में दाखिल होने के योग्य होगा:—

(क) जर्मन के विषय में 45 प्रतिशत अंकों से एस यूनिवर्सिटी की जर्मन में बी० ए० बी० एस० सी० और जर्मन में अडवांसड डिप्लोमा कोर्स या उस यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी/ बोर्ड की इस परीक्षा के समान कोई अन्य परीक्षा ।

(ख) जर्मन के विषय में 45 प्रतिशत अंकों से इस यूनिवर्सिटी की इलैक्टिव विषय के तौर पर जर्मन सहित बी०ए० परीक्षा अथवा इसके समान इस यूनिवर्सिटी द्वारा मान्य यूनिवर्सिटी/बोर्ड की कोई अन्य परीक्षा ।

(ग) पंजाब यूनिवर्सिटी से, अतिरिक्त विषय के तौर पर जर्मन के साथ फर्स्ट डिवीजन में बी० ए०/ बी० एस० सी० परीक्षा ।

3.1 जिस व्यक्ति के पास विनियम 2 में निर्धारित योग्यताएं है और जो यूनिवर्सिटी के जर्मन विभाग के चेयरमैन/अध्यक्ष अथवा इस कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कालेज हस्ताक्षरित नीचे दिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, वह परीक्षा में बैठने के योग्य होगा :—

(क) सदाचरण का,

(ख) परीक्षा से पूर्व के शिक्षा-वर्ष मे विभाग/ कालेज, जैसी भी स्थिति हो, में उपस्थित रहने का, और

(ग) क्लास को प्रत्येक पेपर में दिए गए लैक्चरों में कम से कम 66 प्रतिशत में उपस्थित रहने का ।

3.2 लैक्चरों की निश्चित संख्या में न्यूनता माफ की जा सकती है :—

(i) विभाग के चेयरमैन/अध्यक्ष अथवा प्रिंसीपल, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा 15 लैक्चरोंतक,

(ii) विभाग के चेयरमैन/अध्यक्ष या प्रिंसीपल, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सिफारिश करने पर यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शनज के डीन द्वारा 25 लैक्चरों तक ।

3.3 जो विद्यार्थी निश्चित लैक्चरों में उपस्थित रहने के पश्चात परीक्षा नहीं देता, या यदि परीक्षा देता है तो फेल हो जाता है, उसे विभाग के अध्यक्ष/कालेज के प्रिंसीपल, जैसी भी स्थिति है, द्वारा सिफारिश करने पर, कोर्स पूरा करने के तीन वर्ष की अवधि में, प्राईवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है।

4. परीक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली फीस 50/– रुपये होगी । प्राइवेट परीक्षार्थी से 10/– रुपये की अतिरिक्त फीस ली जाएगी ।

5.1 परीक्षा सीनेट द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी ।

5.2 परीक्षा का माध्यम जर्मन होगा ।

6. परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंक निम्नानुसार होंगे :—

(क) प्रत्येक थिउरी पेपर में 40 प्रतिशत

(ख) मौखिक/प्रैक्टिकल में 40 प्रतिशत

(ग) कुल अंकों में 45 प्रतिशत ।

7.1 सफल परीक्षार्थियों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जाएगा :—

(क) जो कुल अंकों के 75 प्रतिशत या ..... विशिष्टता अधिक अंक प्राप्त करते हैं ।

(ख) जो कुल अंकों का 60 प्रतिशत या अधिक ..... फर्स्ट डिवीजन 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं

(ग) जो कुल अकों के 50 प्रतिशत का ..... सैकंड डिवीजन अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं ।

(घ) जो कुल अकों के 50 ०/० से कम ..... थर्ड डिवीजन अंक प्राप्त करते हैं ।

7.2 परीक्षा—कन्ट्रोलर परीक्षा समाप्त होने के चार सप्ताह पश्चात या जितनी जल्दी संभव हो, परिणाम घोषित करेगा ।

7.3 प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा जिसमें उस द्वारा प्राप्त की डिवीजन के साथ प्राप्त अंक और कुल अंक दिए जाएंगे ।

चंडीगढ़ : 160014
दिनांकित: 23-11-1989

एस० सी० धवन
डिप्टी रजिस्ट्रार (जर्नल)

मेरी उपस्थिति में आज नवम्बर 23, 1989 को पंजाब यूनिवर्सिटी की सामान्य सील द्वारा मुद्रांकित ।

एच० एल० शर्मा
[रजिस्ट्रार

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत निगमित)

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 1989

एफ नं० सी० ए० / 44/88—इस अधिसूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 29 की उपधारा (III) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वास्तुकला परिषद् ने नीचे लिखे वास्तुविदों के नामों को मृत्यु के कारण नीचे उनके नामों के आगे लिखी तारीख से परिषद् के वास्तुविद रजिस्टर से काट दिया है।

क्रम सं०	रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम व पता	नाम काटने की तारीख
1.	सी० ए०/75/1412	श्री टी० आर० महेन्दू, 14 आसफ अली रोड, नई दिल्ली ।	31-5-1989
2.	सी०ए०/175/1780	श्री आर० एस० पथारे नोबल चेम्बर, पारसी बाजार स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-400 001	31-5-1989
3.	सी० ए०/79/5003	श्री जे० जे० पाल 10 1027, किशन मेटू स्ट्रीट धनजाधर-613001	31-5-1989

इन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन के जो मूल प्रमाण-पत्र दिये गये हैं उन्हें सिविल प्रक्रिया सहित 1908 की धारा 2 के खण्ड दो में परिभाषित उनके कानूनी प्रतिनिधि के द्वारा परिषद् के रजिस्ट्रेशन को तत्काल लौटा दिये जायें।

एफ० नं० सी० ए०/46/89—इस अधिसूचना द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वास्तुकला परिषद नियमावली 1972 के नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वास्तुविदों को उनके मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों के उनके द्वारा नष्ट कर दिये जाने पर उनके बदले में उनके नामों के आगे लिखी तारीखों को प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि जारी कर दी गई है :—

क्रम सं०	वास्तुविद का नाम व व्यावसायिक पता	रजिस्ट्रेशन सं०	जारी करने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री बी० एल० चड्ढा फ्लैट नं० 2 शंकर मार्किट, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।	सी० ए०/75/1869	12-12-1988
2.	श्रीमती आरती रामोवर, अचारेकर, पाठकी और बादरूर, चार्टर्ड अरकीटैक्स, फलयाम, हाऊस, जे० एन० , हृदया मार्ग, बम्बई-38	सी० ए०/87/10666	22-12-1988
3.	श्री पी० एच० दोशी 26, इम्पीरियल चैम्बर्स, विलसन रोड, बैले इस्टेट, बम्बई-38।	सी० ए०/75/1423	21-12-88

1	2	3	4
4.	श्री एस० सी० धूपलिया 28-बी, 4 मंजिल, मोबल चैम्बर्स, एस० ए० बेवले मार्ग, फोर्ट, बम्बई ।	सी० ए०/75/2487	3-2-1989
5.	श्री के० आर० शेख, इनसेगनिया डिजाईन, 341, केवल इण्डस्ट्रियल इस्टेट, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिमी) बम्बई-400013	सी० ए०/86/9861	6-3-1989
6.	मिस० आर० एस० प्रभा मार्फत श्री आर० एस० सुरेश मकान नं० 12-13-81, गली नं० 4, तरनाका, हैदराबाद-500017	सी० ए०/88/11909	3-5-1989
7.	श्री आ.र० ए० अंबेलकर, मार्फत श्री आर० बी० अम्बेकर, एट एण्ड पोस्ट देवरुख डिस्ट० रत्नागिरि ।	सी० ए०/80/6621	21-7-1989
8.	श्रीमती रामा कुमारी कपूर बी-2, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-48	सी० ए०/82/6742	27-9-1989
9.	श्री वाई विजया कुमार के० एन० एसोसिएटेड, सिद्धार्थ रोड, सिद्धार्थ नगर, विजयवाडा-10	सी० ए०/82/6846	26-9-1989
10.	श्री एच० एस० शंकर 126/1, टैन्थ मैन, फर्स्ट ब्लाक, जयनगर, बैंगलौर-560011 ।	सी० ए०/78/4701	11-10-1989

एफ० नं० सी० ए०/47/89—इस अधिसूचना द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वास्तुकला परिषद् नियमावली, 1972 नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वास्तुविदों को उनके मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों को उनके द्वारा खो देने पर उनके बदले में उनके नामों के आगे लिखी तारीखों को प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि जारी कर दी गई है :—

क्रम सं०	वास्तुविद का नाम व व्यावसायिक पता.	रजिस्ट्रेशन नम्बर	जारी करने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री ए० मुन्नीलाल जासन ए-4, पोस्टल स्टाफ कालोनी, टैलर रोड, किपाक, मद्रास-10	सी० ए०/76/1119	2-12-1988

1	2	3	4
2.	श्री एच० पी० सिंह, 1102-700 सेन्ट जोसफ, हॉल क्यूबल, कनाडा ।	सी० ए०/77/3434	5-12-1988
3.	श्री एच० एस० खुरमी जे-7, बी० के० दत्त कालोनी, जौर बाग रोड, नई दिल्ली-3	सी० ए०/75/180	9-12-1988
4.	श्री ए० बी० सुलाखे 720, बुध वार पेट, नजदीक स्टेमपाडा बायला, जीजामाता बाग, पूना-2 ।	सी० ए०/82/6783	12-12-1988
5.	मिस० मृणालिनी राजन एफ-11, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048 ।	सी० ए०/86/9915	16-12-1988
6.	श्रीमती प्रीयमवाडा चड्ढा, सी-2/2, अदिती अपार्टमेन्ट, ब्लाक डी-1, जनकपुरी, नई दिल्ली ।	सी० ए०/79/5349	19-12-1988
7.	श्री शरद रामनाथ औंधाकर, पीमेन्टा बिल्डिंग, धर्म शाला रोड, वासकोडिगामा, गोआ ।	सी० ए०/83/7502	8-12-1988
8.	श्री ए० के० चोटमाडा, 5026, सेक्टर-12, चण्डीगढ़ ।	सी० ए०/79/4881	20-12-1988
9.	श्री विलीप वामन सावंत, जी/26, स्टार ट्रेड सेन्टर, जंक्शन ऑफ सौदागामा लैन एण्ड एस० पी० वी० रोड, बोरीवली (पश्चिमी), बम्बई-92 ।	सी० ए०/77/3636	19-12-1988
10.	श्री के० एम० आसूवालिया 141, संत नगर, नई दिल्ली ।	सी०ए०/77/4036	30-12-1988
11.	श्री आनन्द नारायण होसकेरी, विजया रोड, धारवाड-1 ।	सी० ए०/76/3003	3-1-1989
12.	श्री ए० के० भट, मेहरू प्लैस होटल्स लि०, ईरोज सिनेमा बिल्डिंग, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।	सी० ए०/82/6809	9-1-1989

1	2	3	4
13.	श्री शशीकिरण शाह, 481, शुक्रवार पेठ, शोलापुर ।	सी० ए०/76/2726	12-1-1989
14.	श्री अनिल बब्बर, हाऊस नं० 25, सेक्टर 15-ए, चण्डीगढ़-160015 ।	सी० ए०/80/5963	12-1-1989
15.	श्रीमती आर० डी० मेहतरा, 100/14, अलीपुर रोड, कलकत्ता-700027 ।	सी० ए० /83/7368	12-1-1989
16.	श्री सी० पी० कौशल, 3518, सैक्टर 35-डी, चण्डीगढ़ ।	सी० ए०/82/7302	20-1-1989
17.	श्री एस० एस० श्रीवास्तवा, डिप्टी चीफ आर्किटैक्ट, मैयकोन (इण्डिया) लि०, रांची (बिहार) ।	सी०ए०/79/5362	3-2-1989
18.	श्री आर० पी० सेठी, कल्पना बिल्डिंग, आजाद रोड, विले पार्ले (ईस्ट), बम्बई-57 ।	सी० ए०/87/10457	3-2-1989
19.	श्री ए० एच० अकबरी, 56, मौरे स्ट्रीट, मद्रास-1 ।	सी० ए०/88/11698	8-2-1989
20.	श्री जीतेन्द्रा सिंह, ए-225, श्रीकृष्णापुरी, पटना-800001 ।	सी० ए०/75/26	13-2-1989
21.	श्री ए० पी० कारनिक, कारनिक निवास, 86, हिन्दू कालोनी, तीसरी लेन, दादर, बम्बई ।	सी० ए०/82/7077	20-2-1989
22.	श्री ए० के० खीकाले, 267, समर्था नगर, औरंगाबाद ।	सी० ए०/82/7156	23-2-1989
23.	श्री देबाशीश गुहा, 5732/81, टक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5 ।	सी० ए०/75/2117	28-2-1989
24.	श्री कौशिक गुप्ता, 8/एन-2, पूर्वांचल, साल्ट लेक, कलकत्ता-700096 ।	सी० ए०/81/6342	1-3-1989

1	2	3	4
25.	श्रीमती गुरदयाल सिंह, सी-491, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024।	सी० ए०/76/2757	13-3-1989
26.	श्रीमती एम० जी० जैन, 7, ताप्तपुरी, भिलाई-6, (एम० पी०)।	सी० ए०/84/8032	10-2-1989
27.	श्री ए० वी० तलाशिलकर सी/10, प्रीती-संगम सोसाईटी, साईबाबा नगर, बोरीवली (पश्चिमी), बम्बई-92।	सी० ए०/77/4066	13-3-1989
28.	श्री एस० आर० औंधाकर, प्रीमेस्टा बिल्डिंग, धनशाला रोड, वास्कोडिगामा, गोआ।	सी० ए०/83/7502	17-3-1989
29.	श्री यू० वी० भास्कर, 4/ राम मन्दिर बिल्डिंग, एल० टी० रोड, मंबाई, बोरिवली (पश्चिम), बम्बई-92।	सी० ए०/84/8202	28-2-1989
30.	श्रीमती नालिनी एम० ठाकुर, ए-37, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024।	सी० ए०/79/6217	21-3-1989
31.	श्री बी० के० धार, जे-13/57, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।	सी० ए०/77/4018	23-3-1989
32.	श्री रविन्द्रा विनोद, बी-96, एस० एफ० एस० शैक, सराय-1, नई दिल्ली।	सी० ए०/78/4354	23-3-1989
33.	श्री आर० आर० मिस्त्री, ललिता कोम्पलैक्स, 352/3, रसाला रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009।	सी० ए०/75/1626	28-3-1989
34.	श्री एम० के० वर्मा, एम० आई० जी० फ्लैट नं० ई डी-81 बी, मधुबन चौक, प्रीतमपुरा।	सी० ए०/77/3779	29-3-1989
35.	श्री के० के० चक्रवर्ती, ई-6/82, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016।	सी० ए०/87/1 0704	28-3-1989
36.	श्री एस० पी० ताईवाडे, "शिल्प", बंगलौर भवानी रोड, सांगली-416415।	सी० ए०/76/3065	30-3-1989

1	2	3	4
37.	श्री पी० यू० सेवारडेकर, 302, "अहिल्या विष्णु", मारिट्स, डियास रोड, माप्रोआ—गोआ-403601।	सी०ए०/83/7533	23-2-1989
38.	श्री एस० आर० जापत, फ्लैट नं० टी-1, बिलीवापुरी, 1294/बी, सदाशिव पैठ, पूना-411030।	सी० ए०/78/4365	31-3-1989
39.	श्री एच० आर० कालघाटगी, 24, मृत्युंजय नगर, अंगोल रोड, तिलकवाडी, बेलगांव—590006।	सी०ए० /77/348 2	31-3-1989
40.	श्रीमती रीना सहाय, सी–103, अशोक नगर, रांची (बिहार)।	सी० ए०/8 3/7769	23-3-1989
41.	श्री सुनील सुधाकर तोय, फ्लैट नं० टी–4, उतकर्षा, पूर्वा, धर्मपेठ, नागपुर (एम०एस०)।	सी०ए०/8 4/8 142	20-4-1989
42.	श्री वी० आर० खंजोड़े, 10, अनिला आपर्टमेंट्स, भानुकर कालोनी, परिसर रोड नं० 10, कोथरुड, पूना–411029।	सी० ए०/86/10088	21-3-79 89
43.	श्री के० आर० वाराडे, बी-22, द्वैयका अपार्टमेंट्स, लोखण्डवाला कोम्पलैक्स, अन्धेरी वेस्ट, बम्बई–400058।	सी० ए०/75/8 03	27-4-1989
44.	श्री एन० वी० रेंगे, मैसर्स एन० वी० रेंगे एण्ड एसोसिएट्स, आरकीटैक्ट्स, 16, जैन चेम्बर्स, तीसरी मंजिल, एस० वी० रोड, बांद्रा, बम्बई–400050।	सी० ए०/75/638	1-5-1989
45.	श्री एस० एन० किरण शंकर, नं० 32, 8वीं मेन, बसन्त नगर, बैंगलोर-52।	सी० ए०/79/5131	1-5-1989

1	2	3	4
46.	श्री आर० के० दैयोल, जै बिल्डिंग, उदय सिनेमा रोड, घाटकोपर (पश्चिम), बम्बई–400086।	सी० ए०/75/2178	1-5-1989
47.	श्री एम० जे० पी० मिस्त्री, 141, 'निबाना', पालीहिल, बांद्रा, बम्बई- 400050।	सी० ए० /75/1075	1-5-1989
48.	श्री अनिल दिवान, 7/213, रमेश नगर, नई दिल्ली- 110015।	सी० ए० /83/7565	2-5-1989
49.	श्री एस० एन० दलाल, 3, हिल व्यू, 15, बी० जी० खैर मार्ग, बम्बई–400006।	सी० ए०/83/7758	2-5-1989
50.	श्री ए० के० टी० चौधरी, 15, खातीपुरा, इन्दौर (एम० पी०)।	सी० ए० 80/5625	3–5–1989
51.	श्री एम० वी० कौशव, 1354, 'बी' वार्ड, कोल्हापुर।	सी० ए०/83/7898	8–5-1989
52.	श्री प्रमोद कुमार भार्गवा, 100, सेक्टर- 29, अरूण विहार, नोएडा।	सी० ए० /87/11197	10–5–1989
53.	श्री राजेन्दर सिंह सोढी, सी- 48, पंचशील एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110017।	सी० ए०/76/3252	15–5-1989
54.	श्री वी० जी० फाडनीश, नारायणा भवन, 15, रामनगर, एयर रोड, डोम्बीवली (पूर्वी)-421201।	सी० ए०/81/6682	26- 4- 1989
55.	श्री एम० एस० समुद्रा, 'माण्डवी', श्रीनिकेतन सोसाइटी, एच० नं० 128/2/3, नियर, स्वरूप नगर, कार्वे रोड, कोथरूड, पूना–411029।	सी० ए०/75/242	17–5–1989

1	2	3	4
56.	श्री एम० ए० वारटक, सन्डोर दियोलसांव तालुका वासई, डिस्ट्रिक्ट थाणे ।	सी० ए०/82/7281	17-5-89
57.	श्री आर० जी०बैलपाठक, 'रचना विश्वा', आगरा रोड, दियापुर, धूलै-424002।	सी० ए०/80/5936	26-5-89
58.	श्री सुवर्ता कुमार घोष, एफ-17-ए, साकेत, नई दिल्ली-110017	सी० ए०/78/4478	2-6-89
59.	प्रो० के० बी० सिंग, स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आरकीटैक्चर, आई० पी० इस्टेट, नई दिल्ली।	सी० ए०/75/2163	15-6-89
60.	श्री सुहास एस० थकारे, आर्कीटैक्चर, 73/8, जस्टीस पाठकर रोड, चौपाटी, बम्बई-400007	सी० ए०/79/5032	10-2-89
61.	श्री श्याम सुन्दर गुप्ता, सी-III, निर्माण विहार, नई दिल्ली ।	सी० ए०/75/321	21-6-86
62.	श्री टी० एम० जम्बूलिंगम, 757, अन्ना नगर, मदुरई-625020	सी० ए०/75/1526	15-6-89
63.	श्री एच० एस० कोहली, नं० 1571, सेक्टर 36-डी, चण्डीगढ़ ।	सी० ए०/75/1070	7-6-89
64.	श्री एम० के० देसाई, 13एम० दर्पण सोसाइटी, सेन्ट जैवियर स्कूल रोड, अहमदाबाद ।	सी० ए०/80/5870	26-6-89
65.	श्री ए० वी० तस्कर, 1226, शुक्रवार पेठ, सुभाष नगर, लेन नं० 4, पूना ।	सी० ए०/81/6411	27-6-89

1	2	3	4
66.	श्री संजय नारहार बापट, 1226, शुक्रवार पेठ, पूना–411002।	सी० ए०/85/8943	27-6-89
67.	श्री आर० के० खन्ना, ए–1, गीतांजलि एंकलेव, नई दिल्ली–17।	सी० ए०/75/304	12-7-89
68.	श्री टी० एन० श्रीकान्तैय्या, रूम नं० 181, एम० एस० बिल्डिंग नं० 6, चेम्बूर कालोनी, चेम्बूर, बम्बई–76।	सी० ए०/83/7494	11–7–89
69.	श्री एस० एच० नावारे; "दिलासा" सावरकर नगर; गंगापुर रोड, नासिक।	ए० सी०/77/3489	19–4–89
70.	श्री विजय एस० दीक्षित, "कालासौरी" सावरकर नगर, गंगापुर रोड; नासिक।	सी० ए०/79/5165	19–4–89
71.	श्री वी० एस० साहनी; जसवान्डी', सावरकरनगर, गंगापुर रोड नासिक।	सी० ए०/82/7143	19–4–89
72.	श्री एम० एम० ए० खान, 5–8–548/डी, आबिद रोड, हैदराबाद–1।	सी० ए०/75/1210	20–6–89
73.	श्री सुरेश चन्द्रा, पी० ओ० बाक्स 2013 दारेस सलीम। तंजानिया।	सी० ए०/85/1750	21–7–89
74.	श्री विजय कुमार सेठी, 1–54–55, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।	सी० ए०/76/2586	31–7–89
75.	श्री एस० पी० सिंह, बी–49 राम दत्त एनक्लेव उत्तम नगर, नई दिल्ली।	सी० ए०/77/3899	4–8–89

1	2	3	4
76.	श्री न्यूटस एन्थोनी बी०-1 टी० ब्लाक 3/250, लब लैन, मझगांव, बम्बई-4000010 ।	सी० ए० /85/9230	8-8-89
77.	श्री वी० जी० सुन्दर, 47/2, कोडामबकम, हाई रोड, टी० नगर; मद्रास-600017 ।	सी० ए० /85/9395	8-6-89
78.	श्री बी० पी० साचीवाला; विलेज वलीव, तालुका: बसंइ डिस्ट्रीक थापे पिन:-401208,	सी० ए०/84/8762	15-6-89
79.	श्री फारुख डी० वस्तूर, 11/654, फीरदोषी रोड; दादर पारसी कालोनी; बम्बई-400014,	सी० ए०/86/10210	16-8-89
80.	श्री बी० के० रामप्रकाश. 643 16 वाँ बी मैन 4थी क्रास, कोरामंगला, 111 ब्लाक, बंगलौर-560034.	सी० ए० 75/795	24-7-89
81.	श्री के० चन्द्रा मोहन, मोहन विलास, पतूर; त्रीवेन्द्रम-695035.	सी० ए०/76/3234;	1-6-89
82.	श्री० अनिरुद्धा दत्ता; 12, आकाश अपार्टमेंन्टस, 5 ए/1, ओल्ड प्लासिया, इन्दौर-452001.	सी० ए०/85/8415,	25-8-89
83.	श्री एस० के० संमी, एस० सी० ओ० 8, सैक्टर 17-ई, चण्डीगढ़,	सी० ए०/75/1071;	27-1-89
84.	श्री बी० ए० बालई, सीनियर आरकीटैक्चरर्स, जे एण्ड के आरकीटैक्चरर्स; औरगेनाईजेशन, गोगजी बाग; श्रीनगर कश्मीर;	सी० ए०/77/3542,	26-9-89

1	2	3	4
85.	श्री एस० के० वागल, 161, पारिख महल, एल० जे० रोड महीम, बम्बई–400016.	सी० ए०/84/8172;	29–9–89
86.	श्रीमती मील सी० बजाज, भागीरथ भवन, मैन रोड, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	सी० ए०/77/4025;	27–9–89
87.	श्री अशोक कुमार शुक्ला, ए–219/बी, मयूर विहार, फेस–11 नई दिल्ली–91	सी० ए०/79/5303,	6–10–89
88.	श्री श्याम विनायक गुप्ते, फ्लैट नं० 11, तीसरी मंजिल, पटेल अपार्टमेंन्टस, अपोजिट; आई० आई० टी० मैनगेट, पुवाई, बम्बई–76 ।	सी० ए०/86/9835	12–10–89
89.	श्री यु० बी० सेनगुप्ता, 18 बी, कोलोनेल विश्वास रोड, कलकत्ता–19 ।	सी० ए०/75/1216;	16–10–89
90.	श्री एन० क्वातारा, के–25, हौजखास, नई दिल्ली–16 ।	सी० ए०/75/1907,	25–10–89
91.	श्री एस० एस० गुप्ता, सी–111, यमुना विहार नई दिल्ली 92 ।	सी० ए०/75/321	30–10–89
92.	श्री विनय चौबे, होरीजोन 6 बी, 11 ए, पाली हील, बान्द्रा, बम्बई ।	सी० ए०/75/265;	31–10–89
93.	श्रीमती उज्जैनी भट्टाचार्य जी, हाउस नं० 3323 आई० आई० टी० कानपुर–208016 ।	सी० ए०/84/8516;	25–8–89

के० वि० नारायणा आयंगार,
रजिस्ट्रार

STATE BANK OF INDIA

Bombay-400021, the 18th November 1989

NOTICE

No. Co/BOD/P&L/153.—Notice is hereby given that the Principal Register and the Branch Registers of State Bank of India will be closed for transfer of shares from Thursday, the 4th January 1990 to Thursday, the 18th January 1990, both days inclusive.

V. ATAL
Managing Director

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE

Calcutta-700 001, the 30th October 1989

No. Legal/2/89.—In exercise of the power conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquistion & Transfer of Undertakings) Act. 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Allahabad Bank (Officers), Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement. (i) This regulation may be called the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

3. The Regulation 23 (i) of Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :—

On and from 20-8-1988, if he is serving in a place mentioned in Column 1 of the Table below, a City compensatory Allawance at the rate mentioned in Clumn 2 thereof against that place.

Places	Rates
1.	2.
(a) Places in Area I and in the State of Goa	10% of Basic pay subject to a maximum of Rs. 200/- per month.
(b) Places with population of 5 lacs and over and State Cpitals and Chandigarh, pondicherry and port Blair not covered by (a) above.	6% of Basicpay subject a maximum of Rs. 120/- per month.

M. R. SARBADHIKARI
Deputy General Manager (PA & Law)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600 034, the 20th November 1989

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. SCA(8)/14/89-90.—In pursuance of Calause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from dates mentioned against their name, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S No.	M. No.	Name & Address	Dates
1	2	3	4
1.	20441	Shri M.D.'Sundharanreghavan, A.C.A. P. O. Box No. 272, Manama Bahrain.	25-09-1989
2.	26040	Shri B. Nageswara Rao A.C.A. H.No. 12-10-587/50/17/2 Road No. 3, 1 diranagar Colony. Warasiguda Secunderabad-500361	03-10-89
3.	27569	Shri D.Sridhar,A.C.A. H.No. 32, Income Tax Colony Mehdipatanam Hyderabad-500028	03-07-89
4.	28092	Shri T. Johny Kutty, A.C.A Nellikunathu hose Channapetta P.O. 691311 Anchal, Quilon Distt	01-10-89

M. C. NARASIMHAN
Secretary

Kanpur-208 001, 16th November 1989

(CHARTEREO ACCOUNTANTS)

No. 3CCA(4)/(9)/89-90.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants of Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(a) of the Chartered Accountants Act, 1949, Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on accounts of death, the name of the following member effect from the date mentioned against his name :—

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	81241	Mr. Ram Yash Garg 72, Dhuleshwar Garden, Sardar patel Marg, Jaipur-302001	23-9-89

M. C. NARASIMHAN
Secretary

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta, the 2nd November 1989

No. 18-CWR (204-206)/89.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the power conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of Indnia has restored to the Register of Members the names of (1) Shri S. N. Mishra, BCOM, AICWA Asstt. Finance Manager, PDIL Sindri, CIFT Bldg. Sindri 828 122 (Membership No. M/4320) with effect from 23rd June 1989, (2) Shri G. V. Viswanatha Iyer, BSC, AICWA, 84 'Arpana' 8th 'A' Main Road, Ganganahalli, HMT Layout, Bangalore-560 032 (Membership No. M/1128) with effect from 19th July 1989 and (3) Shri Sailendra Nath Datta, BCOM, LLB, AICWA, Dy. Finance Manager, Projects & Development India Ltd, Sindri 828122 (Membership No. M/2861) with effect from 1st September 1989.

Sd./- (ILLEGIBLE)
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 23rd October 1989

No. R-12/19/9/84-Ins.I.—In supersession to the notification of even number dated 16-12-87, the Director General, E.S.I. Corporation, in excercise of the power under Regulation 75 of the ESI (Genl.) Regulation, 1950 read with the resolution of the ESI Corporation dated 14th Dec., 1980 has re-constituted the peripatetic Medical Board for the purpose of Section 54 & 54 A of ESI Act, 1948 as under :—

CHAIRMAN

1. Dr. G. P. Sarabhai,
Director, (Medical),
Family Welfare,
ESIC Hospital Complex,
Basaidara Pur, New Delhi.

Alternate Chairman in the absence of
Dr. G. P. Sarabhai,
Dr. (Mrs.) Helen Singh,
Director Medical Delhi,
ESIC Hospital Complex,
Basaidara Pur, New Delhi.

MEMBERS

2. Dr. N. D. Khurana,
Dr. Orthopaedics,
IMO Grade-I,
ESI Hospital,
Basaidara Pur, New Delhi.

3. Dr. S. R. Chauhan, M. S.
Surgical Specialist,
ESI Hospital,
Basaidara Pur, New Delhi.

The Chairman has been authorised to Co-opt any other Specialist as member of the Board depending upon the ailment from which insured Person to be examined is suffering, in lieu of or in addition to the Orthopaedic & Surgical Specialist from any ESI Hospital, if necessary.

JURISDICTION :—

The Board shall have Jurisdiction over all areas throughout India including all areas for which Medical Boards have been set up by the ESI Corporation or by different State Govts./Union Territories Administration.

BHAGWATI PRASAD
Insurance Commissioner

New Delhi, the 27 November 1989

No. A. 12(11)/13/89-Estt.I(A).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 97 read with subsection (2) of Section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the ESIC (Recruitment Regulations, 1965 in so far as they relate to the post of Insurance Inspector/Manager Gr. etc., except in respect of things done or committed to be done before such supersession, the Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations relating method of recruitment to the post of Insurance Inspector/Manager Gr. II etc., namely :—

1. (i) These regulations may be called the Employees' State Insurance (Insurance Inspector/Manager Gr. II etc.,) Recruitment Regulations, 1989.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. *Number of post, classification and scale of pay* :

The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to this regulation.

3. *Method of recruitment, age limit, Qualification etc.,*

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in Column 5 to 14 of the said Schedule.

4. *Disqualification* : No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) Who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be elegible for appointment to the said post : provided that the Director General of the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the others party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regualation.

5. *Power to relax* :

Where the Director General of the Corporation is of opinion that it is necessary or expedient so to do, he/she may, after taking prior approval of the Central Government, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this regulation with respect to any class or category of persons.

6. *Savings* :

Nothing in these regulations shall affect reservation relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from to time in this regard.

SMT. KUSUM PRASAD
Director General

SCHEDU LE

RECRUITMENT RULES FOR INSURANCE INSPECTOR/MANAGER GRADE-II IN THE ESI CORPORATIONP

SUPERINTENDENT

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection posts	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972).	age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. by promotion/ deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/ deputation/ transfer grades from which promotion/ transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Manager Grade-II/ Insurance Inspector/ Superintendent etc.	(Subject to variation dependent upon work-load) Name of Post Manager Grade-II Insurance Inspector Superintendent etc.	Group 'C' Ministerial	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900/-	Partly Selection and partly non-selection	No	21 to 30 years	ESSENTIAL (i) Qualifications: A degree of a recognised University (ii) Not less than 3 years service in a responsible post in a Govt./Quasi-Govt./Organisation/Corporation Government Undertaking/Local Body or a Scheduled Bank, etc.,	No	(i) 2 years for direct recruits. (ii) 1 year for departmental promotees.	66⅔% by promotion and 33⅓% by direct recruitment through a competitive test and interview. The recruitment to vacancies required to be filled by promotion shall be made in the following manner:— (a) 50% by selection on merit with due regard to seniority. (b) 50% by promotion by seniority subject to rejection of the unfit.	Head Clerk/ Assistant with 3 years regular service in the grade. Personal Assistants with 3 years service in the grade may also be considered for promotion on merit, but their promotion will not be in direct line.	1. CHAIRMAN Insurance Commissioner, ESIC. 2. MEMBER Director of Administration, ESIC. 3. MEMBER An Officer of the EPF Organisation not below the grade of Rs. 3700-5000/- to be nominated by the CPF Commissioner.	Not Applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										NOTE:— (i) In respect of (a) above-Quota for two feeder grades i.e. (i) Head Clerk/ Assistants (ii) Personal Assistants will be as under : Head Clerks/ Assistants etc.,.. 94% (ii) Personal Assistants..6% NOTE : 2 If sufficient number of eligible Personal Assistants are not available for filling-up the 6% quota, the vacancies shall be treated as unreserved and shall not be carried forward.			

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 24th November 1989

No. N-15/13/11/2/88-P&D.—In pursuance of power conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 14-11-1989 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

S. No.	Name of Villages	Had Bast No.
1.	Goindwel Sahib	338
2.	Khakh	341
3.	Maini	340
4.	Hansawale	337
5.	Akbarpur	339
6.	Jhander Mahandpur Khan	342
7.	Dhundan	343
8.	Monak Deke	344

S. GHOSH
Director (Plg. & Dev.)

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 16th November 1989

No. P.IV/1(12)/84/Seniority:—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) (a) of section 5-D of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board hereby makes the following regulations for regulating the seniority of the employees of the Employees' Provident fund Organisation :

1. *Short title and commencement* :

(1) These regulations may be called the Employees' Provident Fund Staff (Fixation Seniority) Regulations, 1989.

(2) They shall come into on the date of their publication in the official Gazette. Provided that no case relating to the seniority of an employee which has already been finally decided shall be reopened by virtue of any provision contained in these regulation

2. *Definitions* :

In these regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) 'Commission' means the Union Public Service Commission ;

(b) The word 'Commissioner' used herein shall have the same meaning as assigned to it in tthe Employees' Provident Fund Scheme, 1952.

(c) 'Employee' means a person appointed to or borne on the cadre of the staff of the Organisation.

(d) 'Board' means the Central Board of Trustees constituted under section 5-A of the E.P.F. & M.P. Act, 1952.

(e) 'Rank' means the merit obtained in the examination which shall be determined on the basis of marks obtained in the said examination.

3. *Application* :

These regulations shall apply to every employee of the Board except :—

(i) the Central Provident Fund Commissioner and the Financial Adviser and Chief Accounts Officer appointed under Section 5-D (1) and (2) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

(ii) any person in casual employment or paid from contingencies, and

(iii) any person taken on deputation in the Organisation.

Provided that the fixation of seniority in respect of persons appointed or promoted to a grade prior to the commencement of these regulations shall be governed by the instructions contained in the 'General Principles for determining seniority of persons employed by the Board' and circulated vide C.P.F.C.'s letter No. Adm.20(17)/61 dated 01-11-1962, so long as they continue to officiate in the same grade in which they were on the date of commencement of these regulations. On their promotion to a higher grade, their seniority shall be determined in accordance with the provisions of these regulations, subject to the provisions contained in the proviso to regulation 1(2) above.

4. Subject to the proviso to Regulation (3), the seniority of the employees appointed/promoted shall be determined in the manner prescribed below :—

(i) *Direct recruitments*

The inter-se-seniority of all direct recruits shall be determined by the order of merit in which they are selected for such appointment on the recommendations of the Commision or other selecting authority, persons appointed as a result of an earlier selection being senior to those appointed as a result of subsequent selections.

(ii) *Promotions against Examination Quota*

The inter-se-seniority of the persons promoted to various grades on the basis of the departmental examination limited to the employees of the Board shall be determined by the order of merit/rank assigned to them in the said examination, the persons qualified in an earlier examination being seniors to those qualified in subsequent examination.

(iii) *Promotion against seniority quota* :

(a) The inter-se-seniority of persons promoted on merit or selection basis to the various grades shall be determined in the order of their selection for such promotion.

(b) The *inter se* seniority of persons promoted to various grades on the basis of seniority subject to rejection of unfit shall be on the basis of their seniority in the lower grade from which they are promoted.

(iv) Where promotions to a grade are made from more than one grade, the eleigible persons shall be arranged in separate lists in the order of their relative seniority in their respective grades. Thereafter the Departmental Promotion Committee shall select persons for promotion from each list upto the prescribed quota and arrange all the candidates selected from different lists in a consolidated order of merit which will determine the seniority of the persons on promotion to the higher grade :

Provided that where the posts in the feeder grades are in different scales of pay or even in identical or equivalent scales of pay, the officers up to the number of vacancies for each feeder grade as per the quota may be selected and interpollated in a combined select list according to the grading. The persons who are assigned the same grading by the Departmental Promotion Committee should be arranged in the consolidated order of merit with reference to the date arrive at after adding the requisite number of years of qualifying service in the feeder grade to their date of appointment, i.e. with reference to the date from which

they become eleigible for promotion after rendering the prescribed qualifying service in the feeder grade, maintaining their iner-se seniority in the parent service/grade.

Provided further that among the persons in the feeder grades given the same grading, those in the higher scales of pay will rank senior to those in the lower scale of pay.

5. *Relative seniority of direct recruits, promotees against examination quota and promotees against seniority quota*

The relative seniority of direct recruits promotees against examination quota and promotees against seniority quota shall be determined according to the rotation of vacancies among them, which shall be based on the quotas of vacancies reserved for each in the Recruitment Rules.

Provided that if adequate number of direct recruits, promotees against examination quota or promotees against seniority quota do not become available in any particular year, rotation of quotas would take place only to the extent of the availability of direct recruits, promotees against examination quotas and promotees against seniority quotas. To the extent the rotation of quotas is not possible, the direct recruits, promotees against examination quota and promotees against seniority quota, as the case may be, will be bunched together at the bottom of the seniority list below the last position up to which it is possible to determine seniority as per rotation of quotas. The unfilled posts in any of the categories would, however, be carried forward and added to the vacancies of corresponding quota of the next year (and to subsequent years where necessary). Additional recruits selected against such additional vacancies as are carried forward from the previous year shall be placed en bloc below the last persons directly recruited or as the case may be promoted against seniority quota or examination quota in the seniority list based on the rotation of vacancies for the year in which such selection is made.

ILLUSTRATION

Where 50% of vacancies are reserved for promotion on the basis of seniority, 25% for promotion on the basis of departmental examination and 25% by direct recruitment, each direct recruit shall be ranked in seniority below 3 promotees—2 promotees on the basis of seniority and 1 promotee on the basis of departmental examination. Where quotas are 50% by promotion and 50% by Direct Recruitment, every direct recruit shall be ranked below a promotee.

(This will be subject to the proviso under Regulation 5).

If however, for any reason, a direct recruit, or a promotee by seniority or departmental examination, as the case may be, ceases to hold the appointment in the grade, the seniority list shall not be re-arranged merely for the purpose of ensuring the proportions/rotation of vacancies referred to above.

6. *Determination of Seniority of individuals promoted/appointed to posts available by conversion of quota :*

Where a person is appointed by direct recruitment in accordance with a provision in the recruitment rules providing for such appointment in the event of non-availability of a suitable candidate for promotion either in seniority quota or in examination quota, such appointee shall be grouped with seniority quota. Promotees or examination quota promotees, as the case may be, for the purpose of Regulation 5. Subject to the proviso to Regulation 5, he shall be assigned seniority below all examination quota promotees or seniority quota promotees, as the case may be, selected on the same occasion. Similarly, where a person is appointed on promotion in accordance with the provision of the recruitment rules relating to such appointment in the event of non-availability of suitable candidates of the D.R. or by conversion of a post belonging to a quota to another quota by the competent authority, such appointee shall be grouped with promotees of the relevant quota to which the post originally belongs but shall be assigned seniority below all others appointed in the same group during the year.

7. *Determination of seniority in cases of inter-regional transfers*

The relevant seniority of an employee belonging to a cadre whose seniority is regulated region-wise transferred from one region to another region on administrative grounds shall be fixed according to his date of appointment/promotion or rank obtained in the departmental examination, as the case may be.

Provided that in the case of transfer at the request of the employee concerned his seniority in the region to which he is transferred shall be fixed below all the persons who are holding the post on regular basis in the cadre to which he is transferred.

EXPLANATION :—Central Office i.e., Headquarters Office of the Organisation will be regarded as an unit like Region' for the purpose of the regulation.

8. *Seniority of persons appointed on compassionate grounds*

Subject to the provisions of Regulation 5, the relevant seniority of a person appointed on compassionate grounds shall be fixed below all the persons recruited prior to the date of his/her appointment.

9. *Removal of doubts*

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the matter shall be referred to the Chairman, Central Board, whose decision thereon shall be final.

10. *Relaxation in exceptional cases*

Where the Chairman, Central Board, is satisfied that the operation of any regulation or provision in the matter of the conditions of service of any employee causes undue hardship in any particular case, he may by order dispense with or relax the requqirement of that regulation or provision to such extent and subject to such conditions as may be considered necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

11. *Saving*

Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Caste, Schedule Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

NOTE

THE GENERAL PRINCIPLES FOR DETERMINING THE SENIORITY OF PERSONS EMPLOYED IN THE EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION WERE LAID DOWN IN THE ANNEXURE ENCLOSED TO OFFICE LETTER NO. ADM. 20(17)/61 DATED 1ST NOV., 1962. FROM THE DATE, THE ABOVE REVISED SENIORITY REGULATIONS COME INTO FORCE, THE GENERAL PRINCIPLES DETERMINING SENIORITY OF PERSONS CIRCULATED VIDE LETTER NO. ADM. 20(17)/61 DATED 1ST NOV., 1962 SHALL CEASE TO APPLY TO EMPLOYEES OF THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION.

No. P.IV/1(5)/89.—In exercise of the powers conferred by sub-section 7(a) of section 5(D) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund hereby makes the following regulation to amend the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Emplloyees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 1989.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962 for sub-para, under para 6 in Schedule III, the following shall be substituted, namely :—

6.(ii) "Persons employed in Government Offices or Statutory Organisations may also be taken on transfer, but when any person is taken on transfer on deputation on 'foreign service' terms, approval of the Central Provident Fund Commissioner to the terms of his deputation should be obtained before appointment."

Provided that persons appointed on transfer as Lower Division Clerks shall be treated as fresh recruits and their past service in their parent departments shall not be counted for the purpose of seniority or promotion in the Organisation."

Foot Note

Original regulations published in the Gazette of India, Part-II Section 3(i) dated the 19th May, 1963 vide G.S.R. No. 691.

Regulations amended vide

1. G.S.R. No. 1483 dated the 5th Sept., 1963 published on 14-9-63.
2. G.S.R. No. 592 dated 31-3-64 published on 11-4-64.
3. G.S.R. No. 696 dated the 2nd June, 1964.
4. G.S.R. No. 1824 dated 22nd November, 1966.
5. G.S.R. No. 127 dated the 17th Jan., 1967.
6. G.S.R. No. 127 dated the 28th Jan., 1967.
7. G.S.R. No. 787 dated the 16th May, 1970.
8. G.S.R. No. 1155 dated the 7th August, 1971.
9. G.S.R. No. 1602 dated the 30th October, 1971.
10. G.S.R. No. 149 dated the 7th Jan., 1972.
11. G.S.R. No. 88 dated the 8-1-1972.
12. G.S.R. No. 533 dated the 26-5-1973.
13. G.S.R. No. 547 dated the 26-5-1973.
14. G.S.R. No. 591 dated the 2-5-1973.
15. G.S.R. No. 645 dated the 16-6-1973.
16. Government's Notification No. 19(30)/69-PF.I dated the 17-6-1975.
17. Notification No. A.12018/74-PF.I dated the 25-8-1976.
18. G.S.R. No. 645 dated the 16-6-1977.
19. G.S.R. No. Nill date dthe 28-10-1978.
20. Notification No. Adm.(R.II)/14/(7)/80/35813 dated the 23-12-1980.
21. G.S.R. No. Nil dated the 7th November, 1981 published in the Part-III, Section-4 in the Gazette of India.
22. Notification No. P.III/Adm.R.II/14(1)/81/79169 dated the 12-11-1984 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 1-12-1984.
23. Notification No. P.III/Adm.R.II/16(63)/79/AP dated the 14-12-1984 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 29-12-1984.
24. Notification No. P.IV/2(9)/83/Asstt./HC/15898 dated the 1-8-86, published on 16-8-86 in the Gazette of India, Part-III, Section-4.
25. Notification No. P.IV/1(13)/84/A/20753 dated the 22-8-86 published on 6-9-86 in the Gazette of India, Part-III, Section-4.
26. Notification No. P.IV/2(4)/83/RR dated the 31-10-86, published on 15-11-86 in the Gazette of India, Part-III, Section-4.
27. Notification No. P.IV/1(4)/85 dated the 7-5-87 pubpublished in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on lished in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 23-5-87.
28. Notification No. P.IV/1(14)/84/A dated 18-5-87 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 30-5-87.
29. Notification No. P.IV/14(1)/81/Pt. dated the 12-7-88 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 23-7-88.
30. Notification No. P.IV/3(62)/85 dated the 26-10-1988 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 12-11-1988.

The 20th November 1989

No. P.IV/14(1)/81/Vol.II.—In exercise of the powers conferred by sub-section 7(a) of section 5-D of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, Employees' Provident Fund, hereby makes the following Regulations further to amend the Employees' Provident Fund (Staff & Conditions of Service) Regulations, 1962, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Employees' Provident Fund(Staff & Conditions of Service) (Second Amendment) Regulations, 1989.

(2). They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. (a) In para 3. of Schedule III of the Employees' Provident Fund (Staff & Conditions of Service) Regulations, 1962 for serial No. 7 relating to Upper Division Clerks (Hqrs. & Regional Offices) under column 3, against 25% quota to be reserved for promotion through departmental qualifying examination, the entry "50%" shall be substituted;

(b) The proviso under column 4 shall be deleted;

(c) The entries under columns 3 & 4 against 25% direct recruitment quota shall be deleted;

(d) In the Appendix to the Third Schedule, against Sl. No. 5 relating to the post of Upper Division Clerks in column 3, for the existing entries (i) & (ii) the following entry shall be substituted, namely;—

"Matriculation/S.S.L.C. or its equivalent qualification."

Foot Note

Original regulations published in the Gazette of India, Part-II Section 3(i) dated the 19th May, 1963 vide G.S.R. No. 691.

Regulations amended vide

1. G.S.R. No. 1483 dated the 5th September, 1963 published on 14-9-1963.
2. G.S.R. No. 592 dated the 31-3-64 published on 11-4-64.
3. G.S.R. No. 696 dated the 2nd June, 19664.
4. G.S.R. No. 1824 dated the 22nd November, 1966.
5. G.S.R. No. 127 dated the 17th January, 1967.
6. G.S.R. No. 127 dated the 28th January, 1967.
7. G.S.R. No. 787 dated the 16th May, 1970.
8. G.S.R. No. 1155 dated the 7th August, 1971.
9. G.S.R. No. 1602 dated the 30th October, 1971.
10. G.S.R. No. 149 dated the 7th January, 1972.
11. G.S.R. No. 88 dated the 8-1-1972.
12. G.S.R. No. 533 dated the 26-5-1973.
13. G.S.R. No. 547 dated the 26-5-1973.
14. G.S.R. No. 591 dated the 2-5-1973.
15. G.S.R. No. 645 dated the 16-6-1973.
16. Government's notification No. 19(30)/69-PF.I dated the 17-6-75.
17. Notification No. A.12018/74-PF.I dated the 25-8-76.
18. G.S.R. No. 645 dated the 16-6-1977.
19. G.S.R. No. Nil dated the 28-10-78.
20. Notification No. Adm.(R.II)/14/(7)/80/35813 dated the 23-12-1980.
21. G.S.R. No. Nil dated 7th November, 1981 published in the Part-III, Section-4 in the Gazette of India.
22. Notification No. P.III/Adm.R.II/14(1)/81/79169 dated the 12-11-1984 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 1-12-1984.
23. Notification No. P.III/Adm.R.II/16(63)/79/AP dated the 14-12-1984 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 29-12-1984.

24. Notification No. P.IV/2(9)/83/Asstt./HC/15898 dated the 1-8-86, published on 16-8-86 in the Gazette of India, Part-III, Section-4.

25. Notification No. P.IV/1(13)/84/A/20753 dated 22-8-86 published on 6-9-86 in the Gazette of India, Part-III, Section-4.

26. Notification No. P.IV/2(4)/83/RR dated 31-10-86, published on 15-11-86 in the Gazette of India, Part-II, Section-4.

27. Notification No. P.IV/1(4)/85 dated 7-5-87 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 23-5-87.

28. Notification No. P.IV/1(14)/84/A dated 18-5-87 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 30-5-87.

29. Notification No. P.IV/14(13/81/Pt. dated 12-7-88 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 23-7-88.

30. Notification No. P.IV/3(62)/85 ated 26-10-1988 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 12-11-1988.

The 24th November 1989

No. CPFC.1(4)/TN(10)/89/24065.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Name & Address of the establishment	Date of coverage
1	2	3
1.	M/s Ellen Industries, V.K. Road, Peelamedu, Coimbatore-641004	1-7-86
2.	M/s Thiyagi Subramania Siva Handloom Weavers' Co-op Production & Sales Society Limited, Pauparapatti-636809 Dharamapuri Distt.	1-7-88
3.	M/s Jaypee Metal Printers. 1/24-A Edayarpalayam Road, Sundarpuram, Coimbatore-641024 including its area Office at No. 30, Girinagar, Ernakulam-682020 Kerala State	1-12-88
4.	M/s Drive Well Products, 6.F. 407 , Samichetty Palayam Road, Jothipuram post Coimbatore-641047.	1-10-88
5.	M/s Transmission products. Opposite to Madras Oxygen Ltd. Thekkupalasyam post, Mettupalayam Road, Coimbatore-641020.	1-9-88
6.	M/s Polycoat, 112, A Goundampalayam, Behind Thiruvalluvar Transport Workshop, Coimbatore-641030.	1-1-89
7.	M/s Sandhya Industries, 1058, Mettupalayam Road, Coimbatore-6410020	1-9-87
8.	M/s Nithye Industrials, 1058 Mettupalayam Road, Coimbatore-641020	1-9-87
9.	M/s Balaji Paper Product.. "Sidco" Industrial Sstate, Coimbatore-641021	1-9-87
10.	M/s Kanji Precision Works (P) Ltd., 8/195, S.P.R. Bhavanam, Kuniempurthur, Coimbatore-641008. including its Regd. Office at 170 Chandra Nagar, Palghat-678007.	1-7-87
11.	M/s Dhanalakshmi Machine Tools. S.F. 542, Goundampalayam, Mettapalayam Road, Coimbatore-641020	1-11-88
12.	M/s Perfect Maintenance Service, 4, Thiruvalluvar Nagar, Press Colony, P.O. Coimbatore-641019.	1-5-88
13.	M/s Salvan Broilers (P) Ltd., No. 10, Co-operative Colony, Gandhi Nagar, Namakkal-637002.	1-11-1988
14.	M/s Ghanamigai Matriculation School, Perur, Coimbatore-641010	1-12-88
15.	M/s V.A.T. Trust Matriculation School, Sivasubramanaim Chettiar Road, Tiruppur-638604.	1-11-88
16.	M/s venketesa Industrial Works. 11/8-C, T.V.S. Colony, Thadsagam Road, Coimbatore-641025.	1-8-88
17.	M/s Tamilnadu Industries, 25-A-4, Sulthanpet Velur Selem- 638182	1-10-88
18.	M/s Conveyor Systems Limited, 58/1, and 59, Peddatalapalli, Royakota Road, Krishnagiri, P.O. Dharampuri Distt, -including its Office at 1-A, Peenya Industrial Area, II phase, Bangalore-560058	1-11-88
19.	M/s Food Packaging Company., Saravana Nagar, Goundampalayam, Coimbatore-641030. including its Office 147 SulivanStreet, Coimbatore-641001.	1-5-89

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

OIL & NATURAL GAS COMMISSION

SECRETARIAT

Dehra Dun, the 6th October 1989

No. 17(11)/87-Reg.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Oil and Natural Gas Commission, Act, 1959 (43 of 1959), the Oil and Natural Gas Commission, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Oil and Natural Gas Commission (Terms and Conditions of Appointment and Service) Regulations, 1975, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Oil and Natural Gas Commission (Terms and Conditions of Appointment and Service) Amendment, Regulations, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil and Natural Gas Commission (Terms and Conditions of Appointment and Service) Regulations, 1975, in Annexure II relating to Principles for seniority :—

(a) for sub-para (iv) of para A, the following sub-para shall be substituted, namely :—

(iv) On and from the commencement of the Oil and Natural Gas Commission (Terms and Conditions of Appointment and Service) Amendment, Regulations, 1988.

"Such Government officers, working in public sector undertakings and employees as are selected

by direct recruitment through open advertisement, or those employees whose services are obtained by the Commission on depuntation terms without any open advertisement, and are appointed on foreign service terms, shall be deemed to be direct recruits for the purpose of determination of their seniority in the Commission.

Seniority of such persons once determined shall not be affected by their retirement or resignation from their parent departments or offices, if they are eventually absorbed in the Commission's employment after their retirement or resignation. The seniority in such cases shall be in accordance with their assessed merit by Selection Committees at the time of their recruitment or by the authority who has approved their appointment at the time of obtaining their service on deputation from their parent departments or offices. They would however, be placed at the bottom of the seniority list of the then existing employees and those to whom offers have already been issued for appointment to the posts to which they are appointed".

(b) Para 'F' relating to "Deputationists" shall be omitted.

M. L. DORA
Secy. to the Commission

Foot Note

Principal regulation was published in the Gazette of India, dated 13-12-1975, Part III Section 4 pages 2142 to 2150 vide Notification No. 17(11)/69-Reg. dated nil.

1. Notification No. 17(11)/78-Reg. dated 6-2-1979, published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 17-2-1979.

2. Notification No. 17(11)/79-Reg. dated 13-9-1979, published in the Gazette of India, Part III Section 4, dated 22-9-1979.

3. Notification No. 17(11)/79-Reg. dated 13-2-1981, published in the Gazette of India, Part III Section 4, dated 22-9-1979.

PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt-33001, the 9th October 1989

No. 45/Gen./Pub./Gazette 476/89—In terms of Section 27 of the Wakf Act 1954 the following properties are hereby declared as Sunni wakfs.

S. No.	Name of Wakf	District / Tehsil	Village	Khasra No.	Area	Value	Nature & Object of the wakf	How the wakf administered	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dargah Nathan Shah, Graveyard.	Ambala / Ambala	Saha	Khasra No. 180 Khatoni No. 1738 Min. Khewat No. 1467 Min.	10K.06M.	Rs. 45,000/-	Religious	Under the management of Punjab Wakf Board Ambala Cantt.	
2.	Graveyard	Do.	Naggal H. B. 280	Khasra No. 79 Khatoni No. 131 Khewat No. 91 Min.	10K-12M	Do. [46,000/-	Do.	Do.	
3.	House of Sarwar Shah Peer	Jind / Jind	Jind	H. No. 2124	OK;02				
		Jind	Gandhi Gali Jind Old Mohalla Thanesarian	MC No. 689/19		30,000/-	Do.	Do.	
4.	Mosque Mohalla Peer Agha	Mohindergarh / Narnaul	Narnaul Town	SA No. 7614	1200 Sqr. Ft.	8,000/-	Do.	Do.	
	Do.	Do.	Do.	SA No. 7743	2103 Sqr. Ft.	12,000/	Do.	Do.	
6.	Mosque Mohalla Kharkhari	Do.	Do.	SA No. 7780	2320 Sqr. Ft.	14,000/-	Do.	Do.	
7.	Do.	Do.	Do.	SA No. 7900	1978 Sqr. Ft.	12,000/-	Do.	Do	
8.	Do.	Do.	Do.	SA No. 7911	2369 Sqr. Ft.	14,000/-	Do.	Do.	
9.	Do.	Do.	Do.	SA No. 7922	1350 Sqr. Ft.	9,000/-	Do.	Do.	
10.	Do.	Do.	Do.	SA No. 8006	806 Sqr. Ft.	8,000/-	Do.	Do	
11.	Do.	Do.	Do.	SA No. 8182	3223 Sqr. Ft.	20,000/-	Do.	Do.	

					B.—B.			
12.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 544	00—08	4,000/-	Do.	Do.
13.	Do.	Do.	Do.	Kh No. 553	00—14	7,000/-	Do.	Do.
14.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 701	1—11	20,000/-	Do.	Do.
15.	Graveyard	Mohindergarh / Narnaul	Do.	Kh. No. 2878	0—17	7,000/-	Do.	Do.
16.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 2980	1—80	14,000/-	Do.	Do.
17.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 3038	0—08	4,000/-	Do.	Do.
18.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 3276	0—05	2,000/-	Do.	Do.
19.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 3293	0—05	2,000/-	Do.	Do.
20.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 3301	0—01	1,000/-	Do.	Do.
21.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 3567	2—16	25,000/-	Do.	Do.
22.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 7040/3573	0—01	5,00/	Do.	Do.
23.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 3575	7—12	75,000	Do.	Do.
24.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 3576	1—00	10,000	Do.	Do.
25.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 3601	1—03	11,000	Do.	Do.
26.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 3604	17—18	1,00,000/-		
27.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 4708	14—10	85,000/-	Do.	Do.
28.	Do.	Do.	Do.	Kh. No. 4729	4—00	35,000/-	Do.	Do.
29.	Idgah	Do.	Do.	Kh. No. 4731	0—18	5,000/-	Do.	Do.
30.	Grave	Do.	Do.	Kh. No. 5519	0—10	2 00/-	Do.	Do.
31	Graveyard	Do.	Do.	Kh. No. 3599	1—17	2,000/-	Do.	Do.
32.	Mosque	Do.	Do.	Kh. No. 1981	0—02	1,000/-	Do.	Do.
33.	Dargah & Masjid Shamsuddin alias Shah Valayat	Karnal / Panipat	Panipat	Old Pro. No. 999 W. No. 8 New No. 539 W. No. 14	19440 Sqr. Ft.	2,00,000/-	Do.	Do.
					K—M			
34.	Graveyard	Bhiani / Dadri	Rahrodi	Kh. No. 127 Khatoni 309	1—02	5,000/-	Do.	Do.
35.	Do.	Do.	Birhi Kalan	Kh. No. 175 Khatoni 544	2K—00M	10,000/-	Do.	Do.
36.	Do.	Do.	Dudwa	Kh. No. 121 Khatoni 55	5K—14M	25,000/-	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Graveyard	Bhiwani Dadri	Jehka Haiya	Kh. No. 126 Khatoni340	1K—16M	9,000/-	Religious	Under the management of Punjab wakf Board, Ambala Cantt.	
38.	Idgah	Bhiwani Bhiwani	Bhiwani	Kh. No. 579 Kh. No. 580 Kh. No. 581 Khatoni No. 493	OK—06M 1K—10M 3K—19M 5K—75M	1,000/- 5,000/- 12,000/-	Do.	Do.	
39.	Graveyard	Bhiwani Dadri	Jeetpura	Kh. No. 117	7K—02M	36,000/-	Do.	Do.	
40.	Do.	Bhiwani Bawanikhera	Bawani Khera	Kh. No. 636 Kh. No. 637	12K—02M 30—09M 42K—11M	1,50,000/-	Do.	Do.	
41.	Mosque	Amritsar Amritsar	Amritsar Urban	Kh. No. 795	1K—01M	2,000/-	Do.	Do.	
42.	Graveyard	Jalandhar Nakodar	Pattu Khurd H. B. No. (259)	Kh. No. 44 Kh. No. 21	1K—02M 8K—02M 9K—04M	44,000/-	Do.	Do.	
43.	Do.	Jalandhar Jalandhar	Bambianwali HB No. 235	Kh. No. 54/1	3K—12M	18,000/-	Do.	Do.	
44.	Do.	Jalandhar Nakodar	Udhowal HB No. 324	Kh. No. 79	3K—18M	18,000/-	Do.	Do.	
45.	Do.	Do.	Khurrampur HB No. 51	Kh. No. 329	26K—00M	1,60,000/-	Do.	Do	
46.	Do.	Do.	Mulewal Brahurana HB No. 95	Kh. No. 34	18K—16M	80,000/-	Do.	Do.	
47.	Graveyard Panj Pir	Jalandhar Nakodar	Kangna HB. No. 7	Kh. No. 109	1K—13M	9,000/-	Do.	Do.	
48.	Khanqah	Do.	Badshahpur HB No. 97	Kh. No. 46	5K—00M	16,000/-	Do.	Do.	

49. Mosque	Do.	Kangna HB No. 7	Kh No. 129	2K—17M	30,000/-	Do.	Do.
50. Do.	Do.	Salaich HB No. 82	Kh. No. 54	0K—10M	25,000/-	Do.	Do.
51. Do.	Ludhiana	Garha	Kh. No. 26/20	8K—00M			
	Ludhiana		21	5K—13M			
			25/16	8K—00M			
			25	5K—11M	1,35,000/-	Do.	Do.
				Total-27K—04M			
52. Graveyard	Ludhiana	Chopki	Kh. No. 432	3K—09M	25,000/-	Do.	Do.
53. Do.	Khanna Sangrur	Badrookha					
	Sangrur		Kh. No. 268	41K—15M	2,09,000/-	Do.	Do.
54. Do.	Sangrur	Nadampur	Kh. No. 800	6B—05B	1,25,000/-	Do.	
	Sangrur						
55. Do.	Ropar	Bhalantaraf	Kh. No. 120	4K—11M	70,000/-	Do.	Do.
	Anandpur Sahib	Majra					
				½ Mtr.P.			
56. Do.	Shimla	Station Ward	Kh. No. 72/2	8— 5	4,39,590/-	Do.	Do.
	Shimla	Boiluganj, Shimla	72/3	38— 3			
			72	43,690-5			
			72/1	222-4			
				Total 43,959—7			
57. Takia	Solan	Rudpali	Kh. No. 366	4B—17B	2,20,000/-	Do.	Do.
	Solan	HB No. 138	K 318	0B—15B			
			367	0B—04—B			
			368	43B—02B			
				48B—18B			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	Takia	Solan / Solan	Rudpaii HB No. 138	Kh. No. 399/221 228	0B—04B 1B—03B 1B—07B	5,000/-	Religious	Under the management of Punjab Wakf Board Ambala/Cantt.	
59.	Graveyard	Do.	Raipur Jhakoli H B. No. 168	Kh No. 102 142 57	0B—05B 0B—02B 0B—17B 1B—04B	5,000/-	Do.	Do.	
				75 78 79	0B—18B 0B—11B 0B—07B 1B—16B	10,000/-	Do.	Do.	
60.	Do.	Do.	Rautawala H B. No. 166	Kh. No. 406	3B—16B	35,000/-	Do.	Do.	
61.	Do.	Do.	Berson HB. No. 167	Kh. No. 67 270	0B—11B 1B—03B 1B—14B	15,000/-	Do.	Do.	
62.	Do.	Solan / Nalagarh	Kasbamal Mujra	Kh. No. 143	1B—05B	12,000/-	Do.	Do.	
63.	Do.	Do.	Khera Nihala HB No. 150	Kh. No. 212 217	2B—14B 1B—03B 3B—17B	35,000/-	Do.	Do.	
64.	Do.	Do.	Nanowal HB No. 151	Kh. No. 47 63 123 157	0B—03B 0B—07B 1B—19B 4B—00B 6B—09B	33,000/-	Do.	Do.	
65.	Do.	Do.	Lakhanpur	Kh. No. 248	10B—07B	54,000/-	Do.	Do.	
66.	Do.	Do.	Nanowal HB No. 151	Kh. No. 56	1B—09B	5,300/-	Do.	Do.	
67.	Do.	Do.	Jhira	Kh. No. 79	19B—04B	1,00,000/-	Do.	Do.	
68.	Do.	Do.	Redo Bhiri Wala Khatoni 212	Kh. No. 597	0B—14B	3,000/-	Do.	Do.	

69.	Do.	Do.	Goyalaja-Mala	Kh. No. 450 451	0B—15B 0B—04B	5,000/-	Do.	Do.
					0B—19B			
70.	Do.	Do.	Chehad H B. No. 106	Kh. No.124 173	2B—09B 0B—08B	15,000/-	Do.	Do.
					2B—17B			
71.	Do.	Do.	Barotiwala H B. No. 107	Kh. No. 10	11B—01-B	55,000/-	Do.	Do.
72.	Do.	Do.	Tibba Bhainsa	Kh. No. 72 155	1B—13B 1B—14B	17,000/-	Do.	Do.
					3B—07B			
73.	Do.	Do.	Berampur HB. No. 104	Kh. No. 115	10B—09B	55,000/-	Do.	Do.
74.	Do.	Do.	Telliwala HB. No. 105	Kh. No. 9	5B—19B	30,000/-	Do.	Do.
75.	Do.	Do.	Chandpur	Kh. No. 191 217 224	5B—18B 0B—09B 0B—18B	37,000/-	Do.	Do.
					7B—05B			
76.	Do.	Solan	Gulabpura	Kh. No. 39	2B—00B	10,000/-	Do.	Do.
		Solan						
77.	Do.	Do.	Majra	Kh. No. 444	19B—02B	1,00,000/-	Do.	Do.
78.	Masjid Shop double storey	Do.	Lothar	Kh. No. 250	63 Metre	50,000/-	Do.	Do.
79.	Graveyard	Do.	Bilawali Gujran NB No. 198	Kh. No. 538/79/ 77 200	0B—05B 3B—12B 0B—05B	22,000/-	Do.	Do.
					4B—02B			
				196	0B—07B			
					4B—09B			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.	Mosque	Solan	Jawahar Park Solan	Kh. No. 178	545 Metre	50,000/-	Religions	Under the management of Punjab Wakf Board A/Cantt.	
		Solan		192	212 ,,				
				201	6 ,,				
				202	49 ,,				
					812 Metre)				
				179	6 ,,	20,000/-			
				180	6 ,,				
				181	6 ,,				
				182	6 ,,				
				199	33 ,,				
				200	42 ,,				
					99 Metre				
81.	Graveyard	Solan	Pated Bhonku	Kh. No. 353	1B—09B	70,000/-	Do.	Do.	
		Nalagarh	HB No. 53	356	1B—15B				
				358	1B—08B				
				218	4B—02B				
				355	6B—12B				
					15B—06B				
82.	Do.		Pated Miani HB No. 59	Kh. No. 186	1B—06B	5,000/-	Do.	Do	
83.	Do.	Do.	Dadi Kaniya HB No. 147	Kh. No. 359	1B—16B	30,000/-	Do.	Do.	
				360	0B—12B				
				361	0B—05B				
				362	0B—05B				
				521	0B—05B				
					3B—03B				
84.	Do.	Ferozpur	Fazilka	Kh. No. 12/16	4K—00M	6,00,000/-	Do.	Do.	
		Fazilka		25	7K—08M				
				13/20/2	4K—00M				
				49	74K—17M				
					90K—05M				
85.	Do.	Hissar	Barhgaon	Kh. No. 118	3K—06M	30,000/-	Do.	Do.	
		Hansi							

86. Do.	Kurukshetra	Patti Khot	Kh. No. 136	11K—07M	46,000/-	Do.	Do.
	Kaithal		Old Kh. No. 895				
87. Takia	Hissar	Tohana	Kh. No. 372	2K—12M	50,000/-	Do.	Do.
	Tohana		Old Kh. No. 3053				
88. Graveyard	Karnal	Rendal	Kh. No. 60	1K—15M	20,000/-	Do.	Do.
	Karnal		61	0K—17M			
				2K—12M			

The above items, Dargah, Graveyard, Peer House, Mosque, Idgah, Khanqah, Takia and shop of Villages/Towns/Cities as per Jamabandies noted above are declared as Sunni Wakfs.

MANZOOR AHMED,
IPS
Administrator
Punjab Wakf Board
AMBALA CANTT.

PANJAB UNIVERSITY

Chandigarh, the 23rd November 1989

No. 8 88/G.R.—The Central Government Ministry of Human Resource Development (Department of Education) have accorded approval vide their letter No. F.15-2/89-Desk-(U), dated 5-9-1989 to the following Regulations :

1. Regulation 23.1 of Chapter II (A) (i) 'The Senate' at page 41 of the Calendar, Volume I, 1986, shall read as under :—

23.1 The Syndicate shall appoint annually a Regulations Committee consisting of *six* members as *under* :

1. *Four members appointed by the Syndicate, one of whom shall be designated as the Chairman of the Committee.*
2. *Controller of Examinations.*
3. *Registrar (Member-Secretary).*

The quorum for a meeting of the Committee shall be *four*. Proposals for framing of or amendments of Regulations shall be submitted to the Syndicate through this Committee.

2. Regulation 5 of Chapter VIII(E) Conditions of Service and Conduct of Teachers in Non-Government Affiliated Colleges' at page 205 of the Calendar, Volume I, 1986, shall read as under :—

5. The Service record of a Principal/Teacher and the Annual Confidential Report on his work and conduct shall be maintained regularly. The person concerned shall be informed in writing in case there is an adverse report.

Every employee shall have the right to inspect his Service Book during the first quarter of the financial year and his signatures will be obtained in confirmation of his having inspected the Service Book.

A certified copy of the Service Book shall be supplied to the employee, if asked for by him on payment of a copying fee, as may be prescribed.

3. Regulations for Master of Philosophy in the Faculties of Arts and Languages for the inservice Faculty members of the Colleges affiliated to the Panjab University and the Universities in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh enrolled in the Directorate of Correspondence Courses for one year only (i.e. for the admissions of 1988 only).

1. A candidate for the degree of Master of Philisophy in the Faculties of Arts and Languages should be an inservice faculty member of the Colleges affiliated to the Panjab University or other Universities of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh enrolled in the Directorate of Correspondence Courses :

2.1 The duration of the course shall be three Semesters, as under :—

(i) First Semester :	1 April to the end of Summer vacation, This semester will be devoted to the classroom teaching of the first semester course as prescribed in the University Syllabus.
(ii) Second Semester :	April to the end of the summer vacation of the succeeding year. This semester will be devoted to the classroom teaching of the remaining part of the syllabus. In addition, the students will also be given intensive personal guidance in their dissertation work
(iii) Third Semester :	1 March to the end of the summer vacation of the third year in succession. This semester will be devoted exclusively to the finalisation of the dissertation under the guidance of the supervisor.

2.2 A candidate supplicating for M.Phil. shall pursue courses of study and research at the Directorate of Correspondence Courses. He/she may be allowed by the Board of Control to do research at an approved centre of research outside Chandigarh, for a period ordinarily not exceeding three months.

2.3 The scheme of examination shall be as follows :

		Each course carrying 100 marks as detailed below:
First Semester : One Compulsory course Two optional course	Home assignments, term paper etc.	20 marks
(ii) Second Semester : One optional course	Semester (External) examination	80 marks
(iii) Dissertation		200 marks

The setting of question papers will be done separately by the examiners to be appointed by the Board of Control of the Directorate and evaluation will be conducted by the Board of Examiners consisting of one External Examiner, Supervisor concerned, senior most faculty member of the discipline in the Directorate and the Director, Correspondence Courses.

3.1 An in-service faculty member who wishes to be enrolled as a candidate for M.Phil. Programme of study shall apply to the Department concerned in the Directorate of Correspondence Courses by the notified date on the prescribed format.

3.2 A person shall pay a fee of Rs. 1,000/- for the entire course.

4. The title of the dissertation, approved by the Board of control of the Directorate as also the appointment of Supervisor shall be reported to the Joint Research Board.

5. A candidate may apply to the Board of Control through the Supervisor for permission to modify the title of his/her dissertation within a period of two months from the date of its approval.

6. A candidate who is unable to complete his/her dissertation within three semesters, may apply through the Supervisor concerned for grant of extension. Such extension may be granted by the Board of Control of the Directorate upto a maximum of one year but not more than six months at a time. However, it would not be necessary for the candidate to spend the period of extension in the concerned department of the Directorate.

Provided that every application for grant of extension shall be accompanied by a fee of Rs. 25/-.

7.1 On completion of the dissertation, the candidate shall submit three printed/typewritten copies of his/her dissertation alongwith the summary and a fee of Rs. 60/-.

7.2 The amount of examination admission fee to be paid by a candidate shall be Rs. 70/- per semester.

8. A candidate shall be permitted to submit his/her dissertation for the M.Phil. degree if his/her Supervisor certifies that the dissertation presented is worthy of consideration for the award of M.Phil. degree. If a candidate fails to ualify in the prescribed course/courses but obtains pass marks in the dissertation, the marks obtained in the dissertation shall be carried forward, if the candidate so desires, without fresh assessment of the dissertation.

9. A candidate may incorporate in his/her dissertation the contents of any work which may have been published by him on the subject and shall inform the Supervisor, if he/she has done so. But he/she shall not submit his/her dissertation or any work for which a degree has already been conferred on him or any other person by this or any other University.

10. A candidate for the M.Phil degree shall be free to publish his/her work after the declaration of the result.

11. The dissertation shall be evaluated by two examiners (i) external examiner to be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Board of Control of the Directorate and (ii) the Supervisor concerned. The external examiner shall state in his report :—

(a) Whether the dissertation be (i) accepted (ii) resubmitted after revision (iii) rejected.

(b) In case there is a difference of opinion between the two examiners in regard to the acceptance of the dissertation, the Vice-Chancellor may refer the dissertation to another examiner to be appointed by him, whose decision shall be final.

12. In case a dissertation is accepted by both the examiners (external and supervisor) the candidate shall have to defend it before a Board of Examiners, consisting of (i) external examiner (who evaluated his/her dissertation) (ii) Director, Correspondence Course (iii) Co-ordinator of the Department (iv) Supervisor concerned. In case the external examiner is unable to conduct the viva-voce examination, the appointment of a substitute will be made by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Director, Correspondence Courses. The Board of Examiners shall finalise the assessment of the dissertation in terms of numerical marks. It shall also submit a general report on the dissertation.

In case a candidate is required to revise his/her dissertation, he/she shall submit it within a period of six months from the date the decision is intimated to him.

13. The minimum number of marks required to pass the examination shall be :—

(a) 45 per cent in each paper;

(b) 50 per cent in the aggregate.

14. Successful candidates shall be classified as under :

(a) Those who obtain 70% or more of the aggregate number of marks....First Division with Distinction.

(b) Those who obtain 60% or more of the aggregate number of marks but less than 70%..... First Division.

(c) Those who obtain less than 60% of the aggregate number of marks ..... Second Division.

15. A candidate who has failed in the examination or having completed the courses has failed to appear in the examination, may be allowed to appear at the semester examination without attending a fresh course of lectures, in two consecutive chances within a period of three years from the date of commencement of the M.Phil, course.

16. Subject to the provision of these Regulations and Rules, the Controller of Examinations shall publish the result on the receipt of the decision of the Board of Examiners.

17. The actual period spent by a candidate of the Directorate who has been awarded M.Phil. degree or a M. Phil. candidate who has been found suitable for enrolment for Ph.D. degree by the Board of Control of the Directorate, may be allowed by the Joint Research Board to be counted towards the minimum period for Ph.D. research. Such candidates will also be eligible for proportionate exemption in regard to the minimum residence of 30/36 weeks as provided in Ph.D. Regulations.

4. Regulations for B.A./B.Sc. (General and Honours) and B. Com (General and Honours) examinations under 10+2+3 system of education of the Calender, Volume II, (effective from the admissions of 1988), shall read as under :—

1. The B.A./B.Sc. (General and Honours) shall be a 3 year integrated degree course with effect from the admissions of 1988 under 10+2+3 system of education.

B.A. (General)

2.1 (a) The B.A. (General) programme of study shall consist of 24 credits, each credit having an equivalence of 100 marks. A subject studied for the whole academic year shall carry 2 credits. All the theory papers and practicals irrespective of their credit value shall be studied throughout the academic year.

(b) Of the 24 credits, each student shall do courses relating to 'Language as a Communication Skill' of 6 credits, 2 credits in each year as under :—

Ist Year

(i) English Language as Communication Skill.	One Credit
(ii) Hindi/Punjabi/any European (other than English) or Indian Language as a Communication Skill.	One Credit

2nd Year

(i) English Language as a Communication Skill.	One Credit
(ii) Hindi/Punjabi/any European (other than English) or Indian Language as a Communication Skill.	One Credit

3rd Year

(i) English Language as a Communication Skill.	One Credit
(ii) Hindi/Punjabi/any European (other than English) or Indian Language as a Communication Skill.	One Credit

The two Communication Skill papers shall constitute one subject in each year. The candidate will have to obtain pass marks in each paper separately as prescribed in Regulation.

(c) Of the remaining 18 credits, 16 credits, shall be used for studying elective subjects as under :—

Ist Year :

Three elective subjects of 2 credits each.

2nd Year :

Three elective subjects (same subjects as in first year) of 2 credits each.

3rd Year :

Two of the above three elective subjects of 2 credits each.

The students shall have due freedom and flexibility in the choice of elective subjects.

A student for B.A. examination shall offer three elective subjects from the Arts Faculty or 2 elective subjects from the Arts Faculty and one elective subject from the Science Faculty.

Provided that such a student would offer any Science subject, including Mathematics, only if he has passed that subject in the qualifying examination or qualifies this subject as a deficient/additional subject from the concerned Board/University/Council in the Supplementary Examination of the year of admission.

Provided further that a student would offer—

(a) Statistics only if he takes up Mathematics and one Arts subject.

(b) Applied Statistics only if he takes up two Arts subjects excluding Mathematics.

(d) For the remaining two credits, each student in the third year, shall study two courses of one credit each in General Science and Scientific Method.

(e) The two credits allocated to an elective subject to be studied in an academic year, as spelled out in (c) above, shall be covered in two papers of one credit each. However, in subjects having practicals such as Geography, Psychology, Home Science,

Music, etc. there shall be one/two theory papers and a practical or pratcicals as per requirements of the subject. The theory papers and practicals together shall be of 2 credit value. The candidate will have to obtain pass marks in theory papers and practicals separately as prescribed in Regulation.

B.Sc. (General)

2.2 (a) The B.Sc. (General) programme of study shall consist of 24 credits, each credit having an equivalence of 100 marks. A subject studied for the whole academic year shall carry 2 credits. All the theory papers and practicals irrespective of their credit value shall be studied throughout the academic year.

(b) Of the 24 credits, each student shall do courses relating to 'Language as a Communication Skill' of 4 credits, 2 credits in the Ist year and the remaining 2 credits in the 2nd year as under :—

Ist Year

(i) English Language as a Communication Skill. — One Credit

(ii) Hindi/Punjabi/any European (other than English) or Indian Language as a Communication Skill. — One Credit

2nd Year

(i) English Language as a Communication Skill. — One Credit

(ii) Hindi/Punjabi/any European (other than English) or Indian Language as a Communication Skill. — One Credit

The two Communication Skill papers shall constitute one subject in each year. The candidate will have to obtain pass marks in each paper separately as prescribed in Regulation.

(c) Of the remaining 20 credits, 18 credits shall be used to study three elective subjects, taking 6 credits of courses each year as under :—

1st Year :

Three elective subjects of 2 credits each.

2nd Year :

Three elective subjects (same subjects as in 1st year) of 2 credits each.

3rd Year :

Three elective subjects (same subjects as in 1st and 2nd years) of 2 credits each.

The students shall have due freedom and flexibility in the choice of elective subjects.

A B.Sc. student must have, out of the three elective subjects offered by him (excepting Geology, Geography and Anthropology) passed atleast 2 Science subjects in the qualifying examination. He may offer the third elective subject from the Faculty of Science or Faculty of Arts.

Provided that a student—

(i) who took up Biology may offer Physiology.

(ii) who took up Agriculture may offer Zoology or Botany or both.

(iii) who took up Biology may offer Zoology or Botany or Physiology or Chemistry.

(iv) who took up Physiology may offer Human Anatomy.

(v) would offer Microbiology only if he takes up the following other subjects :—

(a) Chemistry or Bio-Chemistry.

(b) Botany or Zoology or Physiology or Human Anatomy.

(vi) (i) would offer Statistics only if he takes up Mathematics and one Science subject.

(ii) would offer Applied Statistics only if he takes up to Science subjects excluding Mathematics.

Provided further that a student would offer Mathematics only if he has passed that subject in the qualifying examination or qualifies this subject as a deficient/additional subject from the concerned Board/University/Council in the Supplementary Examination of the year of admission.

(d) For the remaining 2 credits, each student, in the third year, shall study two courses of one credit each, in Social Sciences and Humanities.

(e) The two credits allocated to an elective subject to be studied in an academic year, as spelled out in (c) above, shall be covered in two papers of one credit each. However, in subjects having practicals such as Geography, Psychology, Home Science, Music, etc. there shall be one/two theory papers and a practical or practicals as per requirements of the subject. The theory papers and practicals together shall be of 2 credit value. The candidate will have to obtain pass marks in theory papers and practicals separately as prescribed in Regulation.

B.A. (Honours)

3.1 (a) The B.A. (Honours) programme of study shall consist of 28 credits, each credit having an equivalent of 100 marks. A subject studied for the whole academic year shall carry 2 credits. All the theory papers and practicals irrespective of their credit value shall be studied throughout the academic year.

A student may offer Honours in any one of the three elective subjects taken up by him provided he has obtained atleast 50% marks in the subject concerned in the First Year examination of the B.A. (General) course.

(b) of the 2 credits, each student shall do courses in each year as under :

1st Year :—Same as for 1st Year of B.A. (General).

(8 credits)

2nd Year :—Same as for 2nd Year of B.A. (General). In addition, there shall be two advanced papers of one credit each in the subject in which he seeks to get Honours degree.

(10 credits)

3rd Year :—Same as for 3rd Year of B.A. (General) except that out of the two elective subjects, one shall be the subject in which the student is doing Honours. In addition, there shall be two advanced papers of one credit each in the Honours subject.

Each student in the third year, study two courses of one credit each in General and Scientific Method.

(c) The two credits allocated to an elective subject to be studied in an academic year, as spelled out in (i) above, shall be covered in two papers of one credit each. However, in subjects having practicals such as Geography, Psychology, Home Science, Music etc. there shall be one/two theory papers and a practical or practicals as per requirements of the subject. The theory papers and practicals together shall be of 2-credit value. The candidate will have to obtain pass marks in theory papers and practicals separately as prescribed in Regulation.

(d) A candidate eligible to appear as a private candidate in B.A. examination may also offer Honours papers in any of the subjects offered for B.A. (General) provided he fulfils the requirements laid down in (a), (b) and (c) above.

B.Sc. (Honours)

3.2 (a) The B.Sc. (Honours) programme of study shall consist of 26 credits, each credit, having an equivalance of 100 marks. A subject studied for the whole academic year shall carry 2 credits. All the theory papers and practicals irrespective of their credit value shall be studied throughout the academic year.

A student may offer Honours in any one of the three elective subjects taken up by him provided he has obtained at least 50% marks in the subject concerned in the First Year examination of the B.Sc. (General) course.

(b) Of the 26 credits, each students shall do courses in each year as under :—

Ist Year :—Same as for Ist Year of B.Sc. (General).

(8 credits)

2nd Year : Same as for 2nd Year of B.Sc. (General). In addition, there shall be one advanced paper of one credit in the subject in which he seeks to get Honours degree.

(9 credits)

3rd Year : Two elective subjects, out of which one shall be the subject in which the student is doing Honours. In addition there shall be three advanced paper of one credit each in the Honours subject.

Each student, in the third year, shall study two courses of one credit each, in Social Sciences and Humanities.

(9 credits)

(c) The two credits allocated to an elective subject to be studied in an academic year as spelled out in (b) above, shall be covered in two papers of one credit each. However, in subjects having practicals such as Geography, Psychology, Home Science, Music etc. there shall be one/two theory papers and a practical or practicals as per requirement of the subject. The theory papers and practicals together shall be of 2 credit value. The candidate will have to obtain pass marks in theory papers and practicals separately as prescribed in Regulation.

4.1 A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join the First Year class of the B.A. or B.Sc. (General and Honours) degree course in a college affiliated to this University :—

(i) B.A./B.Sc./B.Com. Part I (Old Scheme)/Pre-Medical/Pre-Engg./Intermediate Arts/ Science/Agriculture examination of Panjab University;

(ii) the +2 examination under 10+2+3 system of education of a recognised University/Board/ Council;

(iii) Any other examination recognised by the University as equivalent to (i) and (ii) above.

Provided that—

(i) a person joining the B.Sc. course must have obtained atleast 40 per cent marks in the aggregate of the qualifying examination.

(ii) a person joining B.Sc. course must have passed atleast 2 Science subjects in the qualifying examination out of the three elective subjects offered by him excepting Geology, Geography and Anthropology. He may offer the third elective subject from the Faculty of Science or Faculty of Arts subject to the restrictions as laid down in Regulation 2.2 (c).

4.2 A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join the Second/Third Year class of B.A./B.Sc. (General and Honours) course, as the case may be :—

(a) B.A./B.Sc. First/Second Year (General/Honours) examination of Panjab University;

(b) B.A./B.Sc. First Year or Second Year examination, under 10+2+3 system of education of Kurukshetra University (Kurukshetra) or Punjabi University (Patiala) or Guru Nanak Dev University (Amritsar) or Himachal Pradesh University (Shimla) or Maharshi Dayanand University (Rohtak) provided that he must offer the subjects taken up by him in the B.A./B.Sc. First Year or Second Year examination and these are available at the Punjab University. The marks obtained in the B.A./B.Sc. First Year or Second Year examination, as the case may be, shall be counted towards his division. The marks obtained by a person in the examination concerned shall be normalised by increasing or decreasing the maximum marks in accordance with the maximum marks prescribed by the Panjab University.

Provided further that a person joining the B.Sc. course must have obtained not less than 40% marks in the aggregate of the examination in (b) above.

4.3 The B.A. (General) examination shall also be open to a person permitted under the regulations relating to private candidates contained in Chapter I 'Private Candidates' of the Calendar, Volume II, provided he satisfies the requirements of Regulation 4.

5. Military personnel/any other Govt. employee and their sons/daughters who have passed the B.A./B.Sc. First Year/Second Year examination from another University, the B.A./B.Sc. (Final) examination of which is recognised as equivalent to B.A./B.Sc. examination of this University, on their own transfer or on transfer of a spouse of the military personnel/any other Government employee or on transfer of any of their parents or guardians in the case of sons/daughters, to a place falling within the jurisdiction of this University, may be allowed to join B.A./B.Sc. Second Year/Third Year Class, if the subjects/courses offered were the same as prescribed by the University. In case there is some deficiency in the subjects/courses, he shall have to clear the deficient subjects/courses, if any as the case may be, at the next two consecutive examinations. If he fails to clear the deficient subjects/courses his result of B.A./B.Sc. Second Year/Third Year, as the case may be, shall stand cancelled.

On passing Third Year examination the marks obtained in First Year/Second Year examination at the other University shall be counted towards his division and the marks obtained in the examination concerned shall be normalised by increasing or decreasing the maximum marks in accordance with the maximum marks prescribed by the Panjab University.

6. A women candidate who migrates to a place falling within the jurisdiction of this University after passing the B.A. First Year/Second Year examination of another University, the B.A. (Final) examination of which is recognised as equivalent to B.A./B.Sc. examination of this University may be allowed to appear in B.A. Second Year/ Third Year examination privately; she will be governed by Regulation 5.

7. The examination in First/Second/Third Year shall be open to a student who—

(a) has passed not less than one academic year previously the qualifying examination laid down in Regulation 4.

(b) has his name submitted to the Controller of examinations by the Principal of the College he has most recently attended and produces the following certificates signed by the Principal of that College.

(i) of having remained on the rolls of an affiliated college for the academic year preceding the examination;

(ii) of having attended not less than (i) 66 per cent of the full course of lectures delivered to his class in each of the subjects offered (the course to be counted up to the last day when the classes break up for preparatory holidays) and (ii) 66 per cent of the periods assigned to practical work in each science subject or Psychology or in case of Geography, map work and practical and 80 per cent in the subject of Health & Physical Education and Defence Studies;

(iii) of having obtained atleast 25 per cent marks in the aggregate of all the subjects to be calculated on the combined results of two house examinations, the first to be held in September and Second in November.

Explanation :—The house examination shall have 100 marks in each subject.

Provided that the Principal of a college may, at his discretion, hold a special test for students who fail to fulfil the condition in (iii) above, by the third week of February. A student, in order to become eligible for admission to the examination, shall be required to have obtained atleast 30 per cent marks in the aggregate of all the three elective subjects.

8. The Principal of the College shall have authority to condone deficiency up to 10 per cent of the total number of lectures delivered and of practicals held in each subject, separately.

9. Members of the Regular Armed Forces of Air Force are permitted to offer the subject of Defence Studies as private candidates without attending the required number of parades in an affiliated college.

10. The examinations for the First Year, Second Year and Third Year shall ordinarily be held by the University as under on the dates fixed by the Syndicate :—

First & Second Year—Once a year in April

Third Year—Twice a year in April and September.

For candidates placed in compartment, a supplementary examination shall be held ordinarily in the month of September of the same year on a date fixed by the Syndicate.

11. The last date for receipt of examination form and fee with and without late fee, as fixed by the Syndicate shall be notified by the Controller of Examinations.

12. A candidate shall submit his application for admission to the examination on the prescribed form with the required certificate duly countersigned by—

(i) Principal of the College : In the case of a student of an affiliated college.

(ii) Principal of the college last attended : In the case of a late college student.

The controller of Examinations may authorise the Principal of a college with more than 800 students to delegate to a Senior member of the teaching staff the authority to certify examination forms of the candidates.

(iii) Students of unrecognised college for women permitted to send up their students as private candidates : By the Principal of the College concerned.

iv) In the case of other private candidates by any of the following :

(a) Head of a recognised Higher Secondary School;

or

(b) Principal of an affiliated College;

or

(c) Chairman of a University Teaching Department;

or

(d) A District or Circle Education Officer;

or

(e) persons authorised by the Controller of Examinations for Delhi candidates;

or

(f) a Commanding officer of his unit in the case of a Military personnel;

or

(d) Head of University Library and Central State Library in the case of whole-time Librarians and Library Clerks;

or

(h) A Fellow of the Panjab University.

or

(i) any other person authorised by the Syndicate on the recommendation of the Vice-Chancellor.

13. The amount of admission fee to be paid by a candidate shall be—

	College candidate	Private Candidate
(i) B.A. First Year, Second Year and Third year (General)	75	100
(ii) B.Sc. First year, Second year and Third year General)	100	125
(iii) B.A. Additional Subject		50 for one subject 100 for more than one subj ect
(iv) B.A. Second Year/Third year (General & Honours)	125	150
(v) B.SC. Second Year/Third year (General & Honours)	150	175

14. The examinations for the First Year, Second Year and Third Year of the B.A./B.Sc. (General and Honours) degree course shall be held according to the prescribed syllabus.

15. The medium of examination shall be as under—

(A) The question papers shall be set as under :—

(i) in English in the case of English;

(ii) in the language concerned in the case of Modern Indian Language;

(iii) in the cognate Modern Indian Language (Hindi and Panjabi in the case of Sanskrit; Urdu in the case of Arabic and Persian), or English or the classical language itself in the case of Classical Language;

(iv) in English, Hindi and Panjabi in the case of the following subjects :—

Economics, Sociology, Public Administration, Philosophy, History, Geography, Political Science Ancient Indian History and Culture, Music (Indian), Tabla, Indian Classical Dance, Art, History of Art, Clay Modelling, Home Science, Psychology, Defence Studies and Education;

(v) in English in the case of other subjects and practical papers.

(B) The candidates shall write their answers in :—

(a) For B.A./B.Sc. (General Course).

(i) English in the case of English;

(ii) the Language concerned in the case of Modern Indian Language;

(iii) the cognate Modern Indian Language (Hindi or Panjabi in the case of Sanskrit, Urdu in the case of Arabic and Persian) or English or the Classical Language itself in the case of Classical Language;

(iv) English or Hindi or Panjabi or Urdu in the case of the following subjects :

Economics, Sociology, Public Administration, Philosophy, History, Geography, Political Science Ancient Indian History and Culture, Music (Indian), Art, Home Science, Psychology, Defence Studies and Education, the candiadtes may use technical terms wherever necessary in English.

(v) English in the case of Science subjects. English or Hindi or Panjabi in the case of Arts subjects.

(vi) the candidate may use either English or Hindi or Panjabi or Urdu for the translation piece in the case of French and German.

(b) For B.A./B.Sc. (Honours Course) :—

(i) the language concerned in the case of a Modern Indian Language;

(ii) the cognate Modern Indian Language or English or the Classical Language itself in the case of a Classical Language;

(iii) English in the case of English;

(iv) English in the case of Science subjects;

(v) English or Hindi or Panjabi in the case of Arts subjects.

16. A student who has completed the prescribed course of instructor in an affiliated college for First Year/Second Year/Third Year examination, but does not appear in it, or having appeared fails may be allowed to appear in the examination on recommendation of the Principal of the college concerned as a late college student, without attending a fresh course of instruction as follows :

(a) First Year—Within next two consecutive years.

(b) Second Year—Within next two consecutive years.

(c) Third Year—Within next three consecutive years.

17. A student who is unable to appear in an examination owing to shortage of lectures, in subject or subjects may be allowed to appear in that examination, as a late college student in the following year, if he joins an affiliated college de novo and makes up the shortage of lectures.

18. A student who has completed the required percentage of lectures may be permitted to appear as a late college student in the following year even if he did not comply with the requirement in Regulation (7) relating to House examination.

19. Internal assessment marks shall be as provided in the syllabus of the subject concerned.

The college shall award internal assessment marks on the basis of the House tests held by it and shall submit the same to the University on the prescribed proforma immediately on receipt of the University Roll Numbers and before the commencement of the examination.

A failed student, appearing privately, in the capacity of a late college student, is allowed to carry forward his internal assessment marks to the next examination.

Provided that in the case of private candidates, there shall be no internal assessment provided in the syllabus of the subject concerned and the marks obtained in the external assessment of the practical examination shall be proportionately increased.

20. The minimum number of marks required to pass the B.A./B.Sc. (General) First Year, Second Year and Third Year examination shall be 35 per cent in each subject but in the case of communication skills, the candidate will have to obtain pass marks in each paper and Part separately provided that this percentage shall be required separately in the written examination and external assessment of Practical including Mapwork in the case of Geography.

21. The minimum pass marks for the B.A./B.Sc. (Honours) shall be 45 per cent in the general papers as well as Honours papers of the subject concerned on the combined results of Second Year and Third Year examination, provided that this percentage shall be required separtely in the written examination and external assessment of Practical/s including Mapwork in the case of Geography. The marks obtained by a candidate in the Second Year examination shall be communicated to the Principal of the College concerned.

22. A candiadte from the Directorate of Correspondence Courses for B.A. Honours in Geography examination shall produce a certificate from the teacher incharge of an institution affiliated to a recognised University for teaching this subject or an institution approved for the purpose by the Board of Studies in Geography/Academic Council, duly countersigned by the Head of that institution to the effect that he had completed the course prescribed for practical work in this subject.

23. A candidate who has taken Honours in subject for the B.A./B.Sc. examination and is to reappear in a subject or subjects (except the subject in which he has taken Honours) under the Compartment regulation, either in B.A. (General) Second Year/Third Year examination, shall be allowed to take the Honours papers, but his result of the Honours examination shall be declared only when he clears the examination within the period as specified in the Compartment Regulation.

24. A candidate offering Honours in B.A. examination shall submit his application to the Controller of Examinations, alongwith the prescribed fee and the following certificates signed by the Principal of the affiliated college last attended by him;

(i) of having attended in an institution granted affiliation in the Honours subject, not less than 66 per cent of the full course of lectures delivered to the Honours class in accordance with the programme of work in the subject, as approved by the Academic Council; and

(ii) of having attended not less than 66 per cent of the periods for practical work (including Mapwork in the case of Geography).

25 A regular candidate of an affiliated college may offer a subject, including Honours, in which his college is not affiliated, by attending the prescribed course of instruction in that subject in another college affiliated in it; the Principal of the latter college shall certify that the student has completed the prescribed number of lectures, etc. The Principal of the College in which the student is enrolled shall report the student's name to the Controller of Examinations, of the University for confirmation.

26. A candidate who has passed—

1. the B.A. or B.Sc. examination from this University or

2. the Master of Arts or Master of Science or any other examination recognised by the Syndicate as equivalent thereto.

may appear at any subsequent B.A. or B.Sc. examination in any one or more subjects prescribed for the examination except the subjects in which he has already passed examination.

A candidate seeking permission on the basis of 2 shall be allowed only if he is resident of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh or Union Territory of Chandigarh.

27.1 A candidate who obtains 35 per cent of the aggregate marks in the prescribed subjects, but has failed in one subject obtaining not less than 20 per cent marks in that subject, shall be permitted to appear in that subject at the next two consecutive examinations and if he passes at either of these examinations, he shall be deemed to have passed the examination.

27.2 A candidate who is placed in compartment, is eligible to join the next higher class provisionally. In case he fails to qualify the Compartment subject within the two consecutive chances, his result for the higher examination will stand cancelled. For the Compartment subject, he may appear as a regular student or as a late college student.

27.3 The Syndicate may extend this period, in the case of a member of the regular armed forces, who is unable owing to defence exigencies to avail himself of a chance within this time.

27.4 A candidate who appears in the compartment subject at the supplementary examination under this Regulation shall—

1. be required to pay Examination fee as for the whole examination; and

2. not be eligible for scholarship, prize or a medal.

28. The successful candidates shall be classified, as under, on the aggregate marks obtained in the First Year, Second Year and Third Year examinations taken together :

(a) Those who obtain 60 per cent or more of the aggregate marks.	First Division
(2) Those who obtain 50 per cent or more but below 60 per cent of the aggregate marks.	Second Division
(c) Those who obtain less than 50 per cent of the aggregate marks.	Third Division

29. Six weeks after the termination of examination or as soon as thereafter as is possible, the Controller of Examinations shall publish a list of the candidates indicating their result. The Result-cum-Detailed Marks Card of the First, Second and Third Year examinations shall be issued to each candidate. Each successful candidate of the Third Year (Final) examination shall be awarded the B.A./B.Sc. (General) or B.A./B.Sc. (Honours) degree as the case may be, stating the division in which he has passed.

30. A student who fails in First Year examination of B.Sc. (General) course and wants to change over to Arts subjects shall not be eligible to appear in the First Year examination of B.A. (General) course, as a late college student.

31. A person who has qualified for the award of the B.A./B.Sc. (General) or B.A./B.Sc. (Honours) degree from the Panjab University may be allowed to re-appear as a private candidate in a subject(s) in which he appeared earlier, with a view to improving his previous performance. He may re-appear in the First, Second and Third Year examinations or any of the examinations, simultaneously or separately.

For this purpose, he may appear in September and/or April in the academic year immediately following the year of his passing the Third Year examination.

32.1 A person who has passed the B.A./B.Sc. (General) or B.A./B.Sc. (Honours) examination from this University may appear as a private candidate at any subsequent B.A./B.Sc. (General) or B.A./B.Sc. (Honours) examination in any one or more subjects prescribed for the examination except the subjects in which he has already passed the examination.

Provided that in the case of a Science subject/s, the candidate shall study in an affiliated college and produce a certificate from the Principal of the college that he has completed the prescribed course.

For this purpose he shall have to take First, Second and Third Year examinations simultaneously or separately.

32.2 Such a person shall pay Examination fees as decided by the Syndicate from time to time.

32.3 The minimum number of marks required to pass shall be 35 per cent in each subject as laid down in Regulation 19.

33. A person who has passed the B.A. (General and Honours) and B.Sc. (Honours) examination will be eligible to do 2 credits of extra work in the third elective subject as already offered for the First/Second Year as per syllabus for the Tihrd Year examination to make him eligible for admission to the Master's Course in that subject also.

34. A person who has already passed the B.A. (General) or B.A. (Honours) examination of this University may appear as a regular student of an affiliated college in the B.Sc. (General) or B.Sc. (Honours) examination of this University and vice versa provided he is otherwise eligible.

35. A candidate who wishes to seek, re-evaluation of his/her answer-books may apply to the Controller of Examinations, Panjab University, Chandigarh, on the prescribed form as per rules laid down by the Syndicate from time to time.

REPEALS :

The admissions to the Part I and Part II of the B.A. (Pass and Honours) and B.Sc. (Pass and Honours) degree course according to the regulations at pages 61-80 of the Calendar, Volume II, 1984, shall be discontinued from and including the session beginning July, 1988. The admissions to B.A./B.Sc. Part III (Pass and Honours) course shall be discontinued from the session July, 1989.

TRANSITORY REGULATION

1. The candidates of the old scheme who had passed B.A./B.Sc. Part I/Part II examination from this University and are in the pipe-line, will, however be allowed to appear in B.A./B.Sc. Parts II & III examinations, respectively as private candidates under the old scheme till 1993 as per chances admissible under the relevant regulations. Those who fail to clear by 1993 will join the course under the new scheme.

1.2 The candidates who had passed B.A./B.Sc. Part I examination from this University under the old scheme will also have the option to join the course under the new scheme.

1.3 Such candidates who opt for the old scheme and appear in B.A./B.Sc. Parts II & III (Pass and Honours) examinations as private candidates as laid down in Regulation 1, shall be required to submit a certificate from the Principal of the College/Institution approved for the purpose to the effect that he/she had completed the course prescribed for practical work in the subject concerned. They may join college affiliated to this University for completion of practicals as Casual students.

PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH

Regulations for Bachelor of Commerce (General and Honours) examinations

1. The Bachelor of Commerce (General and Honours) shall be a 3-year integrated degree course with effect from the admissions of 1988, under 10+2+3 system of education.

2. The B.Com. (General) programme of study shall consist of 28 credits. One credit shall carry 100 marks.

3. Admission to the First Year class of the B.Com. (General) degree course shall be open to a person who has passed one of the following examinations conducted by a recognised Board/Council/University :

(A) +2 examination under 10+2+3 system of education with the group and subjects as detailed below :

(a) +2 Commerce group with atleast 40% marks in the aggregate;

(b) +2 any group (other than Commerce) with one or more of the following subjects—

Commerce
Accountancy
Economics
Mathematics
Business Organisation and Management
Book Keeping and Accountancy

the eligibility shall be determined as under :—

(i) Those who ahave passed with 3 of the above subjects	45% marks in the aggregate
(ii) those who have passed with 2 of the above subjects	50% marks in the aggregate
(iii) those who have passed with one one of the above subjects	55% marks in the aggregate

(c) +2 any group (other than Commerce group) including Humanities group with none of the subjects as in (b) above under 10+2%3 system of education having secured atleast 60% marks in the aggregate.

(B) (a) B.Com. Part I/Inter (Commerce) (Old Scheme) of Panjab University with atleast 40% marks in the aggregate;

(b) B.A. Part I/Inter (Arts) (Old Scheme) of the Panjab University with Economics and Mathematics securing atleast 50% marks in the aggregate;

(c) B.A./B.Sc. Part I/Pre-Engineering (Old Scheme) of the Panjab University with Mathematics or Economics securing atleast 55% marks in the aggregate;

(d) B.A./B.Sc. Part I/Part II/Intermediate/Pre-Engineering/Pre-Medical of Panjab University with atleast 60% marks in the aggregate and not offered Economics/Mathematics as a subject;

(C) B.A./B Sc. Part III of Panjab University;

(D) Any other examination recognised by the University as equivalent to (A) or (B) with the requisite group/subjects and percentage of marks or (C) above.

3.2 A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join the Second/Third year class of the Bachelor of Commerce (General and Honours) course as the case may be :—

(a) Bachelor of Commerce (General & Honours) First/Second Year examination of the University.

(b) Bachelor of Commerce First Year or Second Year examination, under 10+2+3 system of education of the Kurukshetra University (Kurukshetra) or Punjabi University (Patiala) or Guru Nanak Dev University (Amritsar) or Himachal Pradesh University (Simla) or Maharshi Dayanand University (Rohtak) if the subjects/courses offered were the same as prescribed by the University. In case there is some deficiency in the subjects/courses, he shall have to clear the deficient subjects/courses, if any, at the next two consecutive examinations. If he fails to clear the deficient subjects/courses his result of B.Com. Second Year or B.Com. Third Year as the case may be, shall stand cancelled.

Provided that the marks obtained by the student in B.Com. First Year or Second Year examination, as the case may be, shall be counted towards his division and the marks obtained in the examination concerned shall be normalised by increasing or decreasing the maximum marks in accordance with the maximum marks prescribed by the Panjab University.

4.1 The examination in First/Second/Third Year shall be open to a student who :—

(a) has passed not less than one academic year previously the qualifying examination laid down in Regulation 3;

(b) has his name submitted to the Controller of Examinations by the Principal of the College he has most recently attended and produces the following certificates signed by the Principal of that College—

(i) of having remained on the rolls of an affiliated college for the academic year preceding the examinations.

(ii) of having attended not less than 66% of the full course of lectures delivered and tutorials held separately, for his class in each of the subjects offered (the course to be counted up to the last day when the classes break up for preparatory holidays).

(iii) of having obtained atleast 25 per cent marks in the aggregate of all the papers to be calculated on the combined results of two house examinations, the first to be held in September and the second in November.

Explanation : The house examination shall have 100 marks for each paper.

Provided that the Principal of a college may, at his discretion, hold a special test for students who fail to fulfil the requirements of (iii) above, by the third week of February. A student in order to become eligibile for admission to the examination shall be required to have obtained atleast 30% marks in the aggregate of all the papers. The Examination forms of such candidates who fulfil the condition in the special test shall reach the University Office by the 1st of March with the prescribed late fee.

Provided further that a candidate must take the Second/Third Year examination within three years of his passing the First/Second Year examination respectively.

4.2 The Principal of the college shall have authority to condone deficiency up to 10% of the total number of lectures delivered and of tutorials held in each subject separately.

5. The examinations for the First, Second and Third Year shall ordinarily be held by the University as under on the dates fixed by the Syndicate :—

First and Second Year	Once a year in April
Third Year	Twice a year in April and September.

For candidates placed in compartment, a supplementary Examination will be held ordinarily in the month of September of the same year on a date fixed by the Syndicate.

6. A candidate shall submit his application for admission to examination on the prescribed form with the required certificates duly countersigned by :—

(i) Principal of the College	In the case of a student of an affiliated college.
(ii) Principal of the College last attended	In the case of a late college student.

7. The last date for receipt of Examination form and fee with and without late fee, as fixed by the Syndicate, shall be notified by the Controller of Examinations.

8. The amount of admission fee to be paid by a candidate shall be :—

(i) B.Com. First Year, Second year and Third year (General)	75	100
(ii) B.Com. Second year/ Third year General & Honours)	125	150

9. The examinations for the First, Second and Third Year of the B.Com. (General and Honours) degree course shall be held according to the prescribed syllabus.

10. The medium of examination shall be English or Hindi or Panjabi or Urdu except for the Language as a Communication Skill courses in which it shall be the language concerned.

11.1 The minimum number of marks required to pass each examination shall be 35 per cent in each paper.

11.2 A candidate who obtains 35 per cent of the aggregate marks of all the subjects but has failed in one subject only obtaining not less than 20 per cent marks in that subject shall be permitted to appear in that subject only at the next two consecutive examinations and if he passes at either of these examinations he shall be deemed to have passed the examination.

A candidate to whom this concession is granted shall be eligible to join the next higher class provisionally, but if he fails to qualify in the compartment subject at the supplementary examination he shall be permitted to appear again in the subject alongwith the annual examination for the next year and, if he fails to qualify in the compartment subject even at the second attempt, his result of Second Year or Third Year, as the case may be, shall be cancelled. For the compartment subject of the next annual examination, he may appear as a regular student or as a late college student.

11.3 A candidate who appears in the compartment subject at the supplementary or the annual examination under this regulation shall—

(a) be required to pay examination fee as for the whole examination, and

(b) not be eligible for a scholarship, a prize or a medal.

12. A student who has completed the prescribed course of instruction for the examination but has not been able to appear in the examination or has appeared but has failed, may be recommended by the Principal for admission to such examination as a late college student, without attending a fresh course of instruction in the next annual examination. On his second failure in the examination or failure to appear in the examination, he shall not be eligible to appear in the examination without attending a fresh course in an affiliated college. If he failed at the third attempt, he may again be permitted to appear in the next annual examination either as a college student or as a late college student, but if he fails even at the fourth attempt in the First Year examination, he shall not be permitted thereafter to appear in that examination either as a college student or as a late college student. This shall not affect the right of a candidate to reappear in one subject under the compartment regulation. A candidate who fails in the Second Year/Third Year examination at the fourth attempt, shall repeat the above process.

13. The successful candidates shall be classified, as under, on the aggregate marks obtained in the First Year, Second Year and Third Year examinations taken together :

(a) Those who obtain 60 per cent or more of the aggregate marks—First Division.

(b) Those who obtain 50 per cent or more but below 60 per cent of the aggregate marks—Second Division.

(c) Those who obtain less than 50 per cent of the aggregate marks—Third Division.

14. The Controller of Examination shall publish the result four weeks after the termination of the examination or as soon thereafter as is possible.

15. Son/daughter of an employee who has passed B.Com. First Year/Second Year examinations from another University, the B.Com. Final examination of which is recognised as equivalent to B.Com. examination of this University, on the transfer of his/her guardian to a place falling within the jurisdiction of this University may be allowed to join B.Com. Second Year/Third Year class of the B.Com. course provided that he/she clears the deficient subjects/courses if any, at the next two consecutive examinations. If he/she fails to clear the deficient subjects/courses, his/her result of B.Com. Second Year/Third Year as the case may be, shall stand cancelled.

16. The Result-cum-Detailed Marks Card shall be issued to each candidate of the First, Second and Third Year examination. Each successful candidate of the Third Year (Final) examination shall be awarded the degree of Bachelor of Commerce (General) or Bachelor of Commerce (Honours), as the case may be, stating the division in which he has passed.

17. A person who has qualified for the award of the B. Com (General or B. Com (Honours) degree from the Panjab University may be allowed to re-appear as a private candidate in the subject(s) in which he appeared earlier, with a view to improving his previous performance. He may reappear in the First, Second and Third Year examinations or any of the examination(s) simultaneously or separately.

For this purpose, he may appear in September and/or April in the academic year immediately following the year of his passing the B. Com Third Year examination.

BACHELOR OF COMMERCE (HONOURS)

18. A candidate who has secured at least 50% marks in the aggregate of B. Com (General) First Year examination shall be eligible to offer Honours in B. Com. course.

19. In addition to the B. Com. Second Year and B. Com. Third Year examinations, a candidate may offer Honours in any one of the following four subjects :—

1. *Business Economics*
   - (i) Industrial & Transport Economics
   - (ii) International Trade and Foreign Exchange.
2. *Business Law*
   - (i) Economic & Labour Legislation
   - (ii) Banking & Insurance Legislation.
3. *Business Finance & Accounting*
   - (i) Business Finance & Financial Management.
   - (ii) Accounting Theory.
4. *Business Management*
   - (i) Management Techniques.
   - (ii) Organisational Behaviour.

20. The Honours examination shall consist of two papers out of which paper (i) shall be taken alongwith the Second Year examination and paper (ii) with the B. Com. Third examination. Each paper shall carry two credits.

21. A candidate offering Honours in any of the prescribed subjects shall submit his Examination form to the Controller of Examinations alongwith the prescribed fee and the following certificates signed by the Principal of the affiliated college :

(i) of good character;

(ii) of having attended in an institution granted affiliation in the Honours subject, not less than 66 per cent of the full course of lectures delivered to

the Honours class, in accordance with the programme of work in the subject, as approved by the Academic Council.

22. An additional fee as fixed by the Syndicate shall be paid by a candidate for appearing in the Honours Papers at each of B. Com. Second Year and B. Com Third Year examinations.

23. The minimum marks required to qualify for Honours in the B. Com. Course shall be—

(a) 50% marks in the aggregate of B. Com. First, Second and Third Year examinations.

(b) 50% marks in each paper separately in University examination in the Honours subject.

24. (a) A candidate who has taken Honours in a subject for the B. Com. examination and is to re-appear in a subject or subjects (except the subject in which he has taken Honours) under the Compartment regulation, either in the General course of B. Com. Second Year examination or B. Com. Third Year examination shall be allowed to take the Honours papers, but his result of the Honours examination shall be declared only when he clears the examination within the period as specified in the compartment regulation.

(b) A candidate who has completed the prescribed course of instruction for B. Com. General as well as the Honours either Second or Third Year, but has not appeared in or has not compelted the examination may be allowed to appear in the annual examination of the following year as a late college student in the Honours examination, alongwith general course examination of B. Com. Second Year or B. Com. Third Year, as the case may be.

25. A candidate who wishes to seek re-evaluation of his answer books may apply to the Controller of Examinations, on the prescribed form as per rules laid down by the University from time to time.

Repeals

The admissions to the Part I and Part II of the B. Com. degree course, according to the regulations at pages 289 to 297 of the Calendar, Volume II, 1964, shall be discontinued from and including the session beginning July, 1988. The admissions to B. Com. Part III course shall be discontinued from the session July, 1989.

TRANSITORY REGULATION

1.1 The candidates of the old scheme who had passed B. Com. Part I/II examination from this University and are in the pipe line will however, be allowed to appear in B. Com. Parts II & III examinations respectively, as private candidates under the old scheme till 1993, as per chances admissible under the relevant regulations. Those who fail to clear by 1993 will join the course under the new scheme.

1.2 The candidates who had passed B.Com Part I examination from this University under the old scheme will also have the option to join the course under the new scheme.

5. Regulation 2.1 for Bachelor of Science in Home Science (Pass) Examination (Revised) at page 81 of the Calendar, Volume II, 1984 (effective from the admissions of 1988), shall read as under :—

2.1 A candidate who has passed the +2 examination of 10+2 system of education from the Board of School Education, Punjab/Haryana/Himachal Pradesh or any other examination from a Board/University recognised by the University as equivalent thereto, with English as a compulsory subject and other three subjects, out of which at least two shal be from the following list, shall be eligible to join the first year (Part I) class of the B.Sc. Home Science (Pass course) :

(a) Physics (b) Chemistry

(b) Biology (d) Mathematics

(e) Eoconmics (f) Sociology

(g) Psychology (h) Home Science

6. Regulation 2 for Bachelor of Architecture (New Scheme) examinations at page 540 of the Calendar, Volume II, 1988 (effective from the admissions of 1988), shall read as under :—

2. A person who has passed one of the following examinations with at least 55 per cent marks in the aggregate of Physics, Chemistry, Mathematics and English (all taken as compulsory subjects) shall be eligible to join the course :—

(a) +2 examination of the 10+2 system being conducted the Punjab School Education Board.

(b) +2 examination of the 10+2 system being conducted by the Central Board of Secondary Education or any Board/University recognised by the University.

(c) B.Sc. Part I (Non-Medical)/Pre-Engineering examination of the University or any other University/Board recognised by the University.

(d) any other examination recognised by the Syndicate as equivalent to (a), (b) and (c).

Provided that a candidate will be eligible for admission to the B.Architecture courses if, before applying, he had qualified in the four subjects of English, Chemistry, Physics and Mathematics with at least 55 per cent marks in the aggregate even if he had qualified in any one of these as additional subjects after passing the relevant examination.

Provided further that the concerned subject in which the candidate had qualified as additional subject is exactly of the same standard as that of the four subjects, namely, Physics, Chemistry, Mathematics and English, which he is required to have passed in qualifying examination as prescribed under (a), (b), (c) and (d) for admission to the B. Arch. course.

7. Regulations for Post-graduate Diploma course in German of the Calendar, Volume II. shall read as under :—

1.1 The duration of the Post-graduate Diploma Course in German shall be one academic year.

1.2 The examination shall be held once a year ordinarily in the month of May, on such dates as may be fixed by the Syndicate.

1.3 The dates of commencement of the examination and the last dates for receipt of examination admission forms without and with late fee of Rs. 5/-, as fixed by the Syndicate shall be notified by the Controller of Examinations.

2. A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join this course;

(a) B.A./B.Sc. and Advanced Diploma Course in German of the Panjab University or any other examination of the University/Board recognised by the University as equivalent thereto, with 45% marks in the subject of German.

(b) B.A. examination with German as an elective subject from the Panjab University or any other examination of the University/Board recognised by the University as equivalent thereto, with 45% marks in the subject of German.

(c) B.A./B.Sc. examination from the Panjab University in the First Division, with German as an additional subject.

3.1 A person who possesses the qualifications laid down in Regulation 2, and produces the following certificates signed by the Chairman, Head of the University, Department of German or by Principal of a College affiliated to the University for the course shall be eligible to appear in the examination :

(a) of good character;

(b) of having been on the rolls of the Department/College as the case may be, during the academic year preceding the examination; and

(c) of having attended not less than 66% of the lectures in each paper delivered to the Class.

3.2 Deficiency in the required number of lectures may be condone :

(i) up to 15 lectures by the Chairman/Head of the Department or the Prinicpal as the case may be.

(ii) Up to 25 lectures by the Dean of the University Instruction on the recommendation of the Chairman/ Head of the Department or the Principal as the case may be.

3.3 A student who, having attended the prescribed number of lectures does not appear in the examination, or having appeared has failed may be permitted, on the recommendation of the Head of the Department/Principal of the college as the case may be, to appear in the examination as a private candidate, within a period of three years of completing the course.

4. The amount of examination fee to be paid by a candidate shall be Rs. 50/-.

An additional fee of Rs. 10/- shall be charged from a private candidate.

5.1 The examination shall be held in acocrdance with the syllabus prescribed by the Senate.

5.2 The medium of examination shall be German.

6. The minimum number of marks required to pass the examination shall be :—

(a) 40 per cent in each theory paper;

(b) 40 per cent in Oral/Practical;

(c) 45 per cent in the aggregate.

7.1 Successful candidates shall be classified as under :—

(a) Those who obtain 75 per cent or more of the aggregate marks.—Distinction.

(b) Those who obtain 60 per cent or more but less than 75% of the aggregate marks.—First Division.

(c) Those who obtain 50 per cent or more but less than 60% of the aggregate marks.—Second Division.

(d) Those who obtain less than 50% of the aggregate marks.—Third Division.

7.2 The Controller of Examinations shall publish the result four weeks after the termination of the examination or as soon as possible.

7.3 Each successful candidate shall be granted a Diploma showing the division in which he has passed together with the marks obtained by him and the aggregate marks.

Chandigarh-160014

Dated : 23-11-1989

S. P. DHAWAN
Dy. Registrar (General)

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University, this day, 23-11-1989.

H. L. SHARMA
Registrar

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

New Delhi, the 15th November 1989

F. No. CA/44/88.—It is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 29 of the Architects Act, 1972, the Council of Architecture has removed from the Register of Architects of the Council on account of death w.e.f. the dates mentioned against their names, the names of the following architects :—

Sl. No.	Registration Number	Name and Address	Date of Removal
1.	CA/75/1412	Shri T. R. Mahendru 14, Asaf Ali Road New Delhi.	31-5-1889
2.	CA/75/1780	Shri R. S. Pathare Noble Chambers Parsi Bazar Street Fort, Bombay-400001.	31-5-1989
3.	CA/79/5003	Shri J. J. Paul 1027, Mission Mettu Street, Thanjavur-613001.	31-5-1989

The Original Certificates of Registration issued to the persons should forthwith be surrendered to the Registrar of the Council by his legal representative as defined in Clause 11 of Section 2 of the Code of Civil Procedure 1908.

F. No. CA/46/89.—I is hereby notified that in exercise of powers conferred by Rule 34 of the Council of Architecture Rules, 1973, the Duplicate Certificate of Registration are issued to the under-mentioned architects on the dates mentioned against their names in lieu of their Original Certificates of Registration having been destroyed by them.

Sl. No.	Name and Professional address of the archiects	Registration Number	Date of issue
1.	Shri B.L. Chadha Flat No. 2, Shankar Market, Connaught Circus. New Delhi.	CA/75/1869	12-12-88
2.	Smt. Arti Damodar Acharekar Patki and Dadarkar Charjered Architects Feltham House, J.N. Heredia Marg, Bombay-38.	CA/87/10666	22-12-88
3.	Shri P.H. Doshi 26, Imperial Chambers Wilson Road, Balley Estate Bombay-38.	CA/75/1423	21-12-88
4.	Shri S.C. Dhupelia 28-B, 4th floor, Noble Chambers, S.A. Brelvi Marg, Fort, Bombay.	CA/75/2487	3-2-89
5.	Shri K.R. Shaikh Insignia Designs 341, Kewal Industrial Estate, Senapati Bapat Marg. Lower Parel (West) Bombay-400013.	CA/86/9861	6-3-89
6.	Miss R.S. Prabha C/o Shri R.S. Suresh H. No. 12-13-81 Street No. 4, Tarnaka Hyderabad-500017.	CA/88/11909	30-5-89
7.	Shri R.A. Awalkar C/o Shri R.B. Ambekar At & Post. Devrukh Dist. Ratnagiri	CA/80/5521	21-7-89
8.	Smt. Ramna Kumari Kapoor, B-2, Kailash Colony New Delhi-48.	CA/82/6742	27-9-89

Sl. No.	Name and Professional address of the architects	Registration Number	Date of issue
9.	Shri Y. Vijaya Kumar KN Associates Siddartha Road, Siddarthanagar Vijayawada-10.	CA/82/6846	26-9-89
10.	Shri H.S. Shankar 125/1, Tenth Main First Block, Jayanagar, Bangalore-560011.	CA/78/4701	11-10-89

F. No. CA/47/89.—It is hereby notified that in exercise of powers conferred by Rule 34 of the Council of Architecture Rules, 1973, the Duplicate Certificate of Registration are issued to the under-mentioned architects on the dates mentioned against their names in lieu of their Original Certificates of Registration having been lost by them.

Sl. No.	Name and Professional address of the architect	Registration Number	Date of issue
1	2	3	4
1.	Shri A. Monilal Jason A-4, Postal Staff Colony, Taylors Road, Kilpauk Madras-10.	CA/75/1119	2-12-88
2.	Shri H.P. Singh 1102-700 St. Joseph Hull Quebel Canada	CA/77/3434	5-12-88
3.	Shri H.S. Khurmi J-7, B.K. Dutt Colony, Jor Bagh Road, New Delhi-3.	CA/75/180	9-12-88
4.	Shr A.V. Sulakhe 720, Budhwar Peth Near Sampada Bavla, Jijamata Baug, Pune-2.	CA/82/6783	12-12-88
5.	Miss Mrunalini Rajan F-11, Kailash Colony New Delhi-110048,	CA/86/9915	15-12-88
6.	Smt. Priyamwada Chadha C-2/2, Aditi Apartments Block D-I, Janakpuri New Delhi.	CA/79/5349	19-12-88
7.	Sh. Sharad Ramnath Oundhakar Pimenta Building, Dharamshala Road, Vasco-da-Gama, Goa.	CA/83/7502	8-12-88
8.	Shri A.K. Chotmarada 5026, Sector-12, Chandigarh.	CA/79/4881	20-12-88
9.	Shri Dilip Vaman Savant G/26, Star Trade Centre Junction of Sodawala Lane & S.P.V. Road, Borivlee(w) Bombay-92.	CA/77/3636	19-12-88
10.	Shri K.N. Ahluwalia 141, Sant Nagar, New Delhi.	CA/77/4036	30-12-88
11.	Shri Ananda Narayan Hoskeri Vijaya Road, Dharwad-1.	CA/76/3003	3-1-89
12.	Shri A.K. Bhat Nehru Place Hotels Ltd., Eros Cinema Bldg., Jangpura Ext., New Delhi.	CA/82/6809	9-1-89
13.	Shri Shashikiran Shah 481, Shukrawar Peth Solapur.	CA/76/2726	12-1-89
14.	Shri Anil Babbar House No. 25, Sector 15-A, Chandigarh-160015.	CA/80/5963	12-1-89
15.	Smt. R.D. Maitra 100/14, Alipore Road, Calcutta-700027.	CA/83/7368	12-1-89
16.	Shri C.P. Kaushal 3518, Sector 35-D, Chandigarh.	CA/82/7302	20-1-89
17.	Shri S.S. Srivastava Dy. Chief Architect MECON (India) Ltd., Ranchi (Bihar).	CA/79/5362	3-2-89
18.	Shri R.P. Shetye Kalpana Bldg., Azad Road, Vile-Parle (east) Bombay-57.	CA/87/10457	3-2-89
19.	Shri A.H. Akbari 56, Moore Street, Madras-1.	CA/88/11698	8-2-89
20.	Shri Jitendra Singh A-225, Srikrishnapuri Patna-800001.	CA/75/26	13-2-89
21.	Shri A.P. Karnik Karnik Niwas 86, Hindu Colony, 3rd Lane, Dadar, Bombay.	CA/82/7077	20-2-89
22.	Shri M.K. Khokale 247, Samartha Nagar, Aurangabad.	CA/82/7156	23-2-89
23.	Shri Debasish Guha 5732/81, Tank Road, Karol Bagh, New Delhi-5.	CA/75/2117	28-2-89
24.	Shri Kaushik Gupta VIII/N-2, Purbchal, Salt Lake, Calcutta-700096.	CA/81/6342	1-3-89
25.	Smt. Gurdia Singh C-491, Defence colony, New Delhi-110024.	CA/76/2757	13-3-89
26.	Smt. M.G. Jain 7, Talpuri, Bhilai-6 (M.P.).	CA/84/8032	10-2-89
27.	Shri A.V. Talashilkar C/10, Priti-Sangam, Society, Saibaba Nagar, Borivli (W), Bombay-92.	CA/77/4066	13-3-89
28.	Shri S.R. Oundhakar Pimenta Building, Dharamshala Road, Vasco-da-Gama, Goa.	CA/83/7502	17-3-89
29.	Shri U.B. Bhaskar 4/Ram Mandir Bldg., L.T. Road, Babhai Borivli(W), Bombay-92.	CA/84/8292	28-2-89

1	2	3	4
30.	Smt. Nalini M. Thakur A-37, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024.	CA/79/5217	21-3-89
31.	Shr B.K. Dar J-13/57, Rajouri Garden, New Delhi.	CA/77/4018	23-3-89
32.	Shri Ravinder Vinod B-96, SFS, Sheikh Sarai-I, New Delhi.	CA/78/4354	23-3-89
33.	Shri R.R. Mistry Lalita Complex, 352/3, Rasala Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009.	CA/75/1626	28-3-89
34.	Shri B.K. Varma MIG Flat No. ED-81B, Madhuban Chowk, Pitampura.	CA/77/3779	29-3-89
35.	Shri K.K. Chakravarti E-6/82, Arera Colony, Bhopal-462016.	CA/87/10704	28-3-89
36.	Shri S.P. Taywade 'SHILP', Bunglow Damani Road, Sangli-416415.	CA/76/3065	30-3-89
37.	Shri P.U. Sawardekar 302, 'Ahilya Vishnu', Martires Dias Road, Margao-Goa-403601.	CA/83/7533	23-2-89
38.	Shri S.R. Bapat Flat T-1, Bhivapuri, 1294/B, Sadashiv Peth, Pune-411030.	CA/78/4365	31-3-89
39.	Shri H.R. Kalghatgi 24, Mrutunjai Nagar, Angol Road, Tilakwadi, Belgaum-590006.	CA/77/3482	31-3-89
40.	Smt. Rina Sahay C-103, Ashoknagar, Ranchi (Bihar).	CA/83/7769	23-3-89
41.	Shri Sunil Sudhakar Toye Flat No. T-4, Utkarsh Poorva, Dharampeth, Nagpur (M.S.)	CA/84/8142	20-4-89
42.	Shri V.R. Khanzode 10, Anita Apartments, Dahanukar Colony, Parisar Road, No. 10, Kothrud Pune-411029.	CA/86/10088	21-3-89
43.	Shri K.R. Warade B-22, Troika Apartments Lokhandwala Complex, Andheri West, Bombay-400058.	CA/75/803	27-4-89
44.	Shri N.V. Rege M/s. N.V. Rege & Associates, Architects, 16, Jain Chambers, 3rd ffoor, S.V. Road, Bandra, Bombay-400050.	CA/75/638	1-5-89
45.	Shri S.N. Kiran Shankar No. 32, 8th Main, Vasanthnagar, Bangalore-52.	CA/79/5131	1-5-89
46.	Shri R.K. Deole Jay Building, Uday Cinema Road, Ghatkopar (W), Bombay-400086.	CA/75/2178	1-5-89
47.	Shri M.J.P. Mistri 141, "Nibbana", Pali Hill, Bandra, Bombay-400050.	CA/75/1075	1-5-89
48.	Shri Anil Dewan 7/213, Ramesh Nagar, New Delhi-110015.	CA/83/7565	2-5-89
49.	Shri S.N. Dalal 3-Hill View, 15, B.G. Kher Marg, Bombay-400006.	CA/83/7758	2-5-89
50.	Shri A.K.T. Choudhary 15, Khatipura, Indore (M.P.).	CA/80/5625	3-5-89
51.	Shri M.V. Keshav 1354, 'B' Ward, Kolhapur.	CA/83/7898	8-5-89
52.	Shri Pramode Kumar Bhargava 100, Sector-29, Arun Vihar, NOIDA.	CA/87/11197	10-5-89
53.	Shri Rajinder Singh Sodhi C-48, Panchsheel Enclave New Delhi-110017.	CA/76/3252	15-5-89
54.	Shri V.G. Phadnis Narayan Bhawan, 15, Ramnagar, Ayre Road, Dombivli (E)-421201.	CA/81/6682	26-4-89
55.	Shri M.S. Samudra, 'Mandavi', Shriniketan Society, S. No. 128/2/3, Near Swarup Nagar, Karve Road, Kothrud, Pune-411029.	CA/75/242	17-5-89
56.	Shri M.A. Vartak Sandor Deotalao Taluka Vasai, Dist . Thane.	CA/82/7281	17-5-89
57.	Shri R.G. Belpathak "Rachana Vishwa" Agra Road, Deopur, Dhule-424002.	CA/80/5936	26-5-89
58.	Shri Subrata Kumar Ghosh F-17 A, Saket, New Delhi-110017.	CA/78/4478	2-6-89
59.	Prof. K.B. Singh, School of Planning and Architecture, I.P. Estate, New Delhi.	CA/75/2163	15-6-89
60.	Sh. Suhas S. Thakare Architect 73/8, Justice Patkar Road, Chowpatty, Bombay-400007.	CA/79/5032	10-2-89
61.	Shri Shyam Sunder Gupta C-111, Nirman Vihar, New Delhi.	CA/75/321	21-6-89
62.	Shri T.M. Jambulingam 757, Anna Nagar, Madurai-625020.	CA/75/1526	15-6-89
63.	Shri H.S. Kholi, No. 1571, Sector 36-D, Chandigarh.	CA/75/1070	7-6-89
64.	Shri M.K. Desai 13 M, Darpan Society St. Xaviers' School Road, Ahmedabad.	CA/80/5870	26-6-89

1	2	3	4
65.	Shri A.V. Taskar, 1226, Shukarwar Peth, Subhashnagar, Lane No. 4, Pune.	CA/81/6411	27-6-89
66.	Shri Sanjay Narhar Bapat 1226, Shukrawar Peth, Pune-411002.	CA/85/8943	27-6-89
67.	Shri R.K. Khanna A-1, Geetanjali Enclave, New Delhi-17.	CA/75/304	12-7-89
68.	Shri T.N. Srikantaiah Room No. 181, M.S. Bldg. No. 6, Chembur Colony, Chembur, Bombay-76.	CA/83/7494	11-7-89
69.	Shri S.H. Navare 'Dilasa', Savarkar Nagar, Gangapur Road, Nasik.	CA/77/3489	19-4-89
70.	Shri Vijay S. Dikshit 'Kalashori' Savarkar Nagar, Gangapur Road, Nasik.	CA/79/5165	19-4-89
71.	Shri V.S. Sohoni "Jaswandi" Savarkar Nagar, Gangapur Road, Nasik.	CA/82/7143	19-4-89
72.	Shri M.M.A. Khan 5-8-548/D, Abid Road, Hyderabad-1.	CA/75/1210	20-6-89
73.	Shri Suresh Chandra P.O. Box 2013 Dares Saleem Tanzenia.	CA/75/1750	21-7-89
74.	Shri Vijay Kumar Sethi I-54-55, Kirti Nagar, New Delhi.	CA/76/2584	31-7-89
75.	Shri S.P. Singh, B 49, Ram Datt Enclave, Uttam Nagar, New Delhi.	CA/77/3899	4-8-89
76.	Shri Nunes M. Anthony B.I.T., Block 3/250, Love Lane, Mazagon, Bombay-400010.	CA/85/9230	8-8-89
77.	Shri V.G. Sundar, 47/2, Kodambakkam, High Road, T. Nagar, Madras-600017.	CA/85/9395	8-6-89
78.	Shri B.P. Sachinwalla Village: Valiv, Taluka: Vasai, District: Thane Pin-401208.	CA/84/8762	15-6-89
79.	Shri Faroukh D. Dastur 11/654, Firdoshi Road, Dadar Parsi Colony Bombay-400014.	CA/86/10210	16-8-89
80.	Shri B.K. Ramprakash 643, 16th B Main, 4th Cross, Koramangala, III Block, Bangalore-560034.	CA/75/795	24-7-89
81.	Shri K. Chandra Mohan Mohan Vilas, Pattoor, Trivandrum-695035.	CA/76/3234	1-6-89
82.	Sh. Anirudha Datta 12, Akash Apts., 5A/1, Old Palasia, Indore-452001.	CA/85/9415	25-8-89
83.	Shri S.K. Saini S.C.O. 8, Sector 17-E, Chandigarh.	CA/75/1071	27-1-89
84.	Shri B.S. Bali Sr. Architect J&K Architects Organisation Gogji Bagh, Srinagar, Kashmir.	CA/77/3542	26-9-89
85.	Shri S.K. Vagal 161, Prekh Mahal L.J. Road, Mahim, Bombay-400016.	CA/84/8172	29-9-89
86.	Smt. Neel C. Bajaj Bhagirath Bhavan Main Road, Chandrapur (M.S.)	CA/77/4025	27-9-89
87.	Shri Ashok Kumar Shukla A-219/B, Mayur Vihar, Phase-II, New Delhi-91.	CA/79/5303	6-10-89
88.	Shri Shyam Vinayak Gupte Flat No. 11, 3rd floor, Patel Apartments, Opp. I.I.T. Maingate, Powai, Bombay-76.	CA/86/9835	12-10-89
89.	Shri U.B. Sengupta 18 B, Colonel Biswas Road Calcutta-19.	CA/75/1216	16-10-89
90.	Shri N. Kwatra K-25, Hauzkhas, New Delhi-16.	CA/75/1907	25-10-89
91.	Shri S.S. Gupta C-111, Yamuna Vihar, New Delhi-92.	CA/75/321	30-10-89
92.	Shri Vinay Chande Horizon, 6B, 11A, Pali Hill, Bandra, Bombay.	CA/75/265	31-10-89
93.	Smt. Ujjaini Bhattacharjee House No. 332, I.I.T., Kanpur-208026.	CA/84/8516	25-8-89

(K.V. NARAYANA IYENGAR)
Registrar

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1989